आईएसपीआरएल
ISPRL

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2022-2023

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
(A wholly owned subsidiary of OIDB)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2022-23

विषय सूची / CONTENTS

क्र.सं. No.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ संख्या / PAGE NO.
1.	निदेशक मंडल **Board of Directors**	9 93
2.	निदेशकों की रिपोर्ट **Director's Report**	11 101
3.	स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट **Independent Auditor's Report**	29 120
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां **Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)**	44 133
5.	सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट **Secretarial Auditor's Report**	46 135
6.	वार्षिक लेखे 2022–2023 **Annual Accounts 2022-2023**	53 141
7.	कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां **Corporate Information & Significant Accounting Policies**	85 173

पंकज जैन
सचिव
Pankaj Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110 001
Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas
Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001
Tel. : 011-23383501, 011-23383562
Fax : 011-23070723
E-mail : sec.png@nic.in

30 नवंबर, 2023

प्रिय शेयरधारक,

यह बेहद खुशी की बात है कि मैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड [आईएसपीआरएल] के निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं।

हमारी कंपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की स्थापना के माध्यम से भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए समर्पित है। एक आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम में और दो कर्नाटक राज्य के मैंगलोर एवं पादुर में, तीन स्थानों पर स्थापित एसपीआर की मौजूदा क्षमता 5.33 एमएमटी है।

चल रही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संकट, महामारी के बाद मांग में सुधार एवं अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि की पृष्ठभूमि में, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का महत्व और अधिक बढ़ रहा है। आपूर्ति व्यवधानों के खिलाफ बफर प्रदान करने में इसकी भूमिका को कम करके आंका नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, नवंबर 2021 में, समानांतर और अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के परामर्श से, भारत मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए अपने एसपीआर से कच्चा तेल जारी करने पर सहमत हुआ था।

इसके अतिरिक्त, जुलाई 2021 में आंशिक व्यावसायीकरण के लिए सरकार की मंजूरी से आपकी कंपनी की वृद्धि को गति मिली है। यह स्ट्रेटेजिक बदलाव आईएसपीआरएल को उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करता है जो आंशिक व्यावसायीकरण आईएसपीआरएल के सामने लाए हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चरण- II के तहत पादुर, कर्नाटक में 2.5 एमएमटी के रणनीतिक भंडार के विकास की दिशा में, भूमि अधिग्रहण में काफी प्रगति हुई है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी [एडनोक] सक्रिय रूप से मैंगलोर कैवर्न का उपयोग कर रही है और इसे दिसंबर, 2022 और मार्च 2023 के दौरान अपर ज़कुम ग्रेड कच्चे तेल से भर दिया गया है।

इसके बाद, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर सहयोग के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच 17 जुलाई, 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, एक वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। एमओयू के तहत, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स डीओई [ऊर्जा विभाग] के एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 14 एवं 15 नवंबर, 2022 को आईएसपीआरएल कार्यालय नोएडा एवं विशाखापत्तनम में आईएसपीआरएल सुविधाओं का दौरा किया। कैवर्न के लिए सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं का आदान-प्रदान एवं साझा किया गया। मुझे सितंबर, 2022 में टेक्सास में डीओई की बिग हिल एसपीआर साइट पर जाने का भी अवसर मिला है।

देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नई व्यावसायिक पहल हमारी कंपनी के स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण के मूल में बनी हुई है। आईएसपीआरएल मैंगलोर में चरण I विस्तार के तहत एसपीआर के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि तलाशने में लगा हुआ है। आईएसपीआरएल द्वारा मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और आईएसपीआरएल ने 17 मार्च, 2023 को एमएसईजेडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट अध्ययन अनुबंध ईआईएल को प्रदान किया गया है जो एसपीआर के चरण I के भी पीएमसी थे।

फरवरी 2023 में आईएसपीआरएल की एक टीम ओमान यात्रा के बाद, रास मार्केज़ क्रूड स्टोरेज के चरण I में आईएसपीआरएल की भागीदारी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 25 जून, 2023 को इक्विटी साझेदारी या पट्टे पर भंडारण स्थान के माध्यम से आईएसपीआरएल और ओमान टैंकिंग टर्मिनल कंपनी (ओटीटीसीओ) के बीच एक परियोजना समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।

हमारी कंपनी ने तीनों स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) के लिए मानकों और प्रोटोकॉल का विवेकपूर्ण ढंग से पालन किया है और संचालन के दौरान शून्य हानि समय दुर्घटना (एलटीए) हुई है। लगातार बढ़ती पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जागरूकता में, यह उल्लेखनीय है कि टर्मिनल सीमा से बाहर शून्य निर्वहन के साथ डिज़ाइन किए गए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) सभी साइटों पर सक्रिय रूप से चालू हैं। कुल उपचारित पानी का उपयोग आंतरिक खपत के लिए किया जा रहा है जैसे वाटर कर्टेन टनल्स के लिए उपयोग, अग्निशमन उद्देश्य और टर्मिनल परिसर के भीतर ग्रीन बेल्ट विकास आदि अत: इस प्रकार टर्मिनल सीमा के बाहर शून्य निर्वहन सुनिश्चित किया जा रहा है। एसपीआर के चालू होने और 10 फरवरी, 2019 को राष्ट्र को समर्पित होने के बाद से, वे दिन-रात, 24x7 कार्यरत हैं। मैं सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए नोएडा, विशाखापत्तनम, मैंगलोर, पादुर और भुवनेश्वर में फैली आईएसपीआरएल टीम को बधाई देता हूं।

मुझे यह जानकर भी खुशी हो रही है कि आईएसपीआरएल कंपनी अधिनियम 2013 के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करता है। आपकी कंपनी अपने संचालन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी को सर्वोच्च महत्व देती है।

मैं इस अवसर पर सम्मानित शेयरधारकों, निदेशक मंडल के सहयोगियों और अन्य सभी हितधारकों को उनके बहुमूल्य सहयोग, निरंतर समर्थन एवं कंपनी पर विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं ओआईडीबी, हमारी मूल कंपनी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, विभाग, भारत सरकार के नियामक प्राधिकरणों और एजेंसियों एवं विभिन्न राज्य सरकारों से मिले हार्दिक समर्थन के लिए भी आभारी हूं।

हमारी सफलता ISPRL की टीम के बिना संभव नहीं होती।

आईएसपीआरएल को बहुत शुभकामनाएं !

जय हिन्द !

[पंकज जैन]

अध्यक्ष

श्री पंकज जैन

श्री पंकज जैन, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों में शासन के साथ–साथ नीति के डिजाइन और कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव है। इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग और संस्थागत वित्त), उद्योग, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी, आजीविका और एमएसएमई के क्षेत्र शामिल हैं।

श्री जैन के पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों, विकास वित्त संस्थानों, बीमा कंपनियों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों, एक गारंटी कंपनी और नियामक/पर्यवेक्षी निकायों के बोर्ड में अध्यक्ष/निदेशक के रूप में व्यापक बोर्ड अनुभव है।

निदेशक

श्री प्रवीण एम. खनूजा

श्री प्रवीण एम. खनूजा वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और प्रबंधन एवं सिस्टम में एम.टेक की डिग्री हासिल की है। आप भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के 1994 बैच से संबंधित हैं और उन्होंने रक्षा लेखा परीक्षा, रेलवे लेखा परीक्षा, राज्य सरकार लेखा एवं लेखा परीक्षा में कई क्षेत्रों एवं मुख्यालयों में विभिन्न पदों पर काम किया है।

उन्होंने पहले राजस्व विभाग एवं केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए निदेशक (वित्त) के रूप में भी काम किया है; उन्होंने राज्य लेखा परीक्षा संस्थान, ओमान सल्तनत, मस्कट में विशेषज्ञ, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो में अतिरिक्त महानिदेशक एवं विभिन्न प्रतिनियुक्ति एवं सेकेंडमेंट असाइनमेंट पर पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के महानिदेशक, एफएओ, रोम के अनुपालन और प्रदर्शन ऑडिट, डब्ल्यूआईपीओ, जिनेवा, डब्ल्यूटीओ, स्पेन; जीएफएमडी जिनेवा और यूनिटैड (UNITED) जिनेवा का संचालन किया है।

वह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वह ओएनजीसी में नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के सदस्य हैं। साथ ही आईएसपीआरएल में ऑडिट समिति, मानव संसाधन मामलों पर उप–समिति और निदेशकों की समिति के अध्यक्ष भी हैं।

निदेशक

सुश्री कामिनी चौहान रतन

सुश्री कामिनी चौहान रतन, 1997 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। वह 1991 में जेडीएमसी से वाणिज्य स्नातक हैं और बी.कॉम (पी) पाठ्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय में टॉपर रहीं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से एलएलबी और भोज ओपन विश्वविद्यालय, भोपाल से एलएलएम भी किया है।

सेवा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वह आगरा, अयोध्या, लखनऊ की सब डिविजनल/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहीं। उन्होंने मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया और जिले में कई विकास गतिविधियां शुरू की हैं। अंतर–राज्य कैडर प्रतिनियुक्ति पर, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएँ दी और प्रबंध निदेशक के रूप में महिला वित्त एवं विकास निगम, म. प्र. को संभाला। उन्होंने सुल्तानपुर, बुलन्दशहर, सहारनपुर में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। वे बागपत और मेरठ की पहली महिला कलेक्टर और डीएम थीं। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है।

वे यूपी सरकार में एचओडी, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पद परय महानिरीक्षक (पंजीकरण) और स्टाम्प आयुक्तय आयुक्त (वाणिज्यिक कर); आयुक्त (मनोरंजन कर) थीं।

वह यूपी की प्रथम महिला महानिरीक्षक (पंजीकरण) और स्टाम्प आयुक्त रह चुकी हैं। उन्होंने आयुक्त वाणिज्य कर और उ.प्र. (यूपी) राज्य में सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव (वित्त), सचिव (ग्रामीण विकास) के रूप में कार्य किया है। उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव की प्रधान स्टॉफ अधिकारी टू मुख्य सचिव, उ.प्र. के रूप में भी सहायता की है।

उन्होंने संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में काम किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वह वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

वह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वह बीपीसीएल में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सदस्य हैं। वह आईएसपीआरएल में ऑडिट कमेटी, निदेशकों की समिति की सदस्य भी हैं।

निदेशक

सुश्री ईशा श्रीवास्तव

सुश्री ईशा श्रीवास्तव, 2004 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वह वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में नियुक्ति से पहले, उन्होंने नवंबर 2016 से जनवरी 2019 तक थिम्पू में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। इससे पहले, वह विदेश मंत्रालय में कार्यरत थीं। उन्होंने कोलंबो में भारतीय उच्चायोग और पेरिस में भारतीय दूतावास और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में भी काम किया है।

लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली की पूर्व छात्रा सुश्री श्रीवास्तव के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एम. फिल की डिग्री है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।

उनका विवाह श्री कार्तिक पांडे से हुआ, जो एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी भी हैं। उनके दो बच्चे हैं।

वे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। ओवीएल में परियोजना मूल्यांकन समिति की अध्यक्ष और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, स्थिरता (सीएसआर एंड एस) समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सदस्य हैं। वह आईएसपीआरएल में ऑडिट समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और मानव संसाधन मामलों पर उप–समिति की सदस्य हैं।

निदेशक

सुश्री वर्षा सिन्हा

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की सचिव सुश्री वर्षा सिन्हा केंद्रीय सचिवालय सेवा की संयुक्त सचिव स्तर की अधिकारी हैं। अपने ढाई दशक से अधिक के करियर के दौरान, उन्होंने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया है।

उनके पास भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ कार्य करने का व्यापक अनुभव है जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार महानिदेशालय) आदि। ओआईडीबी में नियुक्त होने से पहले, वह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रही थीं और महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रही थी।

वह आईएसपीआरएल में ऑडिट कमेटी की सदस्य भी हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

एल. आर. जैन

श्री एल. आर. जैन ने 31 अक्टूबर, 2022 को इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, जोकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ओआईडीबी का एक विशेष प्रयोजन व्हीकल है, जो विशेष रूप से देश के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के निर्माण एवं संचालन हेतु बनाया गया है।

वह बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं एवं इन्होंने एसपीजेआईएमआर से एक्जिक्यूटिव एमबीए (पीजीईएमपी) किया है। श्री जैन भारत की एक प्रमुख महारत्न कंपनी बीपीसीएल में परियोजनाओं के निष्पादन, संचालन और खरीद में लगभग साढ़े तीन दशकों का व्यापक अनुभव रखते हैं।

आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी पोस्टिंग से पहले, वह बीपीसीएल के मार्केटिंग डिवीजन की इंजीनियरिंग एवं प्रोजेक्ट्स (ईएंडपी) इकाई के प्रमुख रहे हैं। वह कांडला–गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के लिए गठित आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के संयुक्त उद्यम आईएचबी के निदेशक का पद भी संभाल चुके हैं।

उन्होंने बीपीसीएल में कई अन्य पदों का नेतृत्व भी किया है जैसे कि मुख्य खरीद अधिकारी तथा प्रमुख पाइपलाइन इंटिटी आदि।

निदेशक मंडल

श्री पंकज जैन	अध्यक्ष	(20.01.2022 से प्रभावी)
श्री प्रवीण मल खनूजा	निदेशक	(17.02.2023 से प्रभावी)
सुश्री यतिन्दर प्रसाद	निदेशक	(11.10.2022 से 21.11.2022 तक)
सुश्री कामिनी चौहान रतन	निदेशक	(21.12.2022 से प्रभावी)
श्री गुड्डे श्रीनिवास	निदेशक	(26.09.2022 तक)
डॉ. एन. एम. कोठारी	निदेशक	(30.11.2022 तक)
सुश्री वर्षा सिन्हा	निदेशक	(15.12.2022 से प्रभावी)
सुश्री ईशा श्रीवास्तव	निदेशक	(22.12.2021 से प्रभावी)
श्री अजय दशोरे	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(नियुक्ति 17.06.2022 से 30.10.2022 तक)
श्री एल. आर. जैन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(31.10.2022 से प्रभावी)
श्री एच.पी.एस आहुजा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(01.06.2022 तक)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री एल. आर. जैन

कंपनी सचिव
श्री अरूण तलवार

सांविधिक लेखा परीक्षक
प्रसाद आजाद एडं कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवालीय लेखा परीक्षक
पीजी एडं एसोसिएट्स

बैंकर्स
यूनियन बैक ऑफ इंडिया
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110 001
फोन : 011–23412278

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी. भवन, प्लॉट न. 2, तीसरी मंजिल, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन नं. : 91–120–2594661, फैक्स नं. : 91–120–2594643
वेबसाईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापट्टनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापट्टनम्–530 005

मंगलौर परियोजना कार्यालय
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574 142

पादुर परियोजना कार्यालय
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106, कर्नाटक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षित का लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 19वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
1	सकल अचल परिसंपत्तियां (मूर्त एवं अमूर्त)	**373759.79**	373669.45
	घटाएं : संचित मूल्यह्रास	**58502.71**	48572.24
	निवल अचल परिसंपत्तियां	**315257.08**	**325097.21**
2	कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	29892.89	37107.95
3	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	5113.85	10310.29
	कुल परिसंपत्तियां	**350263.82**	**372515.45**
4	संचित हानियों सहित कुल इक्विटी	315837.02	325538.41
5	कुल गैर–वर्तमान देयताएं	572.08	582.87
6	कुल वर्तमान देयताएं	33854.72	46394.17
	कुल देयताएं	**350263.82**	**372515.45**
	लाभ और हानि खाते की मदें		
क्र. सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2023**	**31 मार्च, 2022**
1	पूर्व अवधि समायोजन, यदि कोई हो, सहित कुल आय	**589.83**	896.47
2	मूल्यह्रास सहित कुल व्यय	**10291.21**	10827.80
	अवधि के लिए शुद्ध हानि (1) – (2)	-9701.38	**-9931.33**
	चरण-II (प्राप्तियां और व्यय)		
क्र. सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2023**	**31 मार्च, 2022**
1	चरण-II परियोजना के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (शुद्ध आधार पर) भूमि के लिए अग्रिम सहित	शून्य	11987.24
2	चरण-II के तहत वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय देय के प्रावधानों सहित	318.33	835.99

कार्य निष्पादन समीक्षा

प्रस्तावना :

भारत सरकार (जीओआई) ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के स्ट्रेटेजिक उद्देश्य को पूरा करने के हित में 7 जनवरी, 2004 को तीन स्थानों पर 5 एमएमटी के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) बनाने और स्ट्रेटेजिक निर्माण एंव संचालन के लिए एक एसपीवी बनाने का निर्णय लिया। कच्चे तेल का भंडार, चूंकि भारत विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए एसपीआर की परिकल्पना आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रतिरोधी के रूप में की गई थी, खासकर बाहरी

कारणों से असाधारण परिस्थितियों में कच्चे तेल के प्रतिरोधी स्टॉक का उपयोग वैश्विक तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि को आंशिक रूप से अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है।

एसपीवी, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का गठन शुरुआत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एवं सहायक कंपनी के रूप में किया गया था जो 09.05.2006 तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

5.03 एमएमटी क्षमता वाले एसपीआर के निर्माण की प्रारंभिक लागत ओआईडीबी द्वारा वित्त पोषित की गई थी और आईएसपीआरएल की इक्विटी की समतुल्य राशि ओआईडीबी को हस्तांतरित की गई थी। विशाखापत्तनम में 0.3 एमएमटी क्षमता की अतिरिक्त कैवर्न का निर्माण किया गया था जिसे एचपीसीएल द्वारा वित्त पोषित किया गया था। विशाखापटनम् (1.03+0.03 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) एवं पादुर (2.5 एमएमटी) में कैवर्न का निर्माण 2015– 2017 के दौरान पूरा किया गया था। सुविधाएं 2015 से 2018 के दौरान चालू की गईं।

एसपीआर में कच्चा तेल (4.28 एमएमटी) भरने के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, और वार्षिक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 10 फरवरी, 2019 को इन एसपीआर को राष्ट्र को समर्पित किया।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट कमेटी (सीसीआई) और सीसीईए के निर्देशों के अनुरूप, एसपीआर में भरे जाने वाले कच्चे तेल की आंशिक लागत के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक मॉडल तलाशने का प्रयास किया गया। 25 जनवरी, 2017 को आईएसपीआरएल और एडनोक के बीच तेल भंडारण और प्रबंधन पर एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए गया। समझौते के अनुसार एडनोक ने मैंगलोर की कैवर्न ए को 0.75 एमएमटी डीएएस ग्रेड कच्चे तेल से भर दिया। एडनोक को आईएसपीआरएल द्वारा स्ट्रेटेजिक उपयोग के लिए न्यूनतम 50% भंडारण क्षमता बनाए रखना आवश्यक है। शेष 50% भंडारण क्षमता व्यावसायिक उपयोग के लिए एडनोक के पास उपलब्ध होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को आयोजित एक कैबिनेट बैठक के दौरान आईएसपीआरएल के व्यावसायीकरण को मंजूरी दे दी, जिसमें आईएसपीआरएल को एसपीआर कार्यक्रम के चरण–I के तहत कैवर्नों में संग्रहीत कच्चे तेल के साथ आंशिक वाणिज्यिक गतिविधियां करने की अनुमति दी गई, जिससे आईएसपीआरएल को किराए के लिए एसपीआर क्षमता का 30% और व्यापारिक उद्देश्य के लिए एसपीआर क्षमता का 20% उपयोग करने की अनुमति दी गई।

आईएसपीआरएल व्यावसायीकरण अधिदेश को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

विशेषताएं :

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। विशाखापत्तनम्, मैंगलोर एंव पादुर में एसपीआर के ओ एंड एम के संबंध में मुख्य बातें नीचे दी गई है:

1. विशाखापत्तनम (भंडारण क्षमता: 1.33 एमएमटी)

विशाखापत्तनम कैवर्न को 2015 में चालू किया गया था। इस सुविधा में दो कम्पार्टमेंट कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3 एमएमटी) हैं। कैवर्न ए स्ट्रेटेजिक कच्चे तेल के लिए है और यह भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से भरा जाता है। एचपीसीएल ने आनुपातिक लागत साझाकरण के आधार पर कैवर्न बी लिया है। एचपीसीएल द्वारा विशाखापत्तनम में अपने रिफाइनरी परिचालन के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान कैवर्न बी के लिए कुल तीस कच्चे शिपमेंट प्राप्तियां हुईं और एचपीसीएल की विशाखापत्तनम रिफाइनरी को 66 शिपमेंट जारी किए गए।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) रिपोर्ट नहीं की गई। एसपीआर पर पानी के पर्दा स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24x7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरे स्टेशन पर बोरहोल लॉग की हाइड्रोजियोलॉजिकल निगरानी की गई। निवारक रखरखाव गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी बनाए रखने के लिए आईएसपीआरएल द्वारा पारस्परिक सहायता सदस्यों और वैधानिक अधिकारियों के साथ दो मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुविधा का आईबी निरीक्षण 23 मार्च को पूरा हुआ।

विशाखापत्तनम में उपरोक्त सुविधाओं का दृश्य

2. मैंगलोर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

मैंगलोर कैवर्न सुविधा मैंगलोर एसईजेड क्षेत्र में स्थित है। सुविधा में 0.75 एमएमटी क्षमता की दो कैवर्नें हैं।

मैंगलोर कैवर्न बी को अक्टूबर, 2016 के महीने में चालू किया गया था। मैंगलोर के कैवर्न ए को भरने के लिए एडीएनओसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैंगलोर के लिए कच्चे तेल की पहली वीएलसीसी शिपमेंट को 12 मई, 2018 को माननीय पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा अबू धाबी से हरी झंडी दिखाई गई और 19 मई, 2018 को आईएसपीआरएल मैंगलोर में प्राप्त किया गया।

वर्ष 2022–23 के दौरान, मैंगलोर कैवर्न ए को दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 के दौरान ऊपरी जकुम ग्रेड के 3.1 मिलियन बीबीएलएस से भर दिया गया है, जिसे एडनोक द्वारा मौजूदा कच्चे तेल को बदलने के बाद लाया गया है।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) रिपोर्ट नहीं की गई। एसपीआर पर पानी के पर्दा स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24x7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियमित हाइड्रोजियोलॉजिकल निगरानी और बोर होल से पानी का नमूना लिया गया। निवारक रखरखाव गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई।

आईएसपीआरएल 2022 में मैंगलोर में पहली बार एलपीजी बुलेट डीकमीशनिंग और कमीशनिंग सुरक्षित रूप से की गई थी।

साइट पर जल संचयन तकनीकों को लागू करने से पानी के बिल में लगभग 48 लाख रुपये की कमी आई है।

दिनांक 24.09.2022 को सीएमडी–आईओसीएल श्री एस.एम. वैद्य का आईएसपीआरएल मैंगलोर का दौरा

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

पादुर परियोजना के लिए उडुपी जिले के पादुर गांव में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईडीबी) के माध्यम से 179 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है और इसे दिसंबर, 2018 में चालू किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान पादुर टीम ने आपातकालीन कॉलों का तुरंत जवाब देकर अग्निशमन में स्थानीय अधिकारियों को सहायता प्रदान की। संयंत्र परिसर के बाहर सात अग्नि कॉलों पर ध्यान दिया गया। आईएसपीआरएल पादुर टीम की समय पर प्रतिक्रिया की स्थानीय निकायों और जिला अधिकारियों द्वारा सराहना की गई है।

डीवाटरिंग पंप और ईटीपी तालाब पंप प्लेटफॉर्म संशोधन कार्य घरेलू संसाधनों के माध्यम से किए गए और सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए। फायर वॉटर इंजन पंप की बड़ी ओवरहालिंग पूरी हो गई जिसमें शाफ्ट रिप्लेसमेंट, ओवरहालिंग और कपलिंग रिप्लेसमेंट का काम शामिल था।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) रिपोर्ट नहीं की गई। एसपीआर पर पानी के पर्दा स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24X7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजियोलॉजिकल और बोर होल की निगरानी की गई। निवारक रखरखाव गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई।

भूमिगत स्ट्रेटेजिक कैवर्न का दृश्य

माननीय राज्य मंत्री एमओपीएनजी श्री रामेश्वर तेली जी का दौरा
09.10.2022 को आईएसपीआरएल मैंगलोर में

17.03.2023 को चरण–I विस्तार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एमएसईजैडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नोएडा एचओ कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा रैली

आईएसपीआरएल की चल रही परियोजनाओं की स्थिति

I. पादुर, जिला उडुपी, कर्नाटक में द्वितीय चरण के तहत 2.5 एमएमटी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार

पादुर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, आईएसपीआरएल ने नवंबर, 2020 में केआईएडीबी को भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता प्रस्तुत की। केआईएडीबी ने पादुर में 22 फरवरी, 2023 को 214.79 एकड़ भूमि के लिए अंतिम गजट अधिसूचना जारी की है और इसे 24 मार्च, 2023 को प्रेस में प्रकाशित किया गया है। एक मांग नोट जोकि 31.05.23 को केआईएडीबी से प्राप्त हुआ, के अनुसार 62.5 करोड़ रुपये के भुगतान के अलावा 98 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। आईएसपीआरएल द्वारा केआईएडीबी को कुल 160.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। केआईएडीबी डीसी, उडुपी के परामर्श से आर एंड आर पैकेज को अंतिम रूप देने और भूमि मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में है, केआईएडीबी द्वारा मार्च 2024 तक भूमि अधिग्रहण की उम्मीद है।

रियायतग्राही समझौते के लिए बाधा मुक्त भूमि प्रदान करना एक शर्त है। पादुर में एसपीएम के लिए समुद्री सर्वेक्षण, मॉडलिंग और अपतटीय पाइपलाइन मार्ग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

मैसर्स डेलॉइट टोचे को आरएफपी तैयारी के लिए लेनदेन सलाहकार और पीपीपी मॉडल के लिए आवश्यक चरण II के रियायती समझौते की तैयारी के लिए कानूनी सलाहकार मैसर्स एजेडबी पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अनुमान है कि पादुर के लिए आरएफपी वित्तीय वर्ष 2023–24 में जारी किया जाएगा।

चांदीखोल, जिला जाजपुर, ओडिशा में द्वितीय चरण के तहत 4.0 एमएमटी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार

ईआईएल द्वारा डीएफआर अध्ययन पूरा होने के बाद, 4 एमएमटी क्षमता की एसपीआर सुविधाएं स्थापित करने के लिए चांदीखोल में 400 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए आईएसपीआरएल द्वारा एक आवेदन 30 सितंबर, 2019 को ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सरकार भूमि आवेदन के मूल्यांकन के बाद ओडिशा सरकार ने आईएसपीआरएल को चांदीखोल, ओडिशा के पास एक वैकल्पिक स्थान की संभावना तलाशने की सलाह दी।

आईएसपीआरएल ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डेस्कटॉप अध्ययन किया और उपग्रह चित्रों की समीक्षा की और पारादीप के पास तीन संभावित स्थानों की पहचान की, ये साइटें हैं:

i) **सिधा गुफा हिल** : यह क्षेत्र चांदीखोल के दक्षिण पूर्व और पारादीप से लगभग 55 किमी दूर स्थित है

ii) **बलरामपुर पहाड़ी** : यह क्षेत्र चांदीखोल के उत्तर में और पारादीप से लगभग 87 किमी दूर ब्राह्मणी नदी के बैल मोड़ के पास स्थित है।

iii) **रहदपुर पहाड़ी** : यह क्षेत्र चंडीखोल के उत्तर में और पारादीप से लगभग 80 किमी दूर स्थित है।

सभी तीन संभावित साइटों का मूल्यांकन करने के लिए 23 और 24 मई, 2023 को ईआईएल और आईएसपीआरएल के वरिष्ठ अधिकारियों का एक संयुक्त साइट दौरा किया गया था। मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और पसंदीदा स्थान के रूप में विकल्प (i) की सिफारिश की है।

रिपोर्ट ओडिशा सरकार को उनकी अंतिम सहमति के लिए 31 जुलाई 2023 को को भेज दी गई है।

II. विस्तार के तहत 1.5/2.0 एमएमटी मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार।

17.02.2023 को प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) ने मैंगलोर एमएसईजेडएल में एसपीआर और संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा भूमि (154.9 एकड़) के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईएसपीआरएल ने 17 मार्च, 2023 को एमएसईजेडएल क्षेत्र मैंगलोर में 154.90 एकड़ भूमि के प्लॉट आकार के लिए एमएसईजेडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ईआईएल को उपरोक्त साइट के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है।

नई परियोजनाओं के लिए पीएफआर/डीएफआर : बीकानेर में कच्चे तेल के भंडारण के लिए साल्ट कैवर्न्स के निर्माण के लिए डीएफआर, बीना में स्ट्रेटेजिक भंडार के लिए पीएफआर, मैंगलोर एंव पादुर में जमीन के ऊपर भंडारण टैंक के लिए पीएफआर का अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है।

सामान्य विशेषताएँ

1. आईएसपीआरएल का विषयगत ऑडिट सीएजी द्वारा पांच महीने की अवधि के लिए किया गया था जिसमें आईएसपीआरएल की स्थापना, परियोजना चरण और संचालन चरण के बाद से विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी।
2. यूएस डीओई प्रतिनिधि ने एसपीआर संचालन और प्रथाओं पर सहयोग हेतु चर्चा के लिए 14 नवंबर, 22 को आईएसपीआरएल एचओ और 15 नवंबर, 22 को आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम का दौरा किया।
3. कैवर्न ए मैंगलोर में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भरने में तेजी लाने और कराधान मुद्दे पर चर्चा के लिए 18 जनवरी, 2023 को एडनोक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी।
4. ओटीटीसीओ कच्चे तेल भंडारण टर्मिनल परियोजना की समीक्षा करने और ओटीटीसीओ की परियोजना में आईएसपीआरएल की भागीदारी की खोज के लिए आईएसपीआरएल अधिकारियों का राज मरकज ओमान का दौरा।

आईएसपीआरएल, विशाखापत्तनम कैवर्न पोर्टल क्षेत्र में डीओई से अमेरिकी प्रतिनिधि

सचिव, ओआईडीबी द्वारा ऊर्जा विभाग, यू.एस. की प्रधान उपनिदेशक सुश्री मोनिका न्यूकोम का स्वागत करते हुए।

आईएसपीआरएल, पादुर

पादुर का शाफ्ट क्षेत्र

लाभांश

आपका निदेशक मंडल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

आरक्षित को अंतरण

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हुए घाटे को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के रिजर्व्स में अंतरित कर दिया गया है।

सार्वजनिक जमा

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी ने आम जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किया है और तदानुसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड ने लेखा–परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

1. श्री प्रवीण मल खनूजा, एएस, एमओपीएंडएनजी/निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष
2. सुश्री कामिनी चौहान रतन, एएस एंड एफए, एमओपी एंड एनजी / निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य
3. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, ओएसडी (आईसी), एमओपीएंडएनजी/निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य
4. सुश्री वर्षा सिन्हा, सचिव, ओआईडीबी/निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य
5. श्री एल. आर. जैन, मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुबंध–क** में दी गई हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया है।

सीएसआर समिति में 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित निदेशक शामिल थे ;

1. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, ओएसडी (आईसी), एमओपीएंडएनजी/निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्षा
2. श्री एल. आर. जैन, मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुबंध–क** में दी गई हैं।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक के वार्षिक रिटर्न की एक प्रति अपनी वेबसाइट पर रखी है। https://isprlindia.com/annual-report.asp.

बोर्ड की बैठकें

वित्त वर्ष 2022–23 में कंपनी के निदेशक मंडल की छह बैठकें हुईं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

1. 2 जून, 2022

2. 12 अगस्त, 2022

3. 18 अक्टूबर, 2022

4. 04 नवम्बर, 2022

5. 17 नवम्बर, 2022

6. 16 मार्च, 2023

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुबंध–क** में दी गई हैं।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है, जिसके संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी की निरंतर सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनी के प्रचालनों से जुड़े जोखिम की पहचान करने और जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से जुड़े प्रमुख जोखिम कच्चे तेल की प्राप्ति और भंडारण एवं वितरण से संबंधित हैं। मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और पर्याप्त बीमा कवर अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जाता है।

शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयर पूंजी जारी नहीं की है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे :

क)	मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक	–	श्री एल. आर. जैन (31.10.2022 से)
ख)	मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	–	श्री अजय दशोरे (17.06.2022 से 30.10.2022 तक)
ग)	मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक	–	श्री एच.पी.एस. आहुजा (01.06.2022 तक)
घ)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	–	श्री गोपेश्वर कुमार सिंह
ङ)	कंपनी सचिव	–	सुश्री शिल्पी मोहंती (06.06.2023 से)
च)	कंपनी सचिव	–	श्री अरुण तलवार (15.05.2023 तक)

पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल के बोर्ड में मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) द्वारा नामित पदेन निदेशक हैं। मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति आईएसपीआरएल बोर्ड द्वारा की जाती है। एमओपी एंड एनजी द्वारा नामित पदेन निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। आईएसपीआरएल में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्यरत अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

श्री एल. आर. जैन, मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल (31.10.2022 से) और मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक आईएसपीआरएल बोर्ड और एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित उनके रोजगार के नियमों एवं शर्तों के अनुसार है।

श्री अजय दशोरे, जो उप मु.का.आ. के रूप में कार्यरत हैं। मु.का.आ./प्रमुख (तकनीकी), आईएसपीआरएल मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल के अतिरिक्त प्रभार पर थे (17.06.2022 से 30.10.2022 तक)। श्री अजय दशोरे ओएनजीसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं और ओएनजीसी में अपने रोजगार के नियमों एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

श्री एचपीएस आहुजा, पूर्व मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक (01.06.2022 तक) जो ओएनजीसी से प्रतिनियुक्ति पर थे, 31 अक्टूबर, 2019 को ओएनजीसी से सेवानिवृत्त हो गए और बोर्ड एवं शेयरधारको द्वारा एजीएम में अनुमोदित नियमों एवं शर्तों पर आईएसपीआरएल के साथ मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक के रूप में बने रहे।

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

बैलेंस शीट से संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष एवं रिपोर्ट की तारीख की समाप्ति के बाद किसी प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेशों का ब्यौरा कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है

नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जिनसे भविष्य में सतत प्रतिष्ठान स्तर और कंपनी के प्रचालन प्रभावित होंगे।

सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी के पास कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनी नहीं है।

लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षा :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने मैसर्स प्रसाद आजाद एंड कंपनी (डीई0029), 1207, सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 को कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने प्रस्तुत किया है 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर उनकी रिपोर्ट (**अनुबंध–बी**)। शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उस पर प्रबंधन का उत्तर **अनुबंध–सी** के रूप में संलग्न है।

सीएडंएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा :

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत सी एंड एजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की गई। सी एंड एजी ने आईएसपीआरएल के वित्तीय विवरण पर पत्र दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी हैं।

क. संचालन एवं रख–रखाव का व्यय : वर्ष 2021–22 के लिए ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, प्राप्य / के खिलाफ ओ एंड एम व्यय की भरपाई की सही प्रस्तुति के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की राय कंपनी द्वारा भारत सरकार/एमओपीएंडएनजी, एडनोक और एचपीसीएल से प्राप्त राशि की मांग नहीं की गई थी।

ख. कच्चे तेल का लेखा–जोखा : वर्ष 2021–22 के ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, वित्तीय विवरणों में इसके लेखांकन के लिए आईसीएआई की राय नहीं मांगी गई थी।

आईएसपीआरएल सीएजी की टिप्पणियों के अनुरूप पर्याप्त कार्रवाई करेगा।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा :

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड ने मैसर्स पीजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों, 106, महागुन मॉर्फियस, ई–4, सेक्टर–50, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सचिवीय ऑडिट करने के लिए कंपनी सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है (**अनुलग्नक–घ**)। शेयरधारकों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है।

लागत लेखा–परीक्षा

अधिनियम की धारा 148 के संदर्भ में, कंपनी को किसी लागत लेखाकार से लागत के अपने रिकॉर्डों की लेखा– परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी ने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर कैवर्न को चालू कर दिया है। ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेश के संबंध में प्रकाशित करने के लिए कंपनी के पास कोई सूचना नहीं है।

वर्ष के दौरान कंपनी को 1,454.56 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इसके अलावा, इसने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुल मिलाकर समीक्षाधीन अवधि के दौरान ₹4,782.39 लाख की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास समीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों के संदर्भ के पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति कंपनी जीरो टॉलरेंस रखती है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध एवं रोकथाम और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक नीति भी है, जिसमें 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013' में निहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। कंपनी ने उक्त अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को उक्त अधिनियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

बोर्ड का मूल्यांकन

बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

वर्ष 2022–23 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया या निवेश नहीं किया गया। कंपनी ने वाणिज्यिक कर कार्यालय से केएसटी/सीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एसीसीटी, एलजीएसटीओ–260 (जीएसटी प्राधिकरण) के पक्ष में 50,000/– रुपये की बीजी दी है। कंपनी द्वारा गिरवी रखे गए रुपये 50,000/– की एफडी के खिलाफ बीजी दी गई थी।

कंपनी ने पत्थर खदानों के अनुबंध से संबंधित वित्तीय आश्वासन के लिए उप निदेशक, डीएमजी, मैंगलोर के पक्ष में 1,45,000/– रुपये की एफडी गिरवी रखी है।

आईएसपीआरएल द्वारा विकास आयुक्त एमएसईजेड मैंगलोर को विशेषकर आर्थिक क्षेत्रों के नियम 25 का प्रावधानों के संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं के नियम 2006 के कारण प्राप्त छूट वापसी उपकरण एवं रियायतों के लाभों के संबंध में रु.100.80 करोड की बॉन्ड सहित कानूनी शपथ पत्र दिया गया है।

संबंधित पक्ष कारोबार

सभी संबंधित पक्ष लेनदेन मु.का.अ. एंव प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल, मु.वि.आ., आईएसपीआरएल और कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, ओआईडीबी को खर्चों की प्रतिपूर्ति, ओआईडीबी से प्राप्य अनुदान, ओआईडीबी की ओर से किए गए व्यय, संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण तक सीमित थे। केएमपी को संयंत्र और उपकरण (पीपीई) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में होते हैं और आर्म लेंथ के आधार पर होते हैं और प्रकृति में भौतिक नहीं होते हैं।

सचिवालयी मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

इस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीस ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सचिवालयी मानकों का कम्पनी द्वारा पूर्णतया पालन किया जाता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत आवश्यक है, आपकी कंपनी का निदेशक मंडल इसके द्वारा बयान करता है और पुष्टि करता है कि :

(क) वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी है तथा उनका लगातार प्रयोग किया है एवं ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन तैयार किए हैं जो 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों तथा उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि के बारे में सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत एवं समीचीन हैं;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जांच के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा लेखांकन के पर्याप्त रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ''सतत प्रतिष्ठान'' आधार पर लेखा तैयार किया है;

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने समुचित प्रणालियां तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं;

निदेशक मंडल

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में पांच अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक और एक पूर्णकालिक मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

1. श्री पंकज जैन (डीआईएन– 00675922) सचिव, एमओपीएंडएनजी– अध्यक्ष (नियुक्ति 20.01.2022 से प्रभावी)
2. श्री प्रवीण मल खनूजा (डीआईएन - 09746472) एएस, एमओपीएंडएनजी / निदेशक, आईएसपीआरएल (नियुक्ति 17.02.2023 से प्रभावी)
3. सुश्री कामिनी चौहान रतन (डीआईएन - 09831741), एएस एंड एफए, एमओपी एंड एनजी / निदेशक, (नियुक्ति 21.12.2022 से प्रभावी)
4. सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन– 08504560), आर्थिक सलाहकार, एमओपीएंडएनजी (22.12.2021 से नियुक्ति)
5. सुश्री वर्षा सिन्हा, (डीआईएन - 09825811), सचिव, ओआईडीबी / निदेशक (नियुक्ति 15.12.2022 से प्रभावी)
6. श्री एल. आर. जैन (डीआईएन - 08505199), मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक (नियुक्ति 31.10.2022 से प्रभावी)

01 अप्रैल, 2022 के बाद निम्नलिखित निदेशक आईएसपीआरएल के बोर्ड में निदेशक नहीं रह गए :

1. श्री एचपीएस आहुजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (समाप्ति 01.06.2022)
2. श्री अजय दशोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (17.06.2022 से 30.10.2022 तक)
3. सुश्री यतिन्दर प्रसाद, जेएस एवं एफए, एमओपी एवं एनजी – निदेशक (11.10.2022 से 21.11.2022 तक)
4. श्री गुड्डे श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार –निदेशक (समाप्ति 26.09.2022)
5. श्री नवनीत मोहन कोठारी, सचिव, ओआईडीबी / निदेशक (समाप्ति 30.11.2022)

अभिस्वीकृति

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(ईशा श्रीवास्तव)	**(एल आर जैन)**
निदेशक	**मु.का.अ. एंव प्रबंध निदेशक**
(डीआईएन : 08504560)	**(डीआईएन : 08505199)**

दिनांक : 26.09.23
स्थान : नई दिल्ली

(अनुलग्नक–I)

बोर्ड समितियों और बोर्ड की बैठकों का विवरण एवं निदेशकों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या :

लेखा परीक्षा समिति :

लेखा परीक्षा समिति ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में दो बैठक की।

31 अक्टूबर, 2022 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में निदेशक की उपस्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्त वर्ष 2022–23 में उपस्थित
1.	सुश्री यतिन्दर प्रसाद	अध्यक्ष	1
2.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव	सदस्य	1
3.	श्री एल. आर. जैन	सदस्य	1

3 मार्च, 2023 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में निदेशक की उपस्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्त वर्ष 2022–23 में उपस्थित
1.	श्री प्रवीण मल खनूजा	अध्यक्ष	1
2.	सुश्री कामिनी चौहान रतन	सदस्य	1
3.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव	सदस्य	1
4.	श्री एल. आर. जैन	सदस्य	1

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति :

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

निदेशक मंडल :

कंपनी के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में छह बैठकें की :

1. 02 जून, 2022
2. 12 अगस्त, 2022
3. 18 अक्टूबर, 2022
4. 04 नवंबर, 2022
5. 17 नवंबर, 2022
6. 16 मार्च, 2023

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों के लिए निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या
1.	श्री पंकज जैन (20.01.2022 से प्रभावी)	अध्यक्ष	6
2.	श्री प्रवीण मल खनूजा (17.02.2023 से प्रभावी)	निदेशक	1
3.	सुश्री कामिनी चौहान रतन (21.12.2022 से प्रभावी)	निदेशक	1
4.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (22.12.2021 से प्रभावी)	निदेशक	5
5.	सुश्री वर्षा सिन्हा (15.12.2022 से प्रभावी)	निदेशक	1
6.	श्री एल. आर. जैन (31.10.2022 से प्रभावी)	मु.क.आ. एवं प्रबंध निदेशक	3
7.	डॉ. एन. एम. कोठारी (30.11.2022 तक)	निदेशक	5
8.	सुश्री यतिन्दर प्रसाद (21.11.2022 तक)	निदेशक	3
9.	श्री अजय दशोरे (30.10.2022 तक)	मु.क.आ. एवं प्रबंध निदेशक	2
10.	श्री गुड्डे श्रीनिवास (26.09.2022 तक)	निदेशक	शून्य
11.	श्री एच.पी.एस. आहुजा (01.06.2022 तक)	मु.क.आ. एवं प्रबंध निदेशक	शून्य

अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (''आईएडडी एएस'') और भारत में लेखांकन के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की कुल व्यापक आय की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाहों की सच्ची एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

विचारों का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, और उसके अधीन नियम, हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय की प्रमुखता

1. हम आपका ध्यान वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31(ii)(ए) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2020–21 के अपने पूरक ऑडिट के दौरान सीएण्डएजी को दिए गए आश्वासन के खिलाफ एमओपीएनजी से स्पष्टीकरण/सलाह लंबित होने के कारण मामले पर एमओपीएनजी से स्पष्टीकरण और कच्चे तेल की मात्रा, कच्चे तेल के लेनदेन और इसकी सूची के मूल्य के लेखांकन के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2021–2022 के पूरक ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा सी एंड एजी को दिया गया आश्वासन। खाते की किताबें और वित्तीय विवरण, हालांकि, कंपनी ने आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार की राय नहीं लेना पसंद किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपने खाते की किताबों और वित्तीय विवरणों में इसे शामिल नहीं किया है और पहले के वर्षों की तरह नोट में केवल कच्चे तेल भंडार के मात्रात्मक विवरण का खुलासा करना जारी रखा है।

2. हम आपका ध्यान वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31(ii)(बी) की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2021–22 के लिए उनके पूरक ऑडिट के दौरान सी एंड एजी को दिए गए आश्वासन के खिलाफ आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार की राय लंबित है। चरण–I के लिए ओ एंड एम अनुदान और संबंधित ओ एंड एम खर्चों के लेखांकन के संबंध में, कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण के आधार पर ऑफसेट करना जारी रखा है और पहले के वर्षों की तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस पर विचार नहीं किया गया है।

3. हमने कंपनी की 85वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त से देखा कि कंपनी का विषयगत ऑडिट वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएण्डएजी द्वारा किया गया था और सीएण्डएजी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। कंपनी ने हमें समझाया कि विषयगत ऑडिट रिपोर्ट गोपनीय है और इसे संसद में प्रस्तुत किए जाने तक साझा नहीं किया जा सकता है और इसमें की गई टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा विषयगत ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर हिसाब लगाया जाएगा।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें एवं ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी को भौतिक रूप से गलत बताया जाना अन्यथा प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां एवं वित्तीय विवरणों के लिए सरकार से प्रभारित

कंपनी का निदेशक मंडल इंड एएस तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन के मानकों सहित भारत में लेखांकन के अन्य सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में लेखांकन के पर्याप्त रिकार्ड रख–रखाव करना लेखांकन की उपयुक्त नीतियों का चयन करना और लागू करना युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिजाइन तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन के संगत रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहे थे जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल सतत् प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की कंपनी की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने, सतत् प्रतिष्ठान के संबंध में यथालागू प्रकटन करने तथा लेखांकन के सतत् प्रतिष्ठान आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त नहीं करना चाहता है या प्रचालन बंद नहीं करना चाहता है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी;

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। हम अपनी राय को संशोधित कर सकते हैं यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति को प्राप्त करता है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हम **''अनुबंध क''** में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक विवरण प्रदान करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) निदेशकों से 31 मार्च, 2023 तक लिखित रूप में प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशकों में से कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में **''अनुबंध ख''** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय है कि ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 (16) के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में एवं हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसरण में तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 22.2 (ए) देखें।

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभास योग्य नुकसान था – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 31(xxxix) देखें।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 31(xxxx) देखें।

iv. (क) कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, जैसा कि नोट संख्या 31 (xxx) (क) में वित्तीय विवरणों में बताया गया है, कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या फंड) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थों'') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्थाओं में समझदारी के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा सीधे या परोक्ष रूप से कंपनी

द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा (''अंतिम लाभार्थी'') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करें।

(ख) कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 31 (xxx) (बी) में बताया गया है, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है या इकाई (यों), विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियां'') सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करें।

(ग) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, कोई सामग्री गलत विवरण शामिल है।

v. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है, तदनुसार नियम 11(एफ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vi. जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान केवल 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी के लिए लागू है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग है लागू नहीं।

अधिनियम की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्र.सं.	निर्देशन	लेखापरीक्षा के उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास कच्चे तेल की बिक्री के लिए बिलिंग एडनोक एवं एमआरपीएल से परिचालन आय और रॉक बिक्री, फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड्स, लीव रिकॉर्ड्स, पेरोल, ग्रांट रिकॉर्ड्स को छोड़कर आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसके लिए लेखांकन लेनदेन के बाहर प्रसंस्करण का कोई निहितार्थ नहीं है। खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली से बाहर होने पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया।
(ii)	क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए ऋण/ब्याज आदि को माफ करन/बट्टे खाते में डालने के मामले में मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब–किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए ऋण/ब्याज आदि को माफ करना/बट्टे खाते में डालने के मामले में मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है।

क्र.सं.	निदेशन	लेखापरीक्षा के उत्तर
(iii)	क्या केंद्र/राज्य सरकार एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्र/राज्य सरकार की अपनी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उनके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया जाता है।

प्रसाद आजाद एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्याः 001009एन

हस्ताक्षर
(के.एम. आजाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या 005125
यूडीआईएनः 23005125BHANKS2483

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 जुलाई, 2023

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक–क''

[अनुबंध–क को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** के सदस्यों को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट की 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैरा 1 में संदर्भित किया गया है।]

इस तरह की जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) (क)(क)कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों (पाइपलाइनों के लिए आरओयू) का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को विशाखापत्तनम इकाइयों में बाहरी एजेंसी के माध्यम से और आंतरिक रूप से मैंगलोर और पादुर इकाई में चरणबद्ध तरीके से प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो कि हमारी राय में उचित है। कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति के अनुसार हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।

(ग) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2 में प्रकट अचल संपत्तियों (उपयोग संपत्ति का अधिकार) के शीर्षक विलेख **नीचे दिए गए मामलों** को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखे गए हैं: (वित्तीय विवरण सं. 31(xix)) का संदर्भ ले।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रूपये में)	के नाम से आयोजित किया गया	चाहे प्रवर्तक हो निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	आयोजित अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
उपयोग का अधिकार – मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि (104.73 एकड़)	रू. 8492.50 लाख	मैंगलोर एसईजैड लिमिटेड और कंपनी के बीच 7 मार्च, 2017 को हुआ लीज एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं है।	नहीं	आयोजित अवधि – जहां उपयुक्त हो सीमा इंगित करें भूमि के कब्जे की तिथि से 26 जनवरी, 2060 तक लीज पर है। 100.02 एकड़ के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध आवंटन की तारीख 23.11.2009 है और 4.71 एकड़ के लिए 11.04.2018 है। हालाँकि, कब्जे की डिलीवरी की तारीख का दस्तावेज कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है।	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी लीज डीड के पंजीकरण के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड से संपर्क कर रही है।

(घ) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 के 1988) बने नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है।

ii)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन ने स्वतंत्र सर्वेक्षकों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से कैवर्न बी और एडनोक की ओर से कैवर्न ए मैंगलोर में भारत सरकार की ओर से विशाखापत्तनम एवं पादुर में उचित अतंराल पर कच्चे तेल की सूची का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, क्रूड की प्रकृति और स्थान को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया को उपयुक्त माना जाता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्तमान सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से, वर्ष के किसी भी समय, कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iii) (क) से (च) के द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अथवा किसी प्रकार का काई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए कोई ऋण, निवेश या गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने उस वर्ष के दौरान, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कोई अन्य जमाराशि या राशि को जमा माना जाता है, स्वीकार नहीं किया है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान लागू होते हैं।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत की केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii)(क) कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की गई और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित रही है। कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया उपयुक्त अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए अविवादित बकाया वैधानिक देय राशि का कोई बकाया नहीं है। **नीचे बताए गए:**

छह महीने से अधिक समय से बकाया वैधानिक बकाया का विवरण

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशि के प्रकार	राशि (लाख ₹ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है।	देय तिथि	भुगतान की तिथि	टिप्पणी यदि कोई है तो
1.	आयकर अधिनियम, 1961	मूल्यांकन पर मांग धारा 143(3) के तहत की गई	117.84	वित्तीय वर्ष 2015–16 (वर्ष 2016–17)	टिप्पणियाँः कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मांग का भुगतान पहले ही कर दिया है, हालांकि आयकर पोर्टल पर बकाया के रूप में प्रदर्शित होने के बाद से कर विभाग द्वारा समायोजन लंबित है।		
2.	आयकर अधिनियम, 1961	मूल्यांकन पर मांग धारा 143(3) के तहत की गई	31.70	वित्तीय वर्ष 2016–17 (वर्ष 2017–18)	टिप्पणियाँः कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मांग का भुगतान पहले ही कर दिया है, हालांकि आयकर पोर्टल पर बकाया के रूप में प्रदर्शित होने के बाद से कर विभाग द्वारा समायोजन लंबित है।		

(ख) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सहित कोई वैधानिक बकाया नहीं था। मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई वैधानिक देय **जो नीचे बताए** गए को छोड़कर किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

विवादित बकाया का विवरण

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	देय राशि के प्रकार	राशि (लाख ₹ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है।	फोरम जहां विवाद लंबित है	यदि कोई टिप्पणी है तो
1.	आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियम 1996	रॉयल्टी	11,795.03	31.03.2018 तक	खान और भूविज्ञान निदेशालय, आंध्र प्रदेश	–
2.	आयकर अधिनियम, 1961	मूल्यांकन पर मांग धारा 154 के तहत की गई	0.29	वित्तीय वर्ष 2017–18	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के तहत	–
3.	कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम, 1993	संपत्ति कर	821.68	वर्ष 2015–16 से 2022–23	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, उडुपी	–

viii) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कोई लेन–देन नहीं था, खाते की बुक्स में दर्ज नहीं किया गया था, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया था।

ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की गई और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xi) (क) हमारे ऑडिट के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार एवं हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच की गई। कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी वर्ष के दौरान नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत फॉर्म एडीटी–4 में हमारे द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) (क), (ख) और (ग) के अनुसार हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो, और सभी संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि आवश्यक है। (लागू भारतीय लेखा मानक, वित्तीय विवरणों के लिए नोट 23 देखें)

xiv)(क) कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की गई और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, **हालांकि, कंपनी के व्यवसाय के प्रारूप को बनाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है।**

(ख) हमने आज तक जारी कंपनी की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है और ऑडिट के तहत वर्ष के लिए हमें उपलब्ध कराया है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने पूर्व–मु.का.आ. एवं प्रबंध निदेशक और एक पूर्वनिदेशक के साथ गैरनकद लेनदेन में प्रवेश किया है, उनमें से प्रत्येक को एक आईपैड हस्तांतरित किया गया है जिसकी लागत ₹ 1.73 लाख [बुक वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) ₹ 1.44 लाख] **जो निःशुल्क है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।**

xvi) (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की गई और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या हाउसिंग फाइनेंस गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की गई और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और न ही समूह के पास कोई सीआईसी है। तदनुसार, आदेश के इन खंडों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, आगे बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं की जानकारी एवं मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो गया है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख, अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है कंपनी, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय

होती है। हालांकि, हमारी जानकारी के अनुसार यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

xx) (क) और (ख) के अनुसार हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xxi) आदेश के इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

प्रसाद आजाद एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्याः 001009एन

हस्ताक्षर
(के.एम. आजाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या 005125
यूडीआईएनः 23005125BHANKS2483

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 जुलाई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक–बी''

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपने लेखा परीक्षण के साथ उस तारीख तक **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन 'वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण' के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा में दर्शाये गये नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रटियों की रोकथाम और पता लगाना शामिल है, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर गाईडेंस नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिट पर मानकों के अनुसार किया और अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना गया, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी प्रकार के मामलों के प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक प्रकार की सामग्री कमजोरी मौजूद है, मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, यह लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन–देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करना शामिल है, सामग्री का गलत प्रकटीकरण जोकि त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्तर बिगड़ सकता है।

उचित विचार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर 31 मार्च, 2023 को निम्नलिखित कमजोरियों की पहचान की गई है:

(i) कंपनी ने वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कर चालान जारी नहीं किया है।

(ii) परिसंपत्तियों की बिक्री, कर्मचारियों को अग्रिम अनुदान, कर्मचारी प्रतिपूर्ति, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पुराने शेष को बट्टे खाते में डालने/वापस लिखने के लिए कोई नीति नहीं है।

(iii) कंपनी द्वारा (एक सलाहकार के माध्यम से) किए गए परीक्षण में कुछ कमियां बताई गईं, जिन्हें कंपनी द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

एक ''वस्तुगत कमजोरी'' वित्तीय विवरणों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण में कमी या कमियों का संयोजन है; इस तरह कि इस बात की उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों की सामग्री को गलत तरीके से रोका नहीं जा सकता अथवा समय पर इसका पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी समझदारी में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित वस्तुगत कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी प्रकार के मामलों में, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो ''आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर प्रभावी थे।

हमारे द्वारा पहचान की गई भौतिक कमजोरी पर हमने विचार किया है और वस्तुगत का निर्धारण करके उपरोक्त में रिपोर्ट की है, कंपनी में 31 मार्च, 2023 के वित्तीय विवरणों में लागू ऑडिट परीक्षण के समय एवं सीमा और वस्तुगत कमजोरी को कपंनी के वित्तीय विवरणों को हमारे विचार से प्रभावित नहीं करती है।

प्रसाद आजाद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्याः 001009एन

हस्ताक्षर
(के.एम. आजाद)
साझेदार
सदस्यता संख्या 005125
यूडीआईएनः 23005125BHANKS2483

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 जुलाई, 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, धारा के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 143(10)। ऐसा उनके द्वारा 11 जुलाई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ को सक्षम और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक हैं।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
खर्च
संचालन एवं रखरखाव व्ययः ₹13,693.03 लाख

संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) खर्चों के लिए कंपनी द्वारा किए गए ₹13,693.03 लाख के व्यय को धारा 2(13) के उल्लंघन में, भारत सरकार/एमओपीएंडएनजी, एडनोक और/या एचपीसीएल से वसूली योग्य/वसूली खर्चों के विरुद्ध समायोजित कंपनी अधिनियम, 2013 और इंडस्ट्रीज एएस 01 के पैरा 32 के साथ–साथ आईएसपीआरएल के एसोसिएशन का ज्ञापन किया गया है।

वर्ष 2021–22 के ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, भारत सरकार से प्राप्य/प्राप्त राशि के विरुद्ध ओएंडएम व्यय की भरपाई की सही प्रस्तुति के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की राय/ कंपनी द्वारा एमओपीएंडएनजी, एडीएनओसी एव एचपीसीएल की मांग नहीं की गई थी।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ
31 मार्च 2023 तक बैलेंस शीट
संपत्ति
वर्तमान संपत्तिः ₹5113.85 लाख

आईएसपीआरएल भारत सरकार की ओर से कच्चे तेल की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन कर रहा है। आईएसपीआरएल ने अपने खातों में 3014333.38 मीट्रिक टन कच्चे तेल का मूल्य ₹5,32,397.96 लाख बताया है। आईएसपीआरएल द्वारा कच्चे तेल की खरीद/बिक्री और सूची का लेखा–जोखा नहीं किया गया है।

वर्ष 2021–22 के ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, वित्तीय विवरणों में इसके लेखांकन के लिए आईसीएआई की राय नहीं मांगी गई थी।

कृते एवं भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर
सी. एम. साने
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक, मुंबई

स्थानः मुंबई
दिनांकः 08 सितंबर 2023

फार्म एम आर–3
सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2023 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर

तीसरा तल, बाबर रोड,

नई दिल्ली–110001

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (इसके तदपश्चात ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय ऑडिट किया है **CIN No-U63023DL2004GOI126973** सचिवालयी लेखापरीक्षा इस तरह से आयोजित किया गया था जिससे हमें उचित कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार था।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतदद्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका एवं एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को दिया गया है:

हमनें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी द्वारा रखे गये बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय; **लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

  (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: **लागू नहीं**

  (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992: **लागू नहीं**

  (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का मुद्दा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018: **लागू नहीं**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 2021: **लागू नहीं**

(ङ) कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीबद्ध होना) विनियम, 2021: **लागू नहीं**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018: **लागू नहीं**

(vi) अन्य लागू विधियां :

I) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934;

ii) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

iii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम 2013

(vii) पर्यावरणीय कानून :

i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

iv) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016

हमनें कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विश्वास किया है।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : **लागू नहीं**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

- कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के उल्लंघन के लिए कंपनी के उप रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के एनसीटी से दिनांक 17.05.2022 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। कंपनी ने 10 जून, 2022 को अपना जवाब दाखिल किया। सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ इस संबंध में संबंधित प्राधिकारी से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुछ बोर्ड बैठकें और समिति की बैठकें कम समय के नोटिस पर बुलाई गईं, एजेंडा पर विस्तृत नोट्स के साथ एजेंडा शॉर्ट नोटिस पर भेजा गया और निदेशकों से सहमति ली गई। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड / समिति की बैठकों के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए कार्यवृत्त के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने किसी भी एजेंडा मद पर कोई असहमति व्यक्त नहीं की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली घटनाओं / कार्रवाई नहीं की है।

कृते पीजी और एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ताक्षर

सी एस प्रीति ग्रोवर

(प्रोपराइटर)

एफसीएस नंबर 5862, सी पी नं.: 6065

पीयर रिव्यू नं. 772 / 2020

स्थान : नोएडा

दिनांक : 18.05.2023

यूडीआईएनः एफ005862ई000330230

अनुलग्नक–क

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

ऑडिट के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (''आईसीएसआई'') द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग मानकों सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 (''सीएसएएस'') के अनुसार किया। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि ऑडिटर वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करें और लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित ऑडिट की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या भौतिक गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही ऑडिट ठीक से योजनाबद्ध हो और सीएसएएस के अनुसार किया गया हो। सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और जिसके लिए हमने वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पीजी और एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ताक्षर
सी एस प्रीति ग्रोवर
(प्रोपराइटर)
एफसीएस नंबर 5862, सी पी नं.: 6065
पीयर रिव्यू नं. 772/2020

स्थान : नोएडा
दिनांक : 18.05.2023
यूडीआईएनः एफ005862ई000330230

अनुलग्नक–ख

सत्यापित दस्तावेजों की सूची

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन के लिए कंपनी की वेबसाइट, जहां भी लागू हो।
3. लेखा–परीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।
4. लेखापरीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
5. सांविधिक रजिस्टर अर्थात
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
6. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों/सदस्यों को प्रस्तुत नोटिस और एजेंडा पेपर।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 और 164(2) के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं/सूचना।
8. 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दायर किए गए सभी ई–फार्म और ऑडिट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी संलग्नक।
9. मैंगलोर, विशाखापत्तनम एवं पादुर के लिए प्रेशर वेसल में एलपीजी गैस स्टोर करने का लाईसेंस 30.09.2027.
10. मैंगलोर और पादुर के लिए दबाव वाले जहाजों में तरल नाइट्रोजन गैस को स्टोर करने का लाईसेंस 30.09.27 तक और विशाखापत्तनम के लिए 30.09.2026 तक वैध है।
11. मैंगलोर के लिए एचएसडी स्टोर करने का लाईसेंस 31.12.2027 तक वैध, पादुर के लि 31.12.2025 तक वैध और विशाखापत्तनम के लिए 31.12.2024 तक वैध।
12. मैंगलोर के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25(4) के तहत बहिःस्राव और वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत उत्सर्जन के लिए सहमति 30.06.26 तक वैध है; विशाखापत्तनम 31.10.25 तक वैध है।
13. विशाखापत्तनम के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए सीसीओई की मंजूरी 31.12.2023 तक, पादुर के लिए 31.12.2025 तक और मैंगलोर के लिए 31.12.2025 तक वैध है।
14. विशाखपत्तनम के लिए फैक्ट्रीस लाईसेंस रद्द होने तक वैध, पादुर के लिए 31.12.2029 तक और मैंगलोर के लिए 31.12.2027 तक वैध।
15. स्टेटिक और मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) नियम, 2016 एसएमपीवी (यू) नियम, 2016, के नियम 18 के तहत जारी सुरक्षा राहत वाल्व, आंतरिक वाल्व, अतिरिक्त प्रवाह वाल्व के वार्षिक परीक्षण का प्रमाण पत्र।
16. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आईसी का गठन और अधिनियम के तहत 1.1.2022 से 31.12.2022 की अवधि के लिए दायर वार्षिक रिर्टन।

वार्षिक लेखे

2022-23

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन–पत्र
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(I)	**परिसंपत्तियां**			
	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	308,106.69	317,996.26
	(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.1	-	-
	(ग) अमूर्त परिसम्पत्ति	2.2	7,150.39	7,100.95
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	3.1	-	-
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3.2	18,611.77	26,010.07
	(ङ) आय कर परिसंपत्तियां	4	986.50	900.39
	(च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	10,294.62	10,197.49
	उप जोड़		**345,149.97**	**362,205.16**
(II)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकदी और नकदी तुल्य	6	1,883.76	2,921.59
	(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष राशि	7	-	-
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	1,432.48	4,523.08
	(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	9	1,797.61	2,865.62
	उप जोड़		**5,113.85**	**10,310.29**
	कुल संपत्तियां		**350,263.82**	**372,515.45**
(I)	**इक्विटी और देयताएं**			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	379,005.47	379,005.47
	(ख) अन्य इक्विटी	11	(63,168.45)	(53,467.06)
	उप जोड		**315,837.02**	**325,538.41**
(II)	**देयताएं** 08504560			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी		-	-
	(ik) पट्टा देयताएं	12.1	554.71	558.72
	(ii) अन्य वित्तीय देयताए	12.2	17.37	7.73
	(ख) प्रावधानं	12.3	-	16.42
	उप जोड़		**572.08**	**582.87**
(III)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	13.1	-	-
	(ik) पट्टा देयताएं	13.2	3.77	3.49
	(ii) देय व्यापार			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया और छोटे उद्यम	14	204.41	224.87
	(ख) लेनदारों की कुल बकाया राशि अन्य सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की तुलना में	14	1,687.20	1,300.63
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	15	23,793.90	34,333.24
	(ख) प्रावधानों	16.1	-	0.39
	(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	16.2	8,165.44	10,531.55
	उप जोड़		**33,854.72**	**46,394.17**
	कुल शेयर और देनदारियां		**350,263.82**	**372,515.45**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — 1
लेखे पर टिप्पणियां — 2- 31(xxxxviii)
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

प्रसाद आजाद एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजीस्ट्रेशन संख्या : 001009एन

हस्ता./–
(के एम आजाद)
भागीदार
सदस्यता सं. 005125
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 जुलाई 2023

हस्ता./–
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./–
(लखपत राय जैन)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08505199

हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2023

हस्ता./–
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2023 के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

विवरण	टिप्पणी संख्या	लाख ₹ में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु		लाख ₹ में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय					
संचालन से राजस्व	17.1		205.81		-
अन्य आय	17.2		384.02		896.47
कुल आय			**589.83**		**896.47**
व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	18		9,928.03		9,981.77
वित्त लागत (इंड एएस 116)	19		11.38		11.59
अन्य खर्चे					
-- संचालन और रखरखाव व्यय	20.1	13,693.03		14,753.98	
कम : संचालन एवं रखरखाव व्यय भारत सरकार से पुनर्प्राप्त/पुनर्प्राप्त योग्य		13,693.03	-	14,753.98	-
-- चरण II परियोजना के लिए खर्चे			314.15		832.78
-- विवध व्यय	20.2		37.65		1.66
कुल व्यय			**10,291.21**		**10,827.80**
			(9,701.38)		**(9,931.33)**
कर से पूर्व हानि					
कर व्यय			-		-
वर्तमान कर			-		-
पिछले वर्षों के लिए भुगतान किया गया आयकर (वीएसवी योजना के तहत)			-		-
कम :– भारत सरकार/ एमओपीएडजी से वसूल/वसूली योग्य			-		-
आस्थगित कर			-		-
कुल कर व्यय			**(9,701.38)**		**(9,931.33)**
वर्ष के लिए घाटा					-
अन्य व्यापक आय					
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि सहित) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय)			**(9,701.38)**		**(9,931.33)**
					-
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	21				
(i) मूलभूत			(0.26)		(0.26)
(ii) तनुकृत			(0.26)		(0.26)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
लेखे पर टिप्पणियां
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

प्रसाद आजाद एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजीस्ट्रेशन संख्या : 001009एन

हस्ता./–
(के एम आजाद)
भागीदार
सदस्यता सं. 005125
सीन : नई दिल्ली
दिनांक : 11 जुलाई, 2023

1
2- 31(xxxxviii)

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./–
(लखपत राय जैन)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08505199

हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव

सीन : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2023

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह विवरण**		
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	**(9,701.38)**	**(9,931.33)**
	समायोजन हेतु :–		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9,943.14	9,996.84
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बट्टे खाते में डालने पर हानि	2.08	-
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यय/डीकैप लगाया गया	21.00	44.47
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(0.01)	-
	वित्त लागत (इंड एएस 116)	11.38	11.59
	ब्याज आय	(63.55)	(61.37)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**212.66**	**60.20**
	समायोजन हेतु : –		
	(वृद्धि)/कमी वित्तीय और अन्य संपत्तियों में	3,647.82	(8,513.89)
	देनदारियों और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)।	(12,232.34)	3,590.92
	कार्यशील पूंजी में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	**(8,584.52)**	**(4,922.97)**
	संचालन से उत्पन्न नकदी	**(8,371.86)**	**(4,862.77)**
	भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर (वापसी का शुद्ध)	(86.11)	(730.70)
	ऑपरेशन से कुल नकदी प्रवाह (ए)	**(8,457.97)**	**(5,593.47)**
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(127.86)	(28.47)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर विचार	1.74	
	सावधि जमा में निवेश (3 महीने से अधिक)	6,844.17	(12,186.79)
	प्राप्त ब्याज	63.55	61.37
	निवेश गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी (बी)	**6,781.60**	**(12,153.89)**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से आय	-	1,418.00
	आय / (पुर्नभुगतान) उधार से	-	(9,816.17)
	भारत सरकार / एमओपीएनजी से दूसरे चरण के लिए अनुदान से आय	-	21,000.00
	ओआईडीबी से दूसरे चरण के लिए अनुदान (वापसी का शुद्ध) से आय	-	803.41
	ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन	(314.15)	(832.78)
	इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने पर स्टाम्प शुल्क	-	(0.07)
	ब्याज लागत (इंड एएस 116)	(11.38)	(11.59)
	पट्टा देयताएं (इंड एएस 116)	(3.73)	(3.23)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	**(329.26)**	**12,557.57**
(घ)	**नकद तथा नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग)**	**(2,005.63)**	**(5,189.79)**
	नकद तथा नकद समकक्षों का प्रारंभिक शेष	**2,254.39**	**7,444.18**
	नकद तथा नकद समकक्षों का अंतिम शेष	**248.76**	**2,254.39**
	नकद तथा नकद समकक्षों के घटक		
	बैंकों के पास शेष		
	– चालू खातों में	248.76	2,252.84
	– जमा खातों में		
	– सावधि जमा (3 महीने तक की मूल परिपक्वता के साथ)	-	-
	––हाथ में नकदी	-	1.55
	कुल	**248.76**	**2,254.39**

नोट :
1 कैश फ्लो स्टेटमेंट आईएनडी एएस 7 में निर्धारित ''अप्रत्यक्ष विधि'' के तहत कैश फ्लो का उपरोक्त विवरण तैयार किया गया है।
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
लेखे पर टिप्पणियां
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

1
2- 31(xxxxviii)

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

प्रसाद आजाद एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001009एन

हस्ता./–
(के एम आजाद)
भागीदार
सदस्यता सं. 005125
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 जुलाई, 2023

हस्ता./–
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./–
(लखपत राय जैन)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08505199

हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2023

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क)	379,005.47	377,587.47
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (ख)	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि (ग) = (क) + (ख)	**379,005.47**	**377,587.47**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (घ)	-	1,418.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (ङ) = (ग) + (घ)	**379,005.47**	**379,005.47**

लाख ₹ में

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क)	(53,467.07)	(43,535.66)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां (ख)	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि (ग) = (क) + (ख)	**(53,467.07)**	**(43,535.66)**
प्रतिधारित आय में स्थानांतरित (घ)	(9,701.38)	(9,931.33)
जारी किए गए शेयर पर स्टैंप ड्यूटी (ङ)	-	(0.07)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (च)	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष (छ) = (ग) + (घ) + (ङ) + (च)	**(63,168.45)**	**(53,467.06)**

प्रसाद आजाद एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001009एन

हस्ता./–
(के एम आजाद)
भागीदार
सदस्यता सं. 005125

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 जुलाई, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./–
(लखपत राय जैन)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08505199

हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2023

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास / ऋणमुक्ति				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	इडं एएस 116 के प्रभाव	निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	ऋण मुक्ति निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2023 तक कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(क) भवन	18,447.50	-		-	18,447.51	2,460.08	511.96	-	2,972.06	15,475.45	15,987.42
(ख) सड़के तथा पुलिया	3,165.30	-		-	3,165.30	1,855.40	224.51	-	2,079.91	1,085.39	1,309.90
(ग) संयंत्र और मशीनरी	126,754.35	-		(15.62)	126,738.73	24,999.62	5,275.03	(9.90)	30,264.74	96,473.99	101,754.73
(घ) कैवर्न	202,919.61	19.70		-	202,939.31	16,087.83	3,378.48	-	19,466.32	183,472.98	186,831.78
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	167.80	1.43		-	169.23	81.83	15.96	-	97.78	71.46	85.97
(च) परिवहन वाहन	131.41	19.82		-	151.23	73.28	16.26	-	89.54	61.69	58.13
(छ) कार्यालय उपकरण	456.79	26.09		(8.44)	474.43	402.67	9.03	3.30	415.00	59.43	54.12
(ज) कम्प्यूटर	1,255.65	11.38		(13.47)	1,253.56	1,012.36	79.53	(6.08)	1,085.80	167.76	243.29
(झ) उपयोग का अधिकार (इडं एएस–116)*	13,270.09	-	-	-	13,270.09	1,599.17	432.38	-	2,031.55	11,238.54	11,670.92
कुल	**366,568.50**	**78.42**	**-**	**(37.53)**	**366,609.40**	**48,572.24**	**9,943.14**	**(12.68)**	**58,502.71**	**308,106.69**	**317,996.26**

विगत वर्ष

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यह्रास / ऋणमुक्ति				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	इडं एएस 116 के प्रभाव	निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	ऋण मुक्ति निपटान / कटौती / अंतरण / पुनः वर्गीकरण / पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2022 तक कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
(क) भवन	18,447.50	-		-	18,447.50	1,950.62	510.83	(1.37)	2,460.08	15,987.42	16,496.88
(ख) सड़के तथा पुलिया	3,165.30	-		-	3,165.30	1,614.03	241.37	-	1,855.40	1,309.90	1,551.27
(ग) संयंत्र और मशीनरी	126,759.86	-		(5.51)	126,754.35	19,835.83	5,164.79	(1.00)	24,999.62	101,754.73	106,924.03
(घ) कैवर्न	202,948.33	-		(28.72)	202,919.61	12,708.20	3,382.47	(2.84)	16,087.83	186,831.78	190,240.13
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	167.11	0.69		-	167.80	66.35	15.51	(0.03)	81.83	85.97	100.76
(च) परिवहन वाहन	131.41	-		-	131.41	57.67	15.61	-	73.28	58.13	73.74
(छ) कार्यालय उपकरण	451.62	5.17		-	456.79	383.40	26.31	(7.04)	402.67	54.12	68.22
(ज) कम्प्यूटर	1,243.54	12.11		-	1,255.65	893.15	125.99	(6.78)	1,012.36	243.29	350.39
(झ) उपयोग का अधिकार (इडं एएस–116)*	13,269.83	-	-	0.26	13,270.09	1,066.14	533.03	-	1,599.17	11,670.92	12,203.69
कुल	**366,584.50**	**17.97**	**-**	**(33.97)**	**366,568.50**	**38,575.39**	**10,015.91**	**(19.06)**	**48,572.24**	**317,996.26**	**328,009.11**

*नोट संख्या 22.1 और लेखा नीति संख्या 1.11 देखें

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2.1 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 2.2 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां (पाइपलाइन के लिए आरओयू)

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत के रूप में सकल ब्लॉक	7,100.95	7,100.95
वर्ष के दौरान अन्य संपत्तियों से जोड़ / स्थानांतरण	49.44	-
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	7,150.39	7,100.95
वर्ष की शुरुआत में अमूर्तकरण	-	-
वर्ष के दौरान अमूर्तकरण	-	-
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में अमूर्तकरण	-	-
निवल खंड	**7,150.39**	**7,100.95**

नोटः पाइपलाइन के लिए आरओयू निरंतर आधार पर अधिग्रहित किया जाता है, इसलिए कोई अमूर्तकरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 3.1 – ऋण

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 3.2 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
सुरक्षा जमा	689.80	690.05
प्रवेश कर से वसूली योग्य कर्नाटक, (बीजी नकदीकरण के विरुद्ध)	74.64	74.64
सावधि जमा (मूल परिपक्वता के साथ एक वर्ष से अधिक)*	12,432.97	
[442.45 लाख का अर्जित ब्याज शामिल है (वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 509.85 लाख)]		20,244.92
* गिरवी जमा राशियों के विवरण के लिए नोट संख्या 31 (xvi) देखें		
एचसीसी के मध्यस्थता मामले के लिए उच्च न्यायालय दिल्ली के पास जमा [नोट संख्या 31(xxxxii) देखें]	5,000.46	5,000.46
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उडुपी के पास जमा करें	410.84	-
कर्मचारियों को अग्रिम	3.06	-
कुल	**18,611.77**	**26,010.07**

नोट संख्या 4 आयकर संपत्ति

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
इनकम टैक्स एसेट्स (निर्धारण वर्ष 2018–19)	14.16	14.16
इनकम टैक्स एसेट्स (निर्धारण वर्ष 2019–20)	15.71	15.71
इनकम टैक्स एसेट्स (निर्धारण वर्ष 2020–21)	38.13	38.13
इनकम टैक्स एसेट्स (निर्धारण वर्ष 2021–22)	104.01	104.01
इनकम टैक्स एसेट्स (निर्धारण वर्ष 2022–23)	728.39	728.38
इनकम टैक्स एसेट्स (निर्धारण वर्ष 2023–24)	86.10	-
कुल	**986.50**	**900.39**

टिप्पणी सं. 5 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
द्वितीय चरण परियोजना भूमि अधिग्रहण के लिए केआईडीबी की अग्रिम पूंजी	9,823.55	9,819.38
प्रथम चरण परियोजना भूमि अधिग्रहण एमएसईजैडएल की अग्रिम पूंजी	200.00	-
पूर्वदत्त व्यय	271.07	378.11
कुल	**10,294.62**	**10,197.49**

टिप्पणी सं. 6 – नकदी और नकदी तुल्य

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
बैंक शेष :		
चालू खाते में	248.76	2,252.84
बैंक डिपॉजिट में		
सावधि जमा (तीन महीने तक की मूल परिपक्वता के साथ)	-	-
सावधि जमा (तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ लेकिन एक वर्ष तक)	1,635.00	667.20
नकद शेष :		
हस्तगत नकदी	-	1.55
कुल	**1,883.76**	**2,921.59**

टिप्पणी वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं

टिप्पणी सं. 7 – बैंक राशि उपरोक्त के अलग		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 8 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(परिशोधित लागत पर असुरक्षित माना जाता है)		
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम व्यय)	746.46	1,250.62
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम के अलावा)	1.40	49.44
एचसीसी मध्यस्थता मामले के लिए भारत सरकार/एमओपीएनजी से प्राप्य वाईजैग [नोट संख्या 31(xxxxiii) देखें]	-	1,864.08
एडनोक से वसूली योग्य परिचालन और अन्य व्यय	170.91	1,337.33
बिजली कंपनियों के साथ सुरक्षा जमा पर उपार्जित ब्याज	19.35	17.83
कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम	4.02	3.78
कर्मचारियों को अग्रिम	5.95	-
उपार्जित बिना बिल परिचालन आय	170.24	-
ओआईडीबी से प्राप्य राशि (पूर्व–परियोजना व्यय चरण II)	314.15	-
कुल	**1,432.48**	**4,523.08**

टिप्पणी सं. 9 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		लाख ₹ में
विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(असुरक्षित अच्छा माना जाता है)		
कच्चे तेल की बिक्री के लिए एमआरपीएल से वसूली योग्य	-	1,159.35
एमआरपीएल से वसूली योग्य (अन्य)	-	1.89
ओआईडीबी से वसूली योग्य व्यय	0.01	0.16
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	232.03	8.78
प्रीपेड खर्चे	1,197.36	1,204.82
जीएसटी क्रेडिट प्राप्य	368.21	490.62
कुल	**1,797.61**	**2,865.62**

टिप्पणी सं. 10 – शेयर पूंजी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,832,560,000	383,256.00	3,832,560,000	383,256.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,790,054,670	379,005.47	3,790,054,670	379,005.47

टिप्पणियां

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
प्रारंभिक शेष	3,790,054,670		3,775,874,670	
जारी किए गए शेयर	-		14,180,000	
पुनः खरीद किए गए शेयर	-		-	
अंतिम शेष	3,790,054,670		3,790,054,670	

(ii) होल्डिंग कंपनी के पास शेयरः

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %
10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामित	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
कुल	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %	धारित शेयरों कर संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %
10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामित	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
कुल	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iv) प्रमोटर शेयरहोल्डिंग पैटर्न

वर्ष 2022–23 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की सख्यां	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान बदलाव %
तेल उद्योग विकास बोड	3,790,054,670	100%	शून्य

वर्ष 2021–22 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की सख्यां	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान बदलाव %
तेल उद्योग विकास बोड	3,790,054,670	100%	0.38%

(v) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति मूल्य 10 प्रत्येक का है और एक शेयर पर एक मत दिया जा सकता है। निगम के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयर धारकों, उनके द्वारा धारित इक्विटी की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(vi) तुलन पत्र के अुनसार पिछले पाँच वर्षों की अवधि के लिए

(क) नकदी में भुगतान प्राप्त किए बिना भुगतान (अनुबंधों) के अनुसार पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों के वर्ग की कुल संख्या; और	शून्य
(ग) शेयरों एवं श्रेणियों के वर्ग की कुल संख्या वापस लाई गई।	शून्य

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 11 – अन्य इक्विटी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
प्रतिधारित आय का संतुलन :		
पिछले वर्ष के खातों से शेष हानि को आगे लाया गया	(53,467.07)	(43,535.66)
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-
जारी किए गए इक्विटी शेयर पर स्टैंप ड्यूटी	-	(0.07)
लाभ/(हानि) वर्ष के लिए	(9,701.38)	(9,931.33)
कुल	**(63,168.45)**	**(53,467.06)**

नोट संख्या 12.1 पटट्ा देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
पटट्ा देयताएं	554.71	558.72
कुल	**554.71**	**558.72**

टिप्पणी सं. 12.2 अन्य वित्तीय देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा/जमा	17.73	7.73
कुल	**17.73**	**7.73**

नोट संख्या 12.3 प्रावधान

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(क) नकदीकरण छोड़ें	-	10.91
(ख) ग्रेच्युटी	-	5.51
कुल	**-**	**16.42**

टिप्पणी सं. 13.1 उधारी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
संबंधित पक्षों से ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी सं. 13.2 व्यापार देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
पट्टा देयताएं	3.77	3.49
कुल	**3.77**	**3.49**

टिप्पणी सं. 14 व्यापार देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	204.41	224.87
ii) सूक्ष्म उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि और छोटे उद्यम	1,687.20	1,300.63
कुल	**1,891.61**	**1,525.50**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

व्यापार देय आगे बढ़ने की अनुसूची
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया – वित्त वर्ष 2022–23

लाख ₹ में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	204.41	0.00	0.00	0.00	204.41
(ii) अन्य	1,687.06	0	0.14	0.00	1,687.20
(iii) विवादित देय राशि–एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि – अन्य	-	-	-	-	-

व्यापार देयता समय अनुसूची
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया – वित्त वर्ष 2021–22

लाख ₹ में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	224.87	0.00	0	0	224.87
(ii) अन्य	1,300.49	0.14	0	0	1,300.63
(iii) विवादित देय राशि–एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि – अन्य	-	-	-	-	-

लाख ₹ में

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण	2022-23	2021-22
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया शेष राशि;		
मूलधन	203.96	224.87
ब्याज	0.45	0
(ख) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ में नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान;	0	0
(ग) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि भुगतान (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	0	0
(घ) अर्जित ब्याज एवं देय ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखा वर्ष के अन्त में; और	0.45	0
(ङ) माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की धारा 23 के तहत उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बकाया ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में भी देय होती है।	0	0

टिप्पणी सं. 15 अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
		लाख ₹ में
अन्य		
एडीएनओसी को देय [नोट संख्या 31(iv) देखें]	-	4,776.01
भारत सरकार/एमओपीएंडजी (एडनोक) को देय [नोट संख्या 31 (iv) देखें]	-	2,223.99
द्वितीय चरण के लिए भारत सरकार/एमओपीएनजी से अनुदान	21,000.00	21,000.00
चरण I के लिए ओ एंड एम व्यय के लिए भारत सरकार/एमओपीएनजी से प्राप्त अग्रिम	1,807.64	5,454.83
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से जमा	986.26	878.41
कुल	**23,793.90**	**34,333.24**

नोट संख्या 16.1 प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
		लाख ₹ में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(क) अवकाश का नकदीकरण	-	0.38
(ख) ग्रेच्युटी	-	0.01
कुल	**-**	**0.39**

टिप्पणी सं. 16.2 अन्य वर्तमान देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
		लाख ₹ में
वैधानिक बकाया	119.09	97.36
भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय (कच्चे तेल की बिक्री)	-	1,160.41
भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय/वापसी योग्य (कच्चा तेल अनुदान और एनसीसीडी)	-	55.29
उच्च न्यायालय दिल्ली में जमा करने के लिए भारत सरकार/एमओपीएनजी से फंड एचसीसी का मध्यस्थता मामला [नोट संख्या देखें 31(xxxxii)]	5,000.46	5,000.46
एचसीसी मध्यस्थता मामले विशाखापत्तनम के लिए देय [नोट संख्या देखें 31(xxxxiii)]	-	1,864.08
भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय (पादुर जीएसटी आरसीएम)	140.68	89.04
भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय (अनुदान/अन्य फंड पर ब्याज और उस पर टीडीएस)	2,013.55	2,155.02
एचपीसीएल विशाखापत्तनम को देय	97.28	97.28
कानूनी मामले के लिए उडुपी जिला पंचायत के पास जमा करने हेतु भारत सरकार/एमओपीएनजी से निधि	410.84	-
आरओयू के पाइपलाइन मुआवजे के लिए एसएलएओ मैंगलोर को देय राशि	49.44	-
भारत सरकार को देय ओ एंड एम व्यय (एडीएनओसी व्यय)	170.91	-
भारत सरकार को देय (एपी आरसीएम जीएसटी)	150.58	-
अन्य	**12.61**	**12.61**
कुल	**8,165.44**	**10,531.55**

टिप्पणी सं. 17.1 संचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में
सेवा का निर्यात		
एडीएनओसी से परिचालन आय – बिना बिल वाली आय	170.24	-
घरेलू राजस्व		
एमआरपीएल से परिचालन आय	35.57	-
कुल आय	**205.81**	**-**

टिप्पणी सं. 17.2 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में
बिजली कंपनियों के साथ सुरक्षा जमा पर ब्याज	21.50	19.80
बैंक जमा पर ब्याज	42.04	41.57
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (द्वितीय चरण)	314.15	832.78
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	0.01	-
रॉक बिक्री	6.31	-
इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज	0.01	2.32
कुल आय	**384.02**	**896.47**

टिप्पणी सं. 18 – मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
मूल्यह्रास	9,510.76	9,463.82
लीज रेंट (लीजहोल्ड लैंड) का परिशोधन	432.38	533.03
कम :– भारत सरकार से ओएंडएम व्यय के रूप में वसूली (इंड एएस–116)	(15.11)	(15.08)
शुद्ध मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**9,928.03**	**9,981.77**

टिप्पणी सं.19 वित्त लागत

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
लीज देनदारी पर ब्याज	41.12	41.36
कम :– भारत सरकार से ओ एंड एम व्यय के रूप में वसूली (इंड एएस–116)	(29.74)	(29.77)
शुद्ध वित्त लागत	**11.38**	**11.59**

अन्य खर्चे

नोट संख्या 20.1 संचालन एवं रखरखाव व्यय

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
ओ एंड एम व्यय		
उपभोज्य व्यय	167.08	311.47
बीमा प्रीमियम	3,890.66	3,941.00
पट्टा किराया	282.80	229.02
जनशक्ति पीडीएफ कर्मचारी	99.47	64.00
संचालन लागत	216.47	178.13
मरम्मत एवं रखरखाव	565.54	445.81
त्योहारों का खर्च	6.10	8.13
कानूनी विस्तार	753.29	257.63
कार्यालय का व्यय	67.03	36.68
एचसीसी मध्यस्थता मामले विशाखपट्नम के लिए व्यय (नोट संख्या 31(xxxiii) देखें)	22.96	1,864.08
स्टेशनरी खर्च	3.23	1.69
टेलीफोन व्यय	24.53	16.60
भ्रमण एवं प्रशिक्षण	23.20	2.39
वाहन किराया व्यय.	138.40	121.74
बिजली शुल्क	1,358.96	1,507.96
हाउसकीपिंग शुल्क	103.52	127.86
जनशक्ति संविदा एवं अन्य	1,992.73	2,753.75
एमएसईजेडएल ओ एंड एम व्यय	237.87	94.91
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	369.38	289.49
आवधिक वैधानिक व्यय	152.52	108.52
सुरक्षा शुल्क	1,911.41	1,205.75
घाट शुल्क/सर्वेयर शुल्क	210.28	-
हरित पट्टी विकास	42.70	50.35
एचओ व्यय	1,052.90	1,137.02
कुल	**13,693.03**	**14,753.98**
द्वितीय चरण के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) व्यय	314.15	832.78
कुल	**314.15**	**832.78**

नोट : वित्त वर्ष 2021–22 में ओ एंड एम व्यय का उपरोक्त विभाजन द्वारा प्रदान किए गए व्यय शीर्ष के आधार पर किया गया है। वाउचर पर लोकेशन साइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि लेखांकन सॉफ्टवेयर में कोई अलग से शीर्षवार सामान्य खाता नहीं रखा जाता है।

नोट संख्या 20.2 : विविध व्यय

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
रॉक संबंधित व्यय	-	1.65
स्टाम्प ड्यूटी व्यय को बट्टे खाते में डालना	-	0.01
अन्य खर्चों	35.57	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बट्टे खाते में डालने पर हानि	2.08	-
कुल	**37.65**	**1.66**

टिप्पणी संख्या 21 : भारतीय लेखा मानकों–33 के तहत ईपीएस के प्रकटीकरण

लाख ₹ में

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
	प्रति शेयर आय		
(i)	**मूल**		
	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(9,701.38)	(9,931.33)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	3,790,054,670	3,785,664,697
	प्रति शेयर बराबर मूल्य	10.00	10.00
	निरंतर संचालन से प्रति शेयर हानि – मूल	(0.26)	(0.26)
(ii)	**तनुकृत**		
	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(9,701.38)	(9,931.33)
	बकाया शेयरों की भारित संख्या – तनुकृत के लिए	3,790,054,670	3,785,664,697
	प्रति शेयर बराबर मूल्य	10.00	10.00
	निरंतर संचालन से प्रति शेयर नुकसान – तनुकृत	(0.26)	(0.26)

टिप्पणी संख्या 22 : पट्टों, प्रतिबद्धताओं और आकस्मिकताओं

22.1 पट्टों

कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम, 2019 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने इंड एएस–116 पट्टों के रूप में अधिसूचित किया है जो मौजूदा पट्टे इंड एएस 17 के रूप में पट्टे और अन्य व्याख्याओं की जगह लेता है। इंड एएस–116 पट्टों के लिए एक बैलेंस शीट लीज़ अकाउंटिंग मॉड्यूल पेश करता है।

(i) 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण विधियों का उपयोग करते हुए इंड एएस–116 के रूप में अपने पट्टों के लिए अपनाया है। पट्टा देयता को प्रारंभिक आवेदन की तारीख में वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट प्राप्त शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और उपयोग की संपत्ति का अधिकार पट्टे की देयता और प्रीपेड किराया के बराबर राशि पर मान्यता दी गई है, प्रारम्भिक आवेदन की तारीख से पहले जो बैलेंस शीट में मान्यता, यदि कोई हो। कंपनी ने अप्रैल 2019 के लिए ओआईडीबी (100% शेयरधारक) ब्याज दर को अपनाया है। इसके अलावा, कंपनी ने निम्नलिखित समीचीन प्रयास किया है :–

(i) कंपनी ने यह आश्वस्त नहीं किया है कि कोई अनुबंध है, या उसमें शामिल है, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर एक पट्टा, यानी अनुबंध 31 मार्च, 2019 को इंड एएस 17 के अनुसार पट्टे पर वर्गीकृत किया गया।

(ii) इंड एएस–116 को पट्टों के रूप में माना जाता है और अनुबंध के लिए मानक लागू नहीं है जो पहले इंड एएस 17 के रूप को लागू करने वाले पट्टे के रूप में पहचाने नहीं गए थे।

(iii) पट्टे जिनके लिए प्रारंभिक आवेदन की तारीख के 12 महीने के भीतर पट्टे की शर्तें समाप्त हो जाती हैं, उन्हें कम समय के पट्टों के रूप में देखा गया है।

कंपनी ने भूमि से संबंधित पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। रिपोर्टिंग अवधि के तहत बिक्री और लीज बैक लेनदेन की व्यवस्था नहीं है।

लीज़होल्ड भूमि के लिए महत्वपूर्ण पट्टों का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) 37 एकड़ भूमि के लिए 30 वर्ष की अवधि (14.05.2038 तक) के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ व्यवस्था विशाखापट्टनम (नोट संख्या 31(xvi) देखें)।

(ख) 104.73 एकड़ भूमि के लिए 50 वर्ष की अवधि (26.01.2060 तक) के लिए मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ व्यवस्था मैंगलोर में 33.0066 एकड़ के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र सहित भूमि (नोट संख्या 31(xvi) देखें)।

(ग) 20 वर्षों की अवधि (101.815 एकड़) के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ व्यवस्था 28.05.2030 तक और 36.775 एकड़ 18.12.2031 तक) पादुर में 138.57 एकड़ भूमि की ओर।

(घ) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) के साथ 15 वर्ष की अवधि के लिए व्यवस्था 14.11.2032 (तक)) पादुर में 37.35 एकड़ भूमि की ओर।

(ii) **लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि या उपयोग के अधिकार की राशि :**

₹ लाख में

	2022-23	2021-22
– प्रीपेड लीज रेंटल को उपयोग के अधिकार के रूप में पूंजीकृत किया गया है	लागू नहीं	लागू नहीं
– उपयोग के अधिकार और पट्टे की बाध्यता में वृद्धि	शून्य	0.26
– मूल्यह्रास उपयोग के अधिकार में वृद्धि पर मान्यता प्राप्त है	15.11	15.08
– प्रीपेड लीज रेंटल पर मान्यता प्राप्त मूल्यह्रास	417.27	517.95
– लीज ऑब्लिगेशन पर ब्याज	41.08	41.36
– वृद्धिशील उधार दर	7.94%	7.94%
– लीज रेंटल भुगतान	44.85	44.85

पीपीई में शामिल उपयोग के अधिकार का विवरण अंतर्निहित परिसंपत्तियों के वर्ग द्वारा पट्टों के रूप में निम्नानुसार आयोजित किया गया है :

₹ लाख में

परिसंपत्ति वर्ग	सकल ब्लॉक 31 मार्च, 2023 तक	संचित मूल्यह्रास 31 मार्च, 2023 तक	शुद्ध वहन मूल्य 31 मार्च, 2023 तक
उपयोग का अधिकार	13270.09	2031.55	11238.54

31 मार्च, 2023 को ग्रॉस ब्लॉक में 01 अप्रैल, 2019 से पहले रुपये 12698.11 लाख के शुद्ध वहन मूल्य पर दर्ज किए गए परिचालन पट्टे शामिल हैं, जिन्हें 01 अप्रैल, 2019 को (इंड एएस 116 के कार्यान्वयन पर) उपयोग के अधिकार में पुनर्वर्गीकृत किया गया था।

भविष्य के नकदी बहिर्वाह के मद का विवरण, जिसे कंपनी पट्टे के रूप में उजागर करती है, लेकिन पट्टे की देनदारियों के माप में परिलक्षित नहीं होते हैं:

(i) **परिवर्तनीय लीज भुगतान**

परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक इंडेक्स पर निर्भर करता है या लीज देयता के माप में शामिल होने के लिए एक दर है जो प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। सामान्य उद्योग अभ्यास के अनुसार, कंपनी विभिन्न वैरिएबल लीज पेमेंट को लागू करती है, जो किसी इंडेक्स या रेट (केएमएस कवर या बिक्री के प्रतिशत आदि पर आधारित वैरिएबल) पर आधारित नहीं हैं और लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त हैं और लीज देयता के माप में शामिल नहीं हैं।

(ii) **विस्तार और समाप्ति विकल्प**

कंपनी के पट्टे की व्यवस्था में केवल परिचालन के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तार विकल्प शामिल है। कंपनी हर पट्टे के शुरू होने पर आकलन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का उपयोग करना उचित है और आगे के आश्वासन पर यह सुनिश्चित करना कि क्या यह विकल्प का उपयोग करना उचित है या नहीं, इसके नियंत्रण में परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, हालांकि, जहां कंपनी को विस्तार करने के लिए एकल विवेक है अनुबंध इस तरह के पट्टे की अवधि में पट्टे प्रयोगशालाओं की गणना के उद्देश्य से शामिल है।

(iii) **अवशिष्ट मूल्य की गारंटी**

कोई अवशिष्ट मूल्य की गारंटी नहीं है।

(iv) प्रतिबद्ध पट्टे जो अभी शुरू होने हैं

कोई प्रतिबद्ध पट्टा नहीं है जो अभी शुरू होना है।

(v) नॉन–कैन्सलेबल ऑपरेटिंग लीज के लिए भविष्य की न्यूनतम लीज रेंटल प्रतिबद्धता के बीच अंतर 31 मार्च, 2019 को लीज देयता की तुलना में 1 अप्रैल, 2019 तक के हिसाब से बताया गया, जो मुख्य रूप से रद्द करने योग्य के लिए लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य को शामिल करने के कारण है। इंड एएस–116 की आवश्यकता के अनुसार लीज़ देनदारियों में छूट और पट्टों के लिए प्रतिबद्धताओं के बहिष्कार के कारण कटौती, जिसके लिए कंपनी ने मानक के अनुसार व्यावहारिक समीक्षक को लागू करने के लिए चुना है।

(vi)	इस मानक के लागू होने से वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में क्रमशः 11.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष : 11.59 लाख रुपये) (मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय और वित्त लागत में वृद्धि) में 56.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपया 56.44 लाख) और कार्यालय, प्रशासन, बिक्री और अन्य खर्चों में रुपये 44.85 लाख (पिछले वर्ष 44.85 लाख रुपये) की कमी आई है।
22.2	**आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक संपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)** **विवरण** **(क) आकस्मिक देनदारियां** **₹ 93,414.22 लाख (पिछले वर्ष : ₹43,364.05** लाख) **की राशि कंपनी के विरुद्ध दावे के ऋण के रूप में स्वीकार नहीं की गई।** जिसमें शामिल हैं – क) विशाखपट्नम में खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा रॉयल्टी की विवादित मांगे ₹11,795.03 लाख (पिछले वर्ष : ₹11,794.95 लाख) ख) ठेकेदारों द्वारा ₹80,752.13 लाख (पिछले वर्ष : ₹31,112.88 लाख) के विवादित दावों को ईआईएल द्वारा विभिन्न साइटों पर शुरू की गई परियोजनाओं के कारण खारिज कर दिया गया, जिसके लिए मामले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। ग) प्रवेश कर की विवादित मांग ₹74.64 लाख (पिछले वर्ष ₹74.64 लाख)। कंपनी ने प्रवेश कर के विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रख्यापित कर समाधान योजना का लाभ उठाया है। कंपनी के अनुसार कोई देयता नहीं है और कंपनी ने प्रवेश कर के लिए ₹74.64 लाख की जबरन वसूली के खिलाफ रिट याचिका दायर की है और यह मामला माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। घ) पंचायत विकास अधिकारी (पादुर) द्वारा विवादित मांगें ₹410.84 लाख (पिछला वर्ष शून्य) भवन, भूमि और विविध कर जिनके लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। कुल उठाई गई मांग है ₹821.68 लाख, जिसमें से ₹410.84 लाख (50% राशि) अपीलीय प्राधिकारी के पास जमा कर दी गई हैं। ई) मैंगलोर में पाइपलाइन के संबंध में विवादित मांगें ₹381.58 लाख (पिछला वर्ष ₹381.58) जिसके लिए मामले जिला न्यायालय, मैंगलोर के समक्ष लंबित हैं। **(ख) आकस्मिक संपत्ति** – रुपये शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) **(ग) पूंजी प्रतिबद्धताओं** 1. पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और चरण 1 के लिए प्रदान नहीं की गई मैंगलोर में विस्तार भूमि 22,950.38 लाख (पिछला वर्ष शून्य)। 2. पादुर में 214.79 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए दूसरी अंतिम गजट अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई है दूसरा कर्नाटक 22 फरवरी 2023 को भूमि के भुगतान के कारण पूंजीगत प्रतिबद्धता कीमत के निर्णय के बाद उत्पन्न होगी। **(डी) अन्य प्रतिबद्धताएं** – तैयारी के लिए ईआईएल को दिए गए कार्य के लिए ₹544.21 लाख (पिछला वर्ष ₹ शून्य) एमएसईजेडएल क्षेत्र, मैंगलोर में चरण 1 विस्तार के लिए कैवर्न भंडारण और संबंधित सुविधाओं के लिए डीएफआर।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 23 : संबंधित पक्ष लेनदेन

इंड एएस 24 के अनुसार संबंधित पार्टियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण

संबंधित पक्षों के ब्यौरे :

संबंध का विवरण	संबंधित पक्षों का नाम
धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	1. श्री एल. आर. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल (31.10.2022 से) 2. श्री अजय दशोरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (17.06.2022 से 30.10.2022 तक) 3. श्री एचपीएस आहुजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल (01.06.2022 तक) 4. श्री जी.के. सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, आईएसपीआरएल 5. श्री अरुण तलवार, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (15.05.2023 तक) 6. सुश्री शिल्पी मोहंती, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (06.06.2023 से) **निदेशक मंडल (पदेन)** 1. श्री पंकज जैन, अध्यक्ष (20.01.2022 से) 2. श्री प्रवीण मल खनूजा, निदेशक (17.02.2023 से) 3. सुश्री कामिनी चौहान रतन, निदेशक (21.12.2022 से) 4. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, निदेशक (22.12.2021 से) 5. सुश्री वर्षा सिन्हा, निदेशक (15.12.2022 से) 6. सुश्री यतिंदर प्रसाद, निदेशक (11.10.2022 से 21.11.2022 तक) 7. श्री गुड्डे श्रीनिवास, निदेशक (03.11.2021 से 26.09.2022 तक) 8. डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, निदेशक (03.11.2021 से 30.11.2022 तक)

(i)

लाख ₹ में

केएमपी पारिश्रमिक	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
सीईओ एवं एमडी*#	83.98	47.29
सीएफओ*	84.77	93.90
कंपनी सचिव*	85.56	72.39
कुल	**254.31**	**213.58**
*संबंधित मूल कंपनी से प्राप्त डेबिट नोटों के आधार पर # उपरोक्त राशि में रुपये का अनुलाभ मूल्य शामिल नहीं है। 86,251/–(पिछला वर्ष शून्य) ? संपत्ति के संबंध में आयकर अधिनियम के अनुसार, वर्ष के दौरान संयंत्र एवं उपकरण हस्तांतरित।		

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री पर विचार	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु**
श्री एच.पी.एस. आहुजा	2.04	नहीं
कुल	**2.04**	**0.00**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का स्थानांतरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु ****	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु ****
श्री एच.पी.एस. आहुजा	0.79	नहीं
सुश्री यतिन्दर प्रसाद	0.66	नहीं
कुल	**1.44**	**0.00**
** संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर बही के अनुसार WDV की राशि।		

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii)	**धारक कपंनी (ओआईडीबी)**		
	शेयरों का आवंटन/शेयर आवेदन राशि	-	1,418.00
	ओआईडीबी को व्यय की प्रतिपूर्ति	25.20	21.78
	फेस II के खर्चो के लिए अनुदान	314.15	804.87
	ओआईडीबी की ओर से किया गया व्यय	0.25	0.16
	द्वितीय चरण के लिए अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	-	1.46

संबंधित पार्टियों के साथ बकाया राशि

(लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(i)	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**		
	वेतन पर टीडीएस श्री एल. आर. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल से वसूल किया जाएगा	0.63	-

(लाख ₹ में)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii)	**धारक कपंनी (ओआईडीबी)**		
	उनकी ओर से किए गए व्यय के लिए ओआईडीबी से वसूली योग्य	0.01	0.16
	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ओआईडीबी को देय	25.20	21.78
	चरण II के लिए प्राप्य अनुदान	314.15	-

टिप्पणी सं. 24 : खंड रिपोर्टिंग

1. कंपनी भारत सरकार के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों हेतु भंडारण परिसंपत्तियों के निर्माण तथा ऐसी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी करती है, इसे एकल प्राथमिक खंड माना जाता है।

2. भौगोलिक सूचना लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत के भीतर है।

टिप्पणी सं. 25 : वित्तीय उपकरण

श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण

1) प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों, देय व्यापार, अल्पावधि ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य का आकलन उनकी वहन राशि के लगभग पर किया जाता है।

2) वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को इच्छुक पक्षों के मध्य किसी वर्तमान संव्यवहार में आदान–प्रदान किया जाता है, सिवाय किसी बाध्यकारी या परिसमापन बिक्री के।

3) उचित मूल्य स्तर के संबंध में उक्त प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 26 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

1) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियां इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों में उजागर करती हैं : बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का अनुमान लगाना और इसके वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के लिए प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है। ओ एंड एम के खर्चे जीबीएस के द्वारा मिलते हैं इसलिए यह किसी भी वास्तविक ब्याज दर जोखिम के संपर्क में नहीं है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य प्राप्य और सुरक्षा जमा शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्त–पोषण है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और नकदी/नकदी तुल्य शामिल है जो सीधे प्रचालनों से निकलते हैं।

वर्तमान में कंपनी इसके प्राकृतिक व्यापार संपर्क तथा साथ ही साथ ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय लेखपत्र के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी वित्तीय जोखिम के संपर्क में नहीं है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी हेतु उचित वित्तीय जोखिम शासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करता है।

2) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। बाजार मूल्यों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं : मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लेखपत्रों में ऋण तथा उधार, जमा, निवेश, तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। वर्तमान में कंपनी के वित्तीय लेखपत्र किसी भौतिक बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

3) उधार जोखिम

ग्राहक के उधार जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यापार इकाई द्वारा ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण के अधीन किया जाता है। किसी ग्राहक की उधार गुणवत्ता का आकलन व्यापक विश्लेषण पर आधारित होता है और बकाया ग्राहक प्रप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है।

4) तरलता जोखिम

कंपनी निधियों की कमी के अपने जोखिम की निगरानी ध्यानपूर्वक करती है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकता का प्रबंधन धारक कंपनी से अल्पावधि ऋणों पर पहुंच बनाए रखते हुए करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2023 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

लाख ₹ में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	-	-	-	-	**-**
देय व्यापार	1,891.61	-	-	-	**1,891.61**
अन्य वित्तीय देयताएं	23,793.90	17.10	0.27	-	**23,811.27**
कुल	**25,685.51**	**17.10**	**0.27**	**-**	**25,702.88**

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2022 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	-	-	-	-	**-**
देय व्यापार	1,525.50	-	-	-	**1,525.50**
अन्य वित्तीय देयताएं	34,333.24	6.90	0.83	-	**34,340.97**
कुल	35,858.74	**6.90**	**0.83**	**-**	**35,866.47**

टिप्पणी सं. 27 : पूंजीगत प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से

चरण I के तहत – पूंजी में इक्विटी धारकों के लिए जारी इक्विटी पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है।

चरण I विस्तार के तहत – मैंगलोर में चरण 1 विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी का प्रबंधन भारत सरकार से जीबीएस के माध्यम से किया जाएगा/एमओपीएनजी।

चरण II परियोजना के तहत – भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी का प्रबंधन जीबीएस के माध्यम से जीओआई / एमओपीएनजी द्वारा किया जा रहा है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

नोट संख्या 28 : विदेशी मुद्रा में भुगतान (समतुल्य आईएनआर)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में
यात्रा	6.72	6.98
माल और सेवाओं के लिए भुगतान	4,775.67	29.93
कुल	**4,782.39**	**36.91**

नोट संख्या 29 : विदेशी मुद्रा में आय

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में
एडनोक से रसीद	1,454.56	शून्य

नोट संख्या 30 : कर्मचारी लाभ प्रकटीकरण

(i) भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण (इंड एएस 19)

क. कंपनी द्वारा प्रदान की गई और गणना के लिए नियोजित एक्चुरियल मान्यताओं को सारणीबद्ध किया गया है:

अवधि	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
छूट की दर	प्रति वर्ष 7.50%	प्रति वर्ष 7.25%
वेतन वृद्धि दर	10.00% प्रति वर्ष	10.00% प्रति वर्ष
नश्वरता	आईएएलएम 2012–14	आईएएलएम 2012–14
वापसी की अपेक्षित दर	0	0
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

ख. मूल्यवान लाभ

अवधि	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल	60 साल
वेतन	अंतिम आहरित अर्हकारी वेतन	अंतिम आहरित अर्हकारी वेतन
निहित अवधि	5 साल की सेवा	5 साल की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26* वेतन* पिछली सेवा (वर्ष)।	15/26* वेतन* पिछली सेवा (वर्ष)।
मृत्यु और विकलांगता के कारण जल्दी निकलने पर लाभ	उपरोक्त के अलावा कोई निहित शर्तें लागू नहीं होती हैं	उपरोक्त के अलावा कोई निहित शर्तें लागू नहीं होती हैं
सीमा	₹ 2000000	₹ 2000000

ग. वर्तमान देयता ('कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान) :

अवधि	31.03.2023 तक (वित्त पोषक)	31.03.2022 तक
वर्तमान देयता (लघु अवधि)*	₹ 1,402	₹ 824
गैर वर्तमान देयता (दीर्घकालिक)	₹ 9,22,854	₹ 5,50,532
कुल देयता	₹ 9,24,256	₹ 5,51,356

नोटः– कंपनी ने कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के लिए वर्ष के दौरान एलआईसी ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम ली है। रुपये की ग्रेच्युटी देयता के विरुद्ध. एक्चुरियल वैल्यूएशन के अनुसार 31.03.2023 को 9,24,256/–, 31.03.2023 को एलआईसी ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम फंड का शेष रु. 12,14,340.24/–, इसलिए कर्मचारी लाभ के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

(ii) भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण (इंड एएस 19)

क. कंपनी द्वारा प्रदान की गई और गणना के लिए नियोजित एक्चुरियल मान्यताओं को सारणीबद्ध किया गया है:

	अवधि	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	छूट की दर	प्रति वर्ष 7.50%	प्रति वर्ष 7.25%
	वेतन वृद्धि दर	10.00% प्रति वर्ष	10.00% प्रति वर्ष
	नश्वरता	आईएएलएम 2012–14	आईएएलएम 2012–14
	वापसी की अपेक्षित दर	0	0
	निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

ख. मूल्यवान लाभ

	अवधि	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु	60 साल	60 साल
	वेतन	कंपनी के नियम के अनुसार	कंपनी के नियम के अनुसार
	सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30* वेतन* छुट्टियों की संख्या	1/30* वेतन* छुट्टियों की संख्या
	निकलने पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अधीन
	मरने पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अधीन

ग. वर्तमान देयता (*कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान) :

	अवधि	31.03.2023 तक (वित्त पोषक)	31.03.2022 तक
	वर्तमान देयता (लघु अवधि)*	₹ 52,852	₹ 37,577
	गैर वर्तमान देयता (दीर्घकालिक)	₹ 14,43,615	₹ 10,90,606
	कुल देयता	₹ 14,96,467	₹ 11,28,183

नोटः– कंपनी ने कर्मचारियों को देय अवकाश नकदीकरण के लिए वर्ष के दौरान एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना ली है। रुपये की छुट्टी नकदीकरण देनदारी के खिलाफ बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2023 को ₹14,96,467/– । 31.03.2023 को एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना निधि का शेष ₹21,34,663.27 है, इसलिए कर्मचारी लाभ के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी सं. 31 – अन्य टिप्पणियां

31 अन्य टिप्पणियां

(i) **विवाद से विश्वास के तहत निपटाए गए मामले**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिए विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत लाभ प्राप्त किया था और पूर्व के वर्षों में ₹ 663.47 लाख का भुगतान किया जा चुका है। मांग का निराकरण कर दिया गया है तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा प्रपत्र–5 जारी किया गया है, फलस्वरूप सभी प्रकरणों को बंद कर दिया गया है।

निर्धारण वर्ष 2016–17 और निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए, कुल मांग रु. इनकम टैक्स साइट पर 1.5 करोड़ रुपये दिख रहे हैं, जो दोनों में से कोई नहीं है विभाग द्वारा जारी फॉर्म 5 के आलोक में लागू करने योग्य और न ही सही, जो अपने आप में मामले को समाप्त कर देता है और आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है अथवा विभाग द्वारा मांग रखी जा सकती है।

आयकर साइट के अनुसार अन्य मांग :–

निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए रुपये की मांग 29,310/– धारा 154 के तहत आयकर साइट पर दिखाई दे रहा है। एओ ने धारा 143(3) के तहत आदेश जारी किया है और आईएसपीआरएल है, उक्त आदेश के खिलाफ सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के तहत।

निर्धारण वर्ष 2022–23 के लिए 4,210/– रुपये की मांग आयकर साइट पर दिखाई दे रही है, जबकि आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1) दिनांक 02.03.2023 के तहत पर्याप्त रिफंड जारी नहीं किया गया है। आईएसपीआरएल ने सुधार दाखिल किया है लेकिन सीपीसी ने किया है आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग में एक बार फिर गलती हुई। यह विसंगति सीपीसी द्वारा टीडीएस के पूर्ण क्रेडिट की अनुमति देने में विफलता के कारण है कर रिटर्न में दावा किया गया। आईएसपीआरएल फिर से ऑनलाइन के साथ–साथ मूल्यांकन अधिकारी के पास भी सुधार दाखिल करेगा ताकि इस आदेश को ठीक किया जा सके।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

(ii) (क) सॉवरेन क्रूड ऑयल रिजर्व को भारत सरकार की ओर से कस्टोडियन के रूप में कंपनी के पादुर, मैंगलोर और विशाखापट्टनम के तीन स्थलों पर रखा गया है। विशाखापट्टनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा अपने संचालन के लिए किया जाता है और कच्चे तेल की संपत्ति पूरी तरह से एचपीसीएल के स्वामित्व में है। मैंगलोर में कैवर्न ए का उपयोग एडनोक द्वारा आईएसपीआरएल के साथ समझौते के तहत अपने स्वयं के कच्चे तेल के भंडारण के लिए किया जाता है।

आईएसपीआरएल के वित्तीय विवरण में कच्चे तेल का लेखा–जोखा नहीं किया जा रहा है, केवल कच्चे तेल की सूची का खुलासा किया जा रहा है खातों के नोट्स में किया गया। वित्त वर्ष 2020–21 के ऑडिट के दौरान सीएडंएजी से स्पष्टीकरण मांगने का आश्वासन दिया गया था कच्चे तेल के लेनदेन के लेखांकन और पुस्तकों में इन्वेंटरी के प्रकटीकरण के संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आईएसपीआरएल के खातों की. कंपनी ने 01 दिसंबर 2021 को एमओपीएंडएनजी को पत्र लिखकर इस संबंध में कच्चे तेल के लेनदेन का लेखा–जोखा और इन्वेंट्री का खुलासा करने हेतु जानकारी मांगी थी एमओपीएंडएनजी का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

वित्त वर्ष 2021–22 के पूरक ऑडिट के दौरान आईएसपीआरएल ने सीएजी को आश्वासन दिया है कि 'विशेषज्ञ सलाहकार' की राय आईसीएआई की समिति विषय वस्तु पर विचार करेगी। आईएसपीआरएल ने लेखापरीक्षा समिति को इस आश्वासन से अवगत कराया और मंत्रालय से दिशा–निर्देश मांगे, मंत्रालय ने सॉवरेन के लेखांकन के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए कच्चे तेल का भंडार और आईएसपीआरएल को सीएजी का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। आईएसपीआरएल ने सीएजी को पत्र लिखकर प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है सॉवरेन क्रूड ऑयल रिजर्व के लेखांकन के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और पसंदीदा नहीं आईसीएआई से विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए।

कंपनी ने सॉवरेन कच्चे तेल भंडार के केवल नीचे दिए गए मात्रात्मक विवरण का खुलासा करना जारी रखा है जैसा कि पहले साल किया गया था।

भारत सरकार – क्रूड ऑयल

विवरण	31 मार्च, 2023 को (मात्रा एमटी में)	31 मार्च, 2022 को (मात्रा एमटी में)
कच्चे तेल का ओपनिंग स्टॉक (सर्वेक्षक रिपोर्ट के अनुसार) (क)	3,010,938.75	4,213,678.99
जोड़ें :– वर्ष के दौरान उपार्जित :		
लदान के बिल के अनुसार (ख)	-	-
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	-	-
जोड़ें :– मैंगलोर में कैवर्न ए में डेड स्टॉक (घ)	3,394.63	-
कम :– वर्ष के दौरान बिक्री/हस्तांतरित (ङ)	-	1,198,816.99
वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मात्रा के अनुसार शुद्ध मात्रा (क+ग+घ)–(ङ)	3,014,333.38	3,014,862.00
वर्ष की समाप्ति पर अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेक्षक रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर में कैवर्न ए में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक सहित)	3,016,903.67	3,010,938.75

एडनोक – क्रूड ऑयल

विवरण	31 मार्च, 2023 को (मात्रा एमटी में)	31 मार्च, 2022 को (मात्रा एमटी में)
कच्चे तेल का ओपनिंग स्टॉक (सर्वेक्षक रिपोर्ट के अनुसार) (क)	3,512.61	517,387.96
जोड़ें :– वर्ष के दौरान उपार्जित :		
लदान के बिल के अनुसार (ख)	433,099.00	-
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	422,602.24	-
कम :– वर्ष के दौरान बिक्री/हस्तांतरित (घ)	3,394.63	-
कम :– वर्ष के दौरान एडीएनओसी द्वारा स्थानांतरण (ङ)	-	510,767.87
वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मात्रा के अनुसार शुद्ध मात्रा (क+ग)–(घ+ङ)	422,720.22	6,620.09
वर्ष की समाप्ति पर अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेक्षक रिपोर्ट के अनुसार) (3,394.63 मीट्रिक टन के डेड स्टॉक को छोड़कर)	421,775.48	3,512.61

नोट : नुकसान यदि कोई हो, स्वीकार्य उद्योग मानदंडों भीतर है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

लाख ₹ में

भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय (कच्चा तेल अनुदान)	2022-23	2021-22
अवधि की शुरुआत में भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय/वापसी योग्य	84.61	4,182.15
जोड़ : – वर्ष के दौरान कच्चे तेल के लिए प्राप्त राशि	-	-
जोड़ :– ब्याज, अन्य प्राप्तियां और समायोजन	-	1,258.94
घटाएं :–प्राप्त कच्चा तेल (हस्तांतरण का शुद्ध) (समाशोधन और अन्य व्यय सहित)	-	-
साल के दौरान	-	356.02
घटाएं :– जीओआई/एमओपीएनजी को वापस की गई राशि	-	5,000.46
घटाएं :– आईएसपीआरएल के एचसीसी मध्यस्थता मामले के लिए अस्थायी ऋण के रूप में विभाजित राशि	84.61	84.61
अवधि के अंत में भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय/वापसी योग्य		
नोट : 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय/वापसी योग्य राशि आयकर विभाग से प्राप्य टीडीएस का प्रतिनिधित्व करता है।		

नोट : नुकसान यदि कोई हो, स्वीकार्य उद्योग मानदंडों भीतर है।

(ii)ख वित्त वर्ष 2021–22 के पूरक ऑडिट के दौरान, आईएसपीआरएल ने सीएंडएजी को आश्वासन दिया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की 'विशेषज्ञ सलाहकार समिति' की राय 'एमओपीएनजी से चरण –I के ओ एंड एम अनुदान के लेखांकन' पर ली जाएगी। भारत सरकार और चरण–II के लिए पूर्व–परियोजना व्यय का लेखांकन। तदनुसार, आईएसपीआरएल ने आईसीएआई को एक पत्र लिखकर विषय पर राय मांगी है। आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार की राय अभी तक कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है और आवश्यक लेखांकन/प्रस्तुति आईसीएआई की राय के अनुरूप की जाएगी। आईसीएआई से राय प्राप्त होने तक, कंपनी ने चरण–I के ओ एंड एम अनुदान और संबंधित ओ एंड एम खर्चों को लाभ और हानि विवरण (नोट संख्या 20.1 में) और कैशफ्लो विवरण में ऑफसेट करना जारी रखा है जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था।

(iii)

(क) चरण II :-

1. भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जून, 2018 को पादुर–द्वितीय, कर्नाटक (2.5 एमएमटी) और चंडीखोल ओडिशा (4.0 एमएमटी) में भूमिगत रॉक कैवर्नों में कच्चे तेल के लिए अतिरिक्त 6.5 एमएमटी भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जिसमें दो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) के लिए समर्पित सिंगल पॉइंट मूरिंग (एसपीएम) और पाइपलाइन का निर्माण शामिल है। कैबिनेट बैठक में 08.07.2021 को पीपीपी मोड में आईएसपीआरएल के चरण–द्वितीय परियोजना को मंजूरी दी गई थी।
2. चंडीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था, एक स्पष्ट एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सरकार को प्रस्तुत की गई थी। ओडिशा सरकार ने आईएसपीआरएल को वैकल्पिक भूमि की तलाश करने का सुझाव दिया है। आईएसपीआरएल ने वैकल्पिक भूमि का सुझाव देने के लिए ईआईएल संपर्क किया है।
3. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एनईईआरआई द्वारा दूसरे चरण के लिए ईआईए अध्ययन शुरू किया गया था और एनईईआरआई से मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। समीक्षा के बाद, अंतिम रिपोर्ट जारी करने के लिए एनईईआरआई को आईएसपीआरएल की टिप्पणियां प्रदान की गई है।
4. पादुर में एसपीएम और संबंधित पाइपलाइन के निर्माण के लिए डीएफआर मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। ईआईएल ने एसपीएम के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है।
5. भारत सरकार/एमओपीएनजी ने चरण II परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 210 करोड़ आवंटित किए थे, पादुर परियोजना के भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रासंगिक शुल्कों के लिए केआईएडीबी को ₹ 98.24 करोड़ का भुगतान किया गया था। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है 14.02.2023 को सरकार 31 मार्च, 2023 तक आईएसपीआरएल के पास उपलब्ध शेष राशि ₹111.76 करोड़ है।

	6. वर्ष के दौरान ओआईडीबी द्वारा पूर्व–परियोजना खर्चों के लिए पहले अनुमोदित और वितरित रु. 19 करोड़ के अलावा, ओआईडीबी बोर्ड ने मंत्रालय से निर्देश के बाद चरण II परियोजना के लिए पूर्व–परियोजना व्यय के लिए 4.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि को मंजूरी दी गई। वर्ष के दौरान आईएसपीआरएल ने प्री–प्रोजेक्ट खर्चों के लिए 3.14 करोड़ रुपये का खर्च बुक किया है, जो ओआईडीबी से प्राप्य थे। 31.03.2023 को एंव 03.04.2023 को ओआईडीबी से प्राप्त हुआ। **(ख) चरण I विस्तार :–** 1. आईएसपीआरएल मैंगलोर (आईएसपीआरएल– मैंगलोर की मौजूदा सुविधा के पास), बीकानेर एंव बीना में 3 स्थानों पर भंडारण क्षमता के विस्तार की खोज कर रहा है। 2. अतिरिक्त क्षमता तलाशने के प्रयास में, आईएसपीआरएल ने एमएसईजेडएल के साथ चर्चा की और एमएसईजेडएल ने आईएसपीआरएल को 154.90 एकड़ भूमि की पेशकश की। 226.94 करोड़ रुपये के एकमुश्त गैर–वापसीयोग्य पट्टा प्रीमियम का भुगतान, जिसमें से 126.79 एकड़ पट्टे योग्य भूमि है और शेष 28.11 एकड़ को हरित पट्टी के रूप में बनाए रखा जाना है। 3. प्रस्ताव को 17 फरवरी, 2023 को प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईपी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। दूसरा आईएसपीआरएल ओईएम नंबर IC22011/6/2017-IC-2 दिनांक 22 फरवरी, 2023 के माध्यम से अनुमोदन प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए संचार 26 जून, 2023 को प्राप्त हुआ है। 4. आईएसपीआरएल ने मैंगलोर और टोकन के आधार पर पट्टे के आधार पर 154.90 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए 17.03.2023 को एमएसईजेडएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमएसईजेडएल को 2 करोड रुपये की राशि 31.03.2023 तक का भुगतान किया गया है। 5. आईएसपीआरएल ने चरण–I विस्तार के तहत मैंगलोर परियोजना के लिए पूर्व परियोजना अध्ययन के लिए ईआईएल को परियोजना सलाहकार नियुक्त किया है।
(iv)	आईएसपीआरएल के मैंगलोर साइट पर, 2 कैवर्न हैं, नामतः ए और बी कैवर्न। कैवर्न 'ए' के लिए, तेल भंडारण और प्रबंधन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर 10.02.2018 को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और एडनोक मार्केटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड (एएमआई इंडिया) के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, 1,20,000 अमेरिकी बैरल (15831 मीट्रिक टन) का मूल्य एएमआई इंडिया (एडनोक) को डेड स्टॉक लॉस/कमीशनिंग लॉस के लिए भुगतान किया जाना था और डेड स्टॉक का मूल्य भारत सरकार/एमओपीएनजी द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। भारत सरकार/एमओपीएनजी ने डेड स्टॉक की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 7000 लाख आवंटित किए थे। उत्पाद की वास्तविक निकासी पर परिचालन क्षमता के कारण डेड स्टॉक/कमीशनिंग नुकसान 75923 बैरल निर्धारित किया गया है और इस आशय के मूल समझौते के लिए एक साइड लेटर दिनांक 18–04–2022 को हस्ताक्षरित किया गया है। 75923 बैरल के लिए ₹ 4776.01 लाख का भुगतान कंपनी द्वारा एडीएनओसी को 15.06.2022 को किया गया है और शेष ₹2223.99 लाख को 'भारत सरकार/ को वापिस दे दी गई है। पार्टियां स्वीकार करती हैं और सहमत हैं कि आईएसपीआरएल, हर समय, एएमआई इंडिया (एडनोक) तेल में डेड स्टॉक मात्रा (3,394.63 एमटी) के बराबर एक स्वामित्व हित बनाए रखना जारी रखेगी। एएमआई इंडिया (एडनोक) के साथ समझौते से संबंधित भंडारण हानि और परिचालन हानि के लिए देयता, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान समझौते के पक्षों द्वारा परिमाणीकरण के बाद किया जाएगा। वर्ष के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ है।
(v)	31 मार्च, 2023 तक, कंपनी का दैनिक कार्य विभिन्न तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर आए 16 कर्मियों और बोर्ड द्वारा नियुक्त सीईओ और एमडी द्वारा संभाला जाता है। इसके अलावा, कंपनी के पास ओआईडीबी वेतनमान पर आईएसपीआरएल के नियमित रोल पर 12 कर्मचारी हैं। आईएसपीआरएल के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी नीतियां बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।
(vi)	अन्य कंपनियों, जिनमें कोई भी निदेशक या सदस्य है, से बकाया राशि सहित प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में अग्रिम वसूली योग्य शून्य (पिछले वर्ष : ₹ 1165.59 लाख)।
(vii)	कंपनी ने अपने कर्मचारियों और व्यापार भागीदारों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान सभी लागू सरकारी दिशानिर्देशों/एसओपी का पालन किया है।
(viii)	वर्ष 2021–22 के दौरान, कैबिनेट ने आईएसपीआरएल को सुविधाओं और कच्चे तेल के व्यावसायीकरण के लिए निम्नलिखित तरीके से अनुमति दी है:– क. भारतीय या विदेशी कंपनियों को समग्र भंडारण क्षमता का 30% पट्टे / किराए पर देना। ख. भारतीय कंपनियों को कच्चे तेल की कुल भंडारण क्षमता का 20% की बिक्री/खरीद। ग. कुल भंडारण क्षमता का शेष 50% रणनीतिक रहेगा। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार 30% तक लीजिंग रेंटिंग के माध्यम से वाणिज्यिक स्टॉक जारी करना और 20% तक कच्चे तेल की बिक्री खरीद को आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रबंधन समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। रणनीतिक हिस्से में से स्टॉक जारी करने का अधिकार कच्चे तेल का 50% है जोकि अंतर–मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति के पास बना रहेगा।

30% भंडारण क्षमता के लिए कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त आय, जिसे पट्टे पर दिया जाना है, भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी और 20% कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त राजस्व आईएसपीआरएल की आय का हिस्सा होगा।

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक न तो पट्टे/किराए पर लेने से संबंधित कोई समझौता/लेन–देन किया है और न ही 20% कच्चे तेल की बिक्री/खरीद से संबंधित कोई लेन–देन किया है।

आईएसपीआरएल ने मार्च 2022 तक 30% क्षमता से 1.199 एमएमटी कच्चा तेल बेचा है और भारत सरकार/एमओपीएनजी को समस्त प्राप्तियां वापस कर दी है तथा इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में आईएसपीआरएल द्वारा कोई कच्चा तेल नहीं बेचा गया है।

कच्चे तेल की बिक्री और भुगतान का विवरण

	लाख ₹ में
31 मार्च, 2022 तक भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय राशि (तेल कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस) कच्चे तेल की बिक्री पर)	490.56
जोड़ें: मार्च 2022 में एमआरपीएल को की गई बिक्री से वर्ष के दौरान प्राप्त प्राप्ति	1,159.80
कम: वर्ष 2022–23 के दौरान भारत सरकार/एमओपीएनजी को वापस की गई राशि	1,158.64
31 मार्च 2023 तक भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय राशि (कच्चे तेल की बिक्री पर तेल कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस)	491.72

नोट: उपरोक्त के अलावा, मार्च 2022 में कच्चे तेल की बिक्री पर एमआरपीएल से प्राप्त ₹0.61 लाख (करों का शुद्ध) का पंपिंग शुल्क भारत सरकार/एमओपीएनजी को हस्तांतरित कर दिया गया। 31 मार्च 2023 तक पंपिंग शुल्क पर तेल कंपनी द्वारा काटे गए टीडीएस के कारण ₹3.76 लाख की राशि भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय है।

(ix) मैंगलोर और पादुर से खुदाई की गई चट्टानें स्थलों पर पड़ी हैं। पादुर में रॉक मलबे के लिए ई–नीलामी मिनरल स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। सफल बोलीदाता ने पादुर से 2 लाख एमटी के लिए ₹106/एमटी एवं 10 लाख एमटी रॉक मलबे को उठाने के लिए मूल्य ₹108/एमटी उद्धृत किया है। इन निविदाओं में से 5,882.22 मीट्रिक टन रॉक की मात्रा 31.03.2023 तक बेची जा चुकी है।

(x)

ओ एंड एम व्यय का विवरण	2022-23	2021-22
	लाख ₹ में	
वर्ष के दौरान भारत सरकार/एमओपीएनजी/एचपीसीएल/एडनोक से दावा किया गया ओएडंएम व्यय (यूसी के अनुसार))	15,667.90	13,865.10
घटाएं :– ओ एंड एम व्यय पिछले वर्ष में बुक किया गया लेकिन वर्ष के दौरान दावा किया गया	3,413.65	1,367.87
जोड़ें :– वर्ष के दौरान दावा नहीं की गई अवधि के लिए ओ एंड एम व्यय, दावा किया जाना है	1,791.10	1,549.57
घटाएं :– ओ एंड एम व्यय अतिरिक्त दावा/प्रीपेड व्यय (पिछले वर्ष का शुद्ध)	307.46	1,112.05
जोड़ें : – एचसीसी मध्यस्थता मामले वाईजैग के लिए देय [नोट संख्या देखें। 31(xxxxiii)],	-	1,864.08
वर्ष के दौरान किए गए शुद्ध ओ एंड एम व्यय (मूल्यह्रास सहित, वित्त लागत और कर व्यय)	13,737.88	14,798.83

लाख ₹ में

विवरण	2022-23				2021-22			
	जीओआई/एमओपीएनजी	एचपीसीएल	एडनोक	कुल	जीओआई/एमओपीएनजी	एचपीसीएल	एडनोक	कुल
अवधि की शुरुआत में वसूली योग्य राशि (अग्रिम में प्राप्त)।	(5,454.83)	1,250.62	616.35	**(3,587.85)**	(6,209.81)	2,015.94	377.03	**(3,816.84)**
वर्ष के लिए ओ एवं एम व्यय	13,737.88	-	-	**13,737.88**	14,798.84	-	-	**14,798.84**
पिछले वर्ष की अन्य आय/रसीद वर्ष के दौरान भारत सरकार/एमओपीएनजी को वापस कर दी गई	-	-	-	**-**	(13.00)	-	-	**(13.00)**
वर्ष के दौरान ओएंडएम फंड पर ब्याज (टीडीएस का शुद्ध) भारत सरकार/एमओपीएनजी को सौंप दिया गया	(49.38)	-	-	**(49.38)**	(26.51)	-	-	**(26.51)**
एचसीसी मध्यस्थता मामले विजाग के लिए भारत सरकार/एमओपीएनजी से प्राप्त/वसूली योग्य/एचसीसी के लिए अनंतिम व्यय (नोट संख्या 31(xxxiii) देखें)	1,864.08	-	-	**1,864.08**	(1,864.08)	-	-	**(1,864.08)**
सहायक सेवा के लिए एचपीसीएल को देय राशि (कच्चे तेल और जनशक्ति के अलावा)	-	(17.03)	-	**(17.03)**	-	(313.13)	-	**(313.13)**
वर्ष के दौरान एचपीसीएल/एडनोक को चालान जारी किया गया	(1,743.04)	2,134.45	1,381.67	**1,773.08**	(1,864.32)	2,258.98	-	**394.66**
विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) (बैंक शुल्क का शुद्ध)	-	-	72.68	**72.68**				
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि*	(12,327.04)	(1,548.34)	(1,454.34)	**(15,329.72)**	(12,949.00)	(2,238.23)	-	**(15,187.23)**
अवधि की शुरुआत में ओ एंड एम व्यय के लिए प्रावधान उलट दिया गया	1,805.82	(1,189.47)	(616.35)	**-**	2,351.12	(1,974.09)	(377.03)	**-**
अवधि की समाप्ति पर ओ एंड एम व्यय के लिए प्रावधान	(99.20)	99.20	-	**-**	(1,805.82)	1,189.47	616.35	**-**
अन्य राशियाँ भारत सरकार/एमओपीएनजी को वापसी योग्य हैं	(1,307.01)			**(1,307.01)**				
वर्ष के दौरान भारत सरकार/एमओपीएनजी को वापस की गई राशि	1,765.07	-	-	**1,765.07**	2,127.76	-	-	**2,127.76**
सहायक सेवा के लिए एचपीसीएल को भुगतान की गई राशि (कच्चे तेल और जनशक्ति के अलावा)	-	17.03	-	**17.03**	-	311.69	-	**311.69**
अवधि के अंत में वसूली योग्य राशि (अग्रिम प्राप्त)।	**(1,807.64)**	**746.46**	**-**	**(1,061.18)**	**(5,454.83)**	**1,250.62**	**616.35**	**(3,587.85)**

* वित्तीय वर्ष 2021–22 में दी गई राशि में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ओ एंड एम व्यय के अनुदान के लिए ₹2447 लाख शामिल हैं।

(xi)	**विलंबित कर :** कर योग्य आय के अभाव में आयकर के किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, अस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की यथोचित सुनिश्चितता नहीं है कि भावी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी जिसके लिए प्राप्य इस प्रकार के अस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सकता है।
(xii)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 204.41 लाख (पिछले वर्ष 224.87 लाख रुपये) निर्धारित किया गया था इस प्रकार के पक्षकारों की पहचान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 को लागू हुआ था के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है।
(xiii)	विक्रेताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं की ओर देय / वसूली योग्य राशि पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो।
(xiv)	सभी उपभोग्य सामग्रियों / भण्डारणों / कलपुर्जों को खरीद के समय ओ एंड एम व्यय में बुक किया जाता है।
(xv)	मैंगलोर एसईजैड से चट्टानों को हटाने पर रॉयल्टी के भुगतान को एमएसईजैडएल / ठेकेदार के द्वारा वहन किया जाना है जोकि एमएसईजैडएल या आईएसपीआरएल द्वारा नियुक्त होगा। ठेकेदार के साथ एमएसईजैडएल अनुबंध के अनुसार, चट्टान हटाने के कारण कोई भी वैधानिक भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना है। इसके अलावा, यदि ठेकेदार कोई वैधानिक भुगतान जमा करने में विफल रहता है, तो एसईजैड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसार एमएसईजैडएल पर इसकी देनदारी उत्पन्न होगी और ठेकेदार द्वारा सीमा शुल्क के भुगतान में किसी भी डिफॉल्ट के कारण आईएसपीआरएल पर कोई देनदारी नहीं होगी। एमएसईजैडएल. मैंगलोर एसईजैड क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक चट्टान को हटाने पर सीमा शुल्क के भुगतान का मामला मुकदमेबाजी में है।
(xvi)	क. कंपनी ने वाणिज्यिक कर कार्यालय से केएसटी/सीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एसीसीटी, एलजीएसटीओ–260 (जीएसटी प्राधिकरण) के पक्ष में ₹ 50,000/– की बीजी दी है (पिछले वर्ष ₹ 50,000/–)। कंपनी द्वारा गिरवी रखी गई एफडी ₹ 50,000/– के बदले बीजी दी गई थी। ख. कंपनी ने पत्थर खदानों के अनुबंध से संबंधित वित्तीय आश्वासन के लिए उप निदेशक, डीएमजी, मैंगलोर के पक्ष में ₹1,45,000/– की एफडी गिरवी रखी है। ग. आईएसपीआरएल द्वारा विकास आयुक्त, एमएसईजैड मैंगलोर को नियम 25 के प्रावधानों के संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं के कारण प्राप्त छूट, वापसी, उपकर और रियायतों के लाभों के संबंध में वर्ष के दौरान ₹100.80 करोड़ की बांड सह कानूनी शपथ पत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में दिया गया है।
(xvii)	(क) एमएसईजैडएल द्वारा आईएसपीआरएल को कुल 104.73 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: – (I) एसईजैड में कार्यवाही क्षेत्र के लिए 67.0134 एकड़ भूमि। (ii) एसईजैड में हरित पट्टी विकास के लिए 33.0066 एकड़ भूमि। (iii) एसईजैड के बाहर बूस्टर पंपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 4.71 एकड़ भूमि। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुल भूमि में से 33.0066 एकड़ जमीन एमएसईजैडएल द्वारा हरित पट्टी के विकास के लिए निःशुल्क सौंपी गई थी। (बी) विशाखापट्टनम में या उसके निकट डॉल्फिन हिल क्षेत्र में स्थित 30 एकड़ भूमि की सतह के नीचे अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न (यूआरसी) तेल भंडारण सुविधा के निर्माण और रखरखाव के लिए लाइसेंस/अनुमति पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) द्वारा रुपये की टोकन राशि पर प्रदान की गई थी। ईएनसी और आईएसपीआरएल के बीच दिनांक 01 मई, 2007 के एमओयू के माध्यम से 99 वर्ष की अवधि के लिए 1.00 प्रति वर्ष। भूमि का स्वामित्व और कब्जा और इसकी सतह और भूमि का हवाई अधिकार ईएनसी के पास रहता है। भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व या हित आईएसपीआरएल को नहीं बताया गया है।
(xviii)	लेखापरीक्षा और अन्य मदों के लिए किए गए व्यय से संबंधित लाभ और हानि (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में दिए गए) के विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार आवश्यक है :

लाख ₹ में

	2022-23	2021-22
वैधानिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.09	1.77
प्रमाणन (जीएसटी सहित)	0.59	0.06
कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	0.20	-
आंतरिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	0.23	0.35
अन्य सेवाएं	2.24	शून्य
सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखा – परिक्षण शुल्क	0.10	0.10

(xix)	**अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं –**						
	बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	**संपत्ति की वस्तु का विवरण**	**सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)**	**शीर्षक/पट्टा विलेख किसके नाम पर हैं**	**क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक'/ निदेशक का प्रवर्तक, निदेशक या रिश्तेदार# है या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है**	**संपत्ति किस तारीख से धारित है**	**कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण**
	उपयोग का अधिकार (इंड एएस 116)	मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में लीजहोल्ड भूमि (104.73 एकड़)	8492.5	इंडियन स्टेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	नहीं	आवंटन पत्र की तिथि इस प्रकार है: क. 100.02 एकड़ के लिए दिनांक 23.11.2009 है ख. 4.71 एकड़ के लिए दिनांक 11.04. 2018 है तक कब्जा 26 जनवरी, 2060 है।	लीज डीड कंपनी के नाम पर है लेकिन अभी तक पंजीकृत नहीं है। कंपनी लीज डीड के पंजीकरण के लिए पट्टाकर्ता से संपर्क कर रही है। उद्योग और वाणिज्य निदेशालय से पत्र दिनांक 06 अप्रैल 2023 के माध्यम से, आईएसपीआरएल ने एमएसईजैडएल के साथ लीज डीड पंजीकरण के लिए 100% स्टांप शुल्क छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। लीज डीड का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।
(xx)	**पीपी एंड ई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति का मूल्यांकन –** कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।						
(xxi)	**बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण –** कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।						
(xxii)	**कैपिटल–वर्क–इन प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) –** 31.03.2023 की स्थिति में कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।						
(xxiii)	**विकास के तहत अमूर्त संपत्ति –** 31.03.2023 तक विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।						
(xxiv)	**धारित बेनामी संपत्ति का विवरण –** बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।						

(xxv)	**वर्तमान संपत्तियों की जमानत पर ऋण और अग्रिम –** 31.03.2023 के अनुसार वर्तमान संपत्तियों की जमानत पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।
(xxvi)	**इरादतन चूककर्ता –** कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
(xxvii)	**प्रभारों का पंजीकरण या कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ संतुष्टि –** ऐसा कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो वैधानिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना बाकी है।
(xxviii)	**कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन –** कंपनी ओआईडीबी की 100% सहायक कंपनी है और आगे कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।
(xxix)	**व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन –** कंपनी ने व्यवस्था की ऐसी किसी योजना में प्रवेश नहीं किया है जिसका वर्तमान या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव पड़ता हो।
(xxx)	**उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग –** क. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ की मध्यस्थता : क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें। अथवा ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करना। ख. कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी : क. फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें अथवा ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।
(xxxi)	**अघोषित आय –** आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई आय समर्पित या प्रकट नहीं की गई है, जिसे खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।
(xxxii)	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) –** कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया है।
(xxxiii)	**क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण –** कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में कारोबार या निवेश नहीं किया है।
(xxxiv)	**प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को या तो अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण या अग्रिम दिए जाते हैं, जो हैं :** **मांग पर चुकाया या चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना देय :**

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत
संवर्धक	शून्य	शून्य
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपीएस	शून्य	शून्य
संबंधित पार्टियों	शून्य	शून्य

(xxxv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ लेन–देन का विवरण –

लाख ₹ में

स्ट्रक आफ कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति स्ट्रक आफ कम्पनी के साथ	बकाया राशि 31.03.2023 तक	बकाया राशि 31.03.2022 तक	स्ट्रफ आफ कंपनी के साथ संबंध यदि कोई हो, का खुलासा किया जाए
	निवेश प्रतिभूतियों में	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	देय	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	द्वारा धारित शेयर स्ट्रक आफ कम्पनी	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाएगा)	शून्य	शून्य	लागू नहीं

xxxvi)			वित्तीय अनुपात					
	क्र.सं.	अनुपात	अंश	विभाजक	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	% परिवर्तन	कारण
	(क)	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.15	0.22	-32.04%	पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2023 को बैंक बैलेंस और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में कमी के कारण वर्तमान संपत्ति में कमी आई है।
	(ख)	ऋण–इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	शून्य	शून्य	शून्य	
	(घ)	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (आरओई) (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारकों की इक्विटी	-3.03%	-3.01%	0.46%	
	(ङ)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	शून्य	शून्य	शून्य	
	(च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	नेट क्रेडिट बिक्री	औसत लेखा प्राप्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	(छ)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	नेट क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	8.22	10.52	-21.86%	
	(ज)	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	-5,915,110.22	शून्य	100%	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में औसत व्यापार देय में परिवर्तन।
	(झ)	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	-4713.80%	शून्य	100%	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में औसत व्यापार देय में परिवर्तन।
	(ञ)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (% में)	ब्याज और करों से पहले की आय	पूंजी नियोजित	-3.26%	-3.24%	0.74%	
	(ट)	निवेश पर रिटर्न (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	औसत निवेशित कोष	4.78%	2.75%	73.78%	क. पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सावधि जमा में रखी गई राशि दिनों की संख्या से अधिक है। ख. फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव.
	नोट 1. ऊर्जा सुरक्षा संचालन बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से संचालन के बाद से कंपनी के लिए लागू सीमा तक उपरोक्त अनुपात का खुलासा किया गया है। नोट 2. बैंकों के साथ एफडी, ₹655 लाख (पिछले वर्ष ₹1102.67 लाख) के जिस पर निश्चित ब्याज आय ₹42.04 लाख (पिछले वर्ष ₹41.57 लाख) अर्जित की गई है, नोट संख्या 17.2 में दिखाई देने वाली ऊपर (के) पर उद्देश्य अनुपात के लिए विचार किया गया है।							

(xxxvii)	**संपत्ति की हानि** – इंड एएस 36 'परिसंपत्ति की हानि' के अनुपालन में, कंपनी ने कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार हानि, यदि कोई हो, के संकेत के लिए वर्ष के अंत में संपत्ति की समीक्षा की है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान किसी हानि की पहचान नहीं की गई है।
(xxxviii)	प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य संपत्तियों का मूल्य, बैलेंस शीट में बताए गए मूल्य से कम नहीं होगा।
(xxxix)	कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित नुकसान हो सकता है।
(xxxx)	ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
(xxxxi)	लेखांकन नीतियों में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनका निम्नलिखित को छोड़कर उस अवधि के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगाः – 1. 'खर्चों का प्रावधान बनाने के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर ₹50,000/– (करों सहित) से अधिक की राशि की वित्तीय सीमा तय करने' के संबंध में अन्य लेखांकन नीति, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि के लिए दिनांक 17 नवंबर, 2022 की 84वीं बोर्ड बैठक में अपनाया और अनुमोदित किया गया था। उल्लिखित परिवर्तनों से पी एंड एल में 'संचालन और रखरखाव व्यय' में ₹14 लाख (लगभग) की कमी आएगी, चरण II परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को पूंजीगत अग्रिम (वित्तीय विवरण का नोट 5) ₹0.35 लाख और ₹14.35 लाख (लगभग) की शीट शेष राशि में व्यापार देय कम हो जाएगा। 2. वित्त वर्ष 2022–23 से, आईएसपीआरएल ने बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अपने वित्तीय विवरण में एडनोक व एमआरपीएल आदि से परिचालन आय को मान्यता दी है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व में ₹205.81 लाख की वृद्धि हुई, व्यय में ₹35.57 लाख की वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के शुद्ध लाभ में ₹170.24 लाख की वृद्धि हुई। 3. आईएसपीआरएल ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर व्यक्तिगत रूप से तक की लागत वसूलने के लिए वित्त वर्ष 2022–23 से अपनी लेखांकन नीति में संशोधन किया है। अधिग्रहण के वर्ष में राजस्व व्यय /ओ एंड एम व्यय के लिए ₹5,000/– इस नीति में बदलाव का आईएसपीआरएल के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(xxxxii)	कंपनी ने एचसीसी आर्बिट्रेशन केस, पादुर के मामले में मध्यस्थता के खिलाफ दायर अपील के लिए रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पास प्री–डिपॉजिट के रूप में ₹5000.46 लाख की राशि एमओपीएनजी द्वारा प्रदान की गई धनराशि में से जमा की है। चरण I के व्यावसायीकरण से आईएसपीआरएल की कमाई से राशि एमओपीएनजी को वापस की जानी है।
(xxxxiii)	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) बनाम आईएसपीआरएल के मामले में मध्यस्थता की जिम्मेदारी 26 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में मध्यस्थ द्वारा प्रदान किया गया है। कंपनी ने जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया है और एमओपीएडएनजी ओएंडएम अनुदान प्राप्त होने के बाद 11 अक्टूबर, 2022 को उच्च न्यायालय में ₹1887.04 लाख की राशि जमा कर दी है।
(xxxxiv)	कंपनी ने पादुर में 179.2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें से पादुर में 175.92 एकड़ भूमि आईएसपीआरएल के नाम पर पंजीकृत की गई है। कंपनी शेष भूमि को वन भूमि होने के कारण पंजीकृत करने में असमर्थ है और कर्नाटक सरकार द्वारा हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।
(xxxxv)	द्वितीय चरण के जनशक्ति व्यय को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ओ एंड एम अनुदान से प्रभारित किया गया है।
(xxxxvi)	कंपनी ने आईएनडी एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए पिछले वर्षों की पूर्व अवधि की मदों के समायोजन/सुधार के लिए कुल आधार पर ₹ 15 करोड़ की सीमा तय की है।
(xxxxvii)	पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए आवश्यक होने पर पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है और आंकड़ों को लाख के करीब राउंड ऑफ किया गया है।
(xxxxviii)	30 जून, 2023 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दे दी गई है।

प्रसाद आजाद एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001009एन

हस्ता./–
(के एम आजाद)
भागीदार
सदस्यता सं. 005125

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 जुलाई 2023

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./–
(लखपत राय जैन)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08505199

हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.23

नोट संख्या 1: महत्वपूर्ण सूचना

कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. कारपोरेट सूचना

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी) ओआईडीबी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा भारत में अधिनिगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 पर तथा प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं. 2, तीसरा तल, सेक्टर–73, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में है। कंपनी गैर–सूचीबद्ध है क्योंकि इसके शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है तथा उनका कारोबार नहीं किया जाता है।

कंपनी की मुख्य वस्तुएं हैं :

1. भारत सरकार के कच्चे तेल या भारत सरकार द्वारा तय की गई ऐसी अन्य इकाई के कच्चे तेल के महत्वपूर्ण संप्रभु भंडार को निम्नलिखित के अधीन और अनुपालन में संग्रहीत करना;

   कैवर्न से कच्चे तेल के महत्वपूर्ण संप्रभु भंडार की रिहाई और इसकी पुनःपूर्ति सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से की जाएगी। बशर्ते कि भारत सरकार के कच्चे तेल के मुख्य महत्वपूर्ण संप्रभु भंडार को गुणवत्ता की आवश्यकता या मरम्मत एवं रखरखाव के कारण कच्चे तेल के संचलन के लिए भी निकाला जा सकता है।

2. कैवर्न की कुल तेल भंडारण क्षमता का 30% भारतीय या विदेशी कंपनियों को इस शर्त के साथ पट्टे/किराए पर देना कि किसी भी आपात स्थिति में कैवर्नो में संग्रहीत संपूर्ण कच्चे तेल पर पहला अधिकार भारत सरकार का होगा।

3. भारतीय कंपनियों को कैवर्नों की कुल तेल भंडारण क्षमता का 20% बिक्री/खरीद करना।

4. भंडारण, हैंडलिंग, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, दलाल एवं एजेंट, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनर, अनुबंध घाट, वेयरहाउसमैन, उत्पादक, डीलर के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तेल एवं तेल उत्पाद, गैस और गैस उत्पाद, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, ईंधन, स्पिरिट, रसायन, सभी प्रकार के तरल और उनके यौगिक, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयारी उत्पाद आदि।

1क : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत संशोधित इंड एएस के अनुसार तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं।

लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का पालन करते हुए वित्तीय विवरणों को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी ने संपत्ति और देनदारियों के लिए ऐतिहासिक लागत आधार को अपनाया है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर संबंधित लेनदेन की तिथि पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखा मानक शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखा नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('INR') में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में राउंड ऑफ किया जाता है, सिवाय अन्यथा संकेत के।

1.2 वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण –

कंपनी वर्तमान / गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। किसी संपत्ति को चालू माना जाता है जब वह :–

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचने या उपभोग करने का इरादा होने की उम्मीद है
- मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक विनिमय या निपटान करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता है रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता।

कंपनी अन्य सभी संपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

एक दायित्व वर्तमान है जब :

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में तय होने की उम्मीद है।
- यह मुख्य रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर तय किया जाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है। वर्तमान कंपनी अन्य सभी देनदारियों को गैर के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर–वर्तमान संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से कंपनी ने अपने सामान्य परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

1.3 राजस्व मान्यता

राजस्व का मापन

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता दी जाती है जब माल का नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है या ग्राहक को उस राशि पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व को लेन–देन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो कि ग्राहकों के साथ अनुबंध के अनुसार, छूट, प्रोत्साहन योजनाओं, यदि कोई हो, के लिए समायोजित विचार है। सरकार की ओर से ग्राहकों से एकत्र किए गए करों को राजस्व के रूप में नहीं माना जाता है।

उत्पादों की बिक्री

उत्पादों की बिक्री से राजस्व उस समय पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, आमतौर पर उत्पादों की डिलीवरी पर कंपनी इस बात पर विचार करती है कि क्या अनुबंध में अन्य वादे हैं जो अलग–अलग प्रदर्शन दायित्व हैं जिनके लिए लेनदेन मूल्य के एक हिस्से को आवंटित करने की आवश्यकता है (जैसे, माल और प्रोत्साहन योजनाएँ)। उत्पादों की बिक्री के लिए लेन–देन की कीमत निर्धारित करने में, कंपनी परिवर्तनीय विचार और ग्राहक को देय प्रतिफल (यदि कोई हो) के प्रभावों पर विचार करती है।

उन अनुबंधों के लिए जो सीआईएफ (कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट) अनुबंध हैं, राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाता है। उन अनुबंधों के लिए जो एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) अनुबंध हैं, राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी एक स्वतंत्र वाहक को माल वितरित करती है।

परिचालन सेवाओं से राजस्व

परिचालन सेवाओं से राजस्व को ग्राहकों को वादा की गई सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण पर प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर पहचाना जाता है, जो उस राशि को दर्शाता है जो कंपनी उन सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की उम्मीद करती है, तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर (उदाहरण के लिए कर और सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर्तव्य) आम तौर पर प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि पर विचार किया जाता है और प्राप्य को तब मान्यता दी जाती है जब वह बिना शर्त हो जाता है।

कैवर्न से पट्टे / किराये की आय को संचय के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अन्य कमाई

लाभांश, अन्य आय और बीमा दावों सहित अन्य दावों का हिसाब तब लगाया जाता है, जब अंतिम संग्रह की आभासी निश्चितता होती है।

ब्याज आय

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटा कर लागत पर बताया गया है। अचल परिसंपत्तियों की लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग की कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि जब यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और ऐसी परिसंपत्तियों की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत घटा संचित परिशोधन पर बताया जाता है।

iii) **पूंजीगत कार्य प्रगति पर**

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को लागत पर वहन किया जाता है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार राजस्व व्यय पूंजीकृत होते हैं।

1.5 मूल्यह्रास / परिशोधन

(I) मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है। सिवाय भूमिगत कैवर्न के जिसकी उपयोगी समय स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की व्यक्तिगत लागत रु. 5,000 / – का पूंजीकरण नहीं किया जा रहा है और यह सीधे अधिग्रहण के वर्ष में राजस्व व्यय / ओ एंड एम व्यय का हिस्सा है।

(iiii) अनिश्चितकालीन जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) को अमूर्त नहीं किया जाता है, लेकिन नकद उत्पन्न करने वाले इकाई स्तर पर सालाना हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चितकालीन जीवन का आकलन सालाना समीक्षा करने के लिए किया जाता है कि अनिश्चितकालीन जीवन सहायक है या नहीं। यदि नहीं, तो अनंत जीवन से परिमित तक उपयोगी जीवन में परिवर्तन संभावित आधार पर किया जाता है।

(iv) निश्चित उपयोगी जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आर ओ यू) पट्टे की अवधि में परिशोधित दिया जाता है।

1.6 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन समय–समय पर बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करके मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब होती है जब वहन मूल्य भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है। हानि को उस सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है, जिस सीमा तक परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को का कर दिया जाता है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर आधारित है, पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी गई है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

1.7 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

i) कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii) विदेशी मुद्रा में लेनदेन को शुरूआत में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार दर्ज किया जाता है।

iii) मौद्रिक संपत्ति एवं विदेशी मुद्राओं के देनदारियों को नियति तारीख पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्राओं के समापन दर पर लेनदेन किया जाता है।

iv) गैर–मौद्रिक वस्तु विदेशी मुद्रा को ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v) परिवर्तनीयता अथवा निपटान की स्थिति की विनिमय दरों में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ अथवा घाटे को लाभ–हानि विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है।

1.8 वित्तीय लेखपत्र

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(iii) वि–मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाए अथवा ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्तरण कर दिया जाए तथा ऐसे अंतरण विमान्यकरण हेतु अर्हक होते हैं। वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है, जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन किया जाता या समाप्त हो जाती है।

1.9 आय पर कर

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को समय अंतरों

के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। स्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अन्तर का उपयोग किया जा सकता है।

1.10 अनुदान

सरकारी अनुदान (राजस्व) को लाभ या हानि में एक व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी खर्च के रूप में पहचान करती है, संबंधित लागत जिसके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

सरकारी अनुदान (पूंजी) को शुरू में खातों की किताबों में देयता के रूप में दर्ज किया जाता है और पूंजीगत अनुदान से प्राप्त की जाने वाली संबंधित संपत्तियों के खिलाफ अग्रिम को संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। अनुदान के उद्देश्य की सिद्धि पर, वित्तीय विवरणों में अनुदान और संबंधित संपत्तियों को निवल दिखाया जाता है।

व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) के लिए वित्तीय सहायता परियोजना के वित्तीय समर्थन की योजना के आधार पर पूंजीगत अनुदान या परिचालन राजस्व अनुदान के रूप में हो सकती है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, योजना के अनुसार वीजीएफ को खातों की पुस्तकों में राजस्व या पूंजी के रूप में मान्यता दी जाती है।

किसी भी ब्याज सबवेंशन योजना के कारण लाभ या तो पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय के लिए ऋण हो सकता है। इसे राजस्व या पूंजी के रूप में निधि के उपयोग के अनुसार खातों की पुस्तकों में मान्यता दी जाएगी।

शेयरधारक से प्राप्त अनुदानों को लाभ या हानि में एक व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिसके लिए अनुदानों की भरपाई की जानी है।

1.11 पट्टे

इंडस्ट्रीज एएस 116 को पट्टे की अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प के साथ समायोजित पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में, यदि इस तरह के विकल्प का उपयोग उचित रूप से निश्चित है। कंपनी लीज–दर–लीज आधार पर अपेक्षित लीज अवधि का आकलन करती है और इस तरह यह आकलन करती है कि क्या यह उचित रूप से निश्चित है कि अनुबंध को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। भविष्य की अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पट्टा अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

क) कंपनी लीज शुरू होने की तारीख पर एक राइट–ऑफ–यूज एसेट और लीज लायबिलिटी को पहचानती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और विघटित करने और हटाने की लागत का अनुमान शामिल होता है। अंतर्निहित संपत्ति या अंतर्निहित संपत्ति या साइट जिस पर यह स्थित है, को पुर्नस्थापित करने के लिए प्राप्त किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को कम करके दिखाना।

ख) उपयोग के अधिकार की संपत्ति का बाद में उपयोग के अधिकार के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत की शुरुआत की तारीख से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान आधार पर निर्धारित

किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार संपत्ति को समय–समय पर हानि नुकसान, यदि कोई हो, से कम किया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) लीज देनदारी को शुरू में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो कि प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर हो सकती है। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

घ) पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं;

- निश्चित भुगतान, जिसमें पदार्थ के रूप में निश्चित भुगतान शामिल हैं।
- वेरिएबल लीज भुगतान जो एक सूचकांक या एक दर पर निर्भर करते हैं, प्रारंभ में सूचकांक या दर का उपयोग करके प्रारंभ तिथि पर मापा जाता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय अपेक्षित राशि; और
- एक खरीद विकल्प के तहत व्यायाम मूल्य जिसे कंपनी यथोचित रूप से प्रयोग करने के लिए निश्चित है, यदि कंपनी एक विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है, और पट्टे की समय से पहले समाप्ति के लिए दंड, जब तक कि कंपनी यथोचित रूप से निश्चित न हो, एक वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में पट्टा भुगतान जल्दी समाप्त नहीं करना।

ङ) प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए पट्टे की देनदारी को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। यह पुर्नमाप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव से भविष्य के लीज भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि के कंपनी के अनुमान में कोई बदलाव होता है, या यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में बदलाव करती है चाहे वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी।

च) जब पट्टे की देनदारी को इस तरह से फिर मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की अग्रणीत राशि के लिए एक समान समायोजन किया जाता है लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की अग्रणीत राशि घटाकर शून्य कर दिया गया है।

लघु अवधि के पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे

कंपनी ने 12 महीने तक की लीज अवधि वाली अचल संपत्ति संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में पहचानती है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

पट्टों, जिनके लिए कंपनी पट्टेदार है, को आईएनडी एएस के अनुसार वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को पट्टे की सहमत शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है। एक पट्टेदार शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य और पट्टेदार को प्राप्त होने वाले किसी भी गैर–गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य पर प्राप्य वित्त पट्टे को मापता है। पट्टेदार इन राशियों को पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट देता है या, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को रोककर। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

1.12 कर्मचारी लाभ

• अल्पकालिक दायित्व

गैर–मौद्रिक लाभों सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं, जो उस अवधि के अंत के बाद परिचालन चक्र के भीतर तय होने की उम्मीद है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, उस अवधि में मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इन्हें मापा जाता है। भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अघोषित राशि को भापा जाता है।

• परिभाषित अंशदान योजनाएं

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) निधि में भुगतान/देय कंपनी के योगदान को 'ओ एंड एम व्यय' के तहत भारत सरकार/एमओपीएंडएनजी से वसूली योग्य/वसूली योग्य संचालन और रखरखाव व्यय के रूप में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

• परिभाषित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी के संबंध में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य घटाया गया है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक्चुरी द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। पुर्नमाप जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं और योजनागत परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध ब्याज को छोड़कर) को 'ओ एंड एम व्यय' के तहत भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्ति/प्राप्ति योग्य संचालन और रखरखाव व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

• छुट्टी नकदीकरण और मुआवजा अनुपस्थिति

अवकाश नगदीकरण और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए देयताएं, जो उस अवधि के अंत के बाद परिचालन चक्र के भीतर पूरी तरह से तय होने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर बीमांकिक द्वारा वार्षिक रूप से मापा जाता है जो अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके भुगतान किए जाने की उम्मीद है। बीमांकिक लाभ और हानियों को 'ओ एंड एम व्यय' के तहत भारत सरकार/एमओपी एंड एनजी से प्राप्ति /प्राप्ति योग्य संचालन और रखरखाव व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जब वे होते हैं।

1.13 प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिरप्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के

संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया गया है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है।

1.14 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ एवं हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

1.15 स्टॉक

कच्चे तेल की स्टॉक का मूल्यांकन 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' के आधार पर निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण की लागत और स्टॉक को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं।

1.16 प्रधान कार्यालय व्यय आवंटन

प्रधान कार्यालय के खर्चों को सभी चालू इकाइयों/साइटों के बीच समान रूप से आवंटित किया जाता है।

1बी: वित्तीय वर्ष से प्रभावी भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 01 अप्रैल, 2023 से लागू होती।

Board of Directors

Shri Pankaj Jain	Chairman	(w.e.f. 20.01.2022)
Shri Praveen M. Khanooja	Director	(w.e.f. 17.02.2023)
Ms. Yatinder Prasad	Director	(w.e.f. 11.10.2022 till 21.11.2022)
Ms. Kamini Chauhan Ratan	Director	(w.e.f. 21.12.2022)
Shri Gudey Srinivas	Director	(cessation 26.09.2022)
Dr. N. M. Kothari	Director	(cessation 30.11.2022)
Ms. Varsha Sinha	Director	(w.e.f. 15.12.2022)
Ms. Esha Srivastava	Director	(w.e.f. 22.12.2021)
Shri Ajay Dashore	CEO&MD	(appointment w.e.f. 17.06.2022 till 30.10.2022)
Shri L. R. Jain	CEO&MD	(w.e.f. 31.10.2022)
Shri H.P.S. Ahuja	CEO&MD	(cessation 01.06.2022)

पंकज जैन
सचिव
Pankaj Jain
Secretary

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110 001
Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas
Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001
Tel. : 011-23383501, 011-23383562
Fax : 011-23070723
E-mail : sec.png@nic.in

November 29, 2023

Dear Shareholders,

It is with immense pleasure that I present, on behalf of the Board of Directors of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited [ISPRL], the Annual Report for the financial year 2022-23.

Our Company has been dedicated to fulfilling the government's commitment to ensuring energy security for India through the establishment of Strategic Petroleum Reserves [SPR]. Existing capacity of established SPR is 5.33 MMT, at three locations: one in the State of Andhra Pradesh at Vishakhapatnam &two in the State of Karnataka at Mangalore & Padur.

Against the backdrop of ongoing global economic uncertainty, geopolitical crisis, demand recovery post pandemic and a surge in international crude and gas prices, the significance of the strategic petroleum reserves is only gaining further salience. Its role, in providing a buffer against supply disruptions cannot be overstated. In November 2021, for instance, parallel and in consultation with other major global energy consumers, India had agreed to release crude oil from its SPR to dampen inflationary pressures.

Additionally, your Company's growth has been propelled by Government's approval for partial commercialization in July 2021. This strategic shift positions ISPRL to leverage opportunities that partial commercialization has brought into ISPRL's foray.

Towards development of strategic reserves of 2.5 MMT at Padur, Karnataka under phase-II, I am happy to share that there has been considerable progress in acquisition of land. Abu Dhabi National Oil Company [ADNOC] has been actively utilizing the Mangalore Cavern and it has been filled with Upper Zakum grade crude oil during Dec 2022 and March 2023.

Subsequent, post signing of MOU on 17th July 2020, between the U.S. Department of Energy and the India's Ministry of Petroleum and Natural Gas for cooperation on Strategic Petroleum Reserves, an Annual Action Plan was finalized. Under the MOU, a senior US delegation of Strategic Reserves DOE [Department of Energy] visited ISPRL office at Noida and ISPRL facilities at Vishakhapatnam on 14th and 15th Nov 2022. The best operational practices for caverns were exchanged and shared. I have also had the opportunity to visit DoE's Big Hill SPR site in Texas in September 2022.

New business initiatives remain at the core of our Company's strategic outlook for enhancing the Country's energy security. ISPRL is now in pursuit to explore additional land for construction of SPR under Phase I extension at Mangalore. The proposal for acquisition of land by ISPRL from Mangalore Special Economic Zone Limited [MSEZL]

has been approved and ISPRL has signed an MoU with MSEZL on 17th March 2023. Detail feasibility report study contract has been awarded to EIL who were also the PMC in the Phase I of SPR's.

After a visit of a team from ISPRL to Oman in Feb 2023, an MoU has been executed between ISRPL and Oman Tanking Terminal Company [OTTCO] on 25th June 2023 for carrying out feasibility studies for ISPRL's participation in phase1 of the Ras Markaz crude storage project by way of either equity partnership or leasing storage space.

Our Company has judiciously followed standards and protocols for Health Safety & Environment [HSE] at all the three strategic reserves and there was nil Loss time Accident [LTA] during the operations. In the ever-increasing Environment, Social and Governance [ESG] consciousness, it is noteworthy that Effluent Treatment Plants [ETP], designed with Zero discharge beyond terminal boundary are actively operational at all the sites. The total treated water is being utilized for internal consumption like use for Water curtain tunnels, Firefighting purpose and Green belt development within the terminal premises and thus ensuring Zero discharge outside the terminal boundary. Ever since the SPRs has been commissioned and dedicated to the nation on 10th February 2019, they have been operational round the clock, 24X7. I extend my compliments to ISPRL team spread across Noida, Vizag, Mangalore, Padur and Bhubaneswar for their unrelented efforts in ensuring smooth and safe operations.

I am also happy to note that ISPRL is compliant with all applicable provisions of the Companies Act 2013. Your Company accords the highest importance to transparency, accountability and equity in all facets of its operation.

I want to take this opportunity to acknowledge and express my gratitude to esteemed shareholders, my colleagues on the Board of Directors and to all other stakeholders for their valuable cooperation, unstinted support and trust on the Company.

I am also thankful for the wholehearted support received from OIDB, our parent company and Ministry of Petroleum & Natural Gas, other Ministries, Department, Regulatory authorities and Agencies of the Government of India and the various State Governments.

Our success would also not have been possible without the team of ISPRL.

Wishing ISPRL all the very best!

Jai Hind!

[Pankaj Jain]
Chairman, ISPRL

CHAIRMAN

SHRI PANKAJ JAIN

Shri Pankaj Jain, serves as Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. He has wide-ranging, extensive experience in governance as well as design and execution of policy across the National and State Governments. This has encompassed the domains of oil and natural gas, financial services (banking and institutional finance), industries, power, information technology, livelihoods and MSMEs.

Mr. Jain has extensive Board experience as Chairman / Director on the Board of companies in the Petroleum and Natural Gas Sector, Banks, Development Finance Institutions, Insurance Companies, Non-Banking Finance Companies, a Guarantee Company and Regulatory/Supervisory Bodies.

DIRECTOR

SHRI PRAVEEN MAL KHANOOJA

Shri Praveen M. Khanooja is currently posted as Additional Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas. He is a B. Tech in Chemical Engineering and M. Tech in Management & Systems. He belongs to 1994 batch of Indian Audit & Accounts Service (IA&AS) and has worked in various capacities in Defence Audit, Railways Audit, State Government Accounts & Audit at many field and Headquarters' postings.

He has also earlier served as Director (Finance) for the Department of Revenue and Central Board of Excise & Customs; Expert in the State Audit Institution, Sultanate of Oman, Muscat, Additional DG in the Central Economic Intelligence Bureau and DG of Petroleum Planning & Analysis Cell on various deputation and secondment assignments. He has conducted Compliance and Performance Audits of FAO, Rome; WIPO, Geneva, WTO, Spain; GFMD Geneva, and UNITAID Geneva.

He is also serving as director on the Board of Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). He is a member of Nomination & Remuneration Committee and Project Appraisal and Review Committee in ONGC. He is also the chairperson of Audit Committee, Sub-Committee on HR matters & Committee of Directors in ISPRL.

DIRECTOR

MS. KAMINI CHAUHAN RATAN

Ms. Kamini Chauhan Ratan, is an IAS Officer from 1997 batch U.P. Cadre. She is a Commerce Graduate from JDMC in 1991 as Topper in Delhi University in B. Com (P) Course. She has also done her LLB from Chaudhary Charan Singh University, Meerut and LLM from Bhoj Open University, Bhopal.

She had been Sub Divisional/ Joint Magistrate of Agra, Ayodhya, Lucknow during initial years of service. She has worked as Chief Development Officer in Meerut & initiated several development activities in the District. On Inter-State Cadre deputation, she served MP Govt. and handled Mahila Vitt Evam Vikas Nigam, MP in the capacity of its Managing Director. She has served as Collector & District Magistrate in Sultanpur, Bulandshahr, Saharanpur. She was the first Lady Collector & DM of Baghpat and Meerut. She has received National Award for the best District Electoral Officer by the Election Commission of India.

She was the HoD in UP Govt. in the capacity of Commissioner, Food Safety & Drug Administration; Inspector General (Registration) and Commissioner of Stamps; Commissioner (Commercial Taxes); Commissioner (Entertainment Tax).

She has been the First Lady Inspector General (Registration) and Commissioner of Stamps, U.P. and Commissioner of Commercial Taxes, U.P. She has served as Secretary, Department of Women & Child Development, Secretary (Finance), Secretary (Rural Development) in the State of U.P. She has also assisted Chief Secretary of U.P. as the Principal Staff Officer to Chief Secretary, U.P.

She has worked as Joint Secretary (Higher Education), Department of Higher Education, Ministry of Education, GoI and has played a key-role in the formulation of National Education Policy, 2020.

She is currently working as Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Petroleum & Natural Gas.

She is also serving as director on the Board of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). She is member of Corporate Social Responsibility Committee and Nomination & Remuneration Committee in BPCL. She is also member of Audit Committee, Committee of Directors in ISPRL.

DIRECTOR

MS. ESHA SRIVASTAVA

Ms. Esha Srivastava, belongs to the Indian Foreign Service Officer of 2004 Batch. She is currently posted as the Joint Secretary of the International Cooperation Division of the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

Prior to her appointment to the Ministry of Petroleum & Natural Gas, she served as Deputy Chief of Mission in the Indian Embassy in Thimphu from November 2016 to January 2019. Before that, she was posted in the Ministry of External Affairs. She has also served in High Commission of India in Colombo, and in the Embassy of India, Paris and the Permanent Delegation of India to UNESCO.

Ms. Srivastava, an alumnus of Lady Shri Ram College, New Delhi, holds a M. Phil Degree in Political Science from Delhi University. She is also a Gold Medalist from Delhi University.

She is married to Shri Kartik Pande, who is also an Indian Foreign Service Officer. She has two kids.

She is also serving as director on the Board of ONGC Videsh Limited (OVL). She is Chairperson in Project Appraisal Committee and member of Corporate Social Responsibility, Sustainability (CSR&S) Committee and Nomination & Remuneration Committee in OVL. She is member of Audit Committee, Corporate Social Responsibility Committee and Sub-Committee on HR matters in ISPRL.

DIRECTOR

MS. VARSHA SINHA

Ms Varsha Sinha, Secretary, Oil Industry Development Board (OIDB), Ministry of Petroleum and Natural Gas is a Joint Secretary level officer of Central Secretariat Service. During her career of more than two and half decades, she has held various positions in Government of India.

She has extensive experience of working in Govt. of India with various departments viz. Department of Health and Family Welfare, Ministry of Culture, Ministry of Commerce (Directorate General of Foreign Trade) etc. Before joining OIDB, she was working as Joint Secretary, Department of Personnel and Training, Govt. of India and was handling important portfolios.

She is also member of Audit Committee in ISPRL.

CEO & MD

SHRI L.R. JAIN

Shri L. R. Jain has taken over as CEO&MD of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) on 31st October'2022, a special purpose vehicle of OIDB, under Ministry of Petroleum & Natural Gas, specially created for constructing and operating Strategic petroleum Reserves for the country.

He is a Mechanical Engineer from BITS Pilani with Executive MBA (PGEMP) from SPJIMR and is having about three and half decades of vast experience in execution of projects, Operations and Procurement in BPCL, a flagship Maharatna Company of India.

Prior to his posting as CEO&MD, ISPRL, he was heading the Engineering and Projects (E&P) entity of BPCL's Marketing Division. He also concurrently held position of the Director of IHB, a Joint Venture of IOCL, HPCL & BPCL formed for Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline project.

He also held various other leadership positions in BPCL viz. Chief Procurement Officer and Head Pipeline Entity.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER & MANAGING DIRECTOR

Shri L. R. Jain

COMPANY SECRETARY

Shri Arun Talwar

STATUTORY AUDITORS

Parsad Azad & Co.

Chartered Accountants

SECRETARIAL AUDITORS

PG & ASSOCIATES,

Company Secretaries

BANKERS

Union Bank of India

M-41, Connaught Circus,

New Delhi-110 001

REGISTERED OFFICE

301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi-110 001

Phone No. : 011-23412278

ADMINISTRATIVE OFFICE

OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No.2, Sector-73, Noida-201301, U.P.

Phone No. : 91-120-2594661, Fax No. 91-120-2594643

Website : www.isprlindia.com

Email : isprl@isprlindia.com

Visakhapatnam Project Office

Lovagarden, Behind HSL Fabrication Yard,

Gandhigram Post, Visakhapatnam - 530 005

Mangalore Project Office

Chandrahas Nagar, Kalavar Post.,

Bajpe via, Mangaluru-574142

Padur Project Office

PO : Padur, Via Kaup, Distt. Udupi - 574 106

Karnataka

DIRECTOR'S REPORT

To,

The Shareholders,
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

The Board of Directors of your Company is pleased to present the 19th Annual Report on the working of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2023, together with the Audited Statement of Accounts and Auditor's Report thereon.

FINANCIAL RESULTS

The Highlights of the Financial Results of your Company for the Financial Year ended 31st March, 2023 are as under:

			₹ in Lakh
Sl.No.	**Particulars**	**31st March, 2023**	**31st March, 2022**
1	Gross Fixed Assets (Tangible & Intangible)	**373759.79**	373669.45
	Less :- Accumulated Depreciation	**58502.71**	48572.24
	Net Fixed Assets	315257.08	**325097.21**
2	Total Non-Current Assets	29892.89	37107.95
3	Total Current Assets	5113.85	10310.29
	Total Assets	**350263.82**	**372515.45**
4	Total Equities including accumulated Losses	315837.02	325538.41
5	Total Non-current Liabilities	572.08	582.87
6	Total Current Liabilities	33854.72	46394.17
	Total Liabilities	**350263.82**	**372515.45**
Items of Profit and Loss Account			
Sl.No.	**Particulars**	**31st March, 2023**	**31st March, 2022**
1	Total Incomes including prior period adjustments, if any	**589.83**	896.47
2	Total Expenses including Depreciation	**10291.21**	10827.80
	Net Loss for the period (1) - (2)	-9701.38	**-9931.33**
Phase-II (Receipts and Expenditure)			
Sl.No.	**Particulars**	**31st March, 2023**	**31st March, 2022**
1	Total Grant received during the year for Phase-II project (on net basis) including Advance for land	NIL	11987.24
2	Total Expenditure incurred during the year under Phase-II including provisions for payable	318.33	835.99

PERFORMANCE OVERVIEW

PREAMBLE:

Government of India (GoI), in the interest of meeting the strategic objective of the country's energy security, decided on 7th January, 2004 to build Strategic Petroleum Reserves (SPRs) of 5 MMT at three locations and form a Special Purpose Vehicle (SPV) to build and operate the strategic crude oil reserves. As India is heavily dependent on import of crude oil, to support the economic activities for growth and to meet the energy needs of its citizens, these SPRs were envisaged to

serve as buffer to deal with any situation of supply chain disruptions, especially due to external reasons. In circumstances, the buffer stock of crude oil could be used to partially absorb an abnormal spike in the global oil prices.

The SPV, Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) was formed initially as a subsidiary of Indian Oil Corporation Limited, which w.e.f. 09.05.2006, became a wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board (OIDB).

The initial Cost of construction of SPR's of 5.03 MMT capacity was funded by OIDB and equivalent amount of equity of ISPRL was transferred to OIDB. Additional cavern of capacity of 0.3 MMT was constructed at Vishakhapatnam which was funded by HPCL. The construction of caverns at Vizag (1.03+0.03 MMT), Mangalore (1.5 MMT) and Padur (2.5 MMT) was completed during 2015- 2017. The facilities were commissioned during 2015 to 2018.

Funds for filling of crude (4.28 MMT) in the SPR's were provided by GoI and also the Annual Operations and Maintenance (O&M) cost is being borne by GoI.

Hon'ble Prime Minister of India dedicated these SPR's to Nation on 10th February, 2019.

In line with directions of Cabinet committee on Infrastructure (CCI) and CCEA, endeavours were made to explore alternative models for financing the part cost of crude oil to be filled in SPR's. On 25th January, 2017, a definitive agreement was signed on Oil storage and management between ISPRL and ADNOC. As per the agreement, ADNOC filled up cavern A of Mangalore with 0.75 MMT of DAS grade crude oil. ADNOC is required to maintain minimum 50% of storage capacity for strategic use by ISPRL. Remaining 50% storage capacity will be available with ADNOC for commercial use.

Union Cabinet approved the commercialization of ISPRL during a Cabinet meeting held on 8th July, 2021 by allowing ISPRL to undertake partial commercial activities with the crude stored in caverns under Phase-I of SPR program by allowing ISPRL to use 30% of SPR capacity for renting and 20% of SPR capacity for trading purpose.

ISPRL is in the process of implementing commercialization mandate.

HIGHLIGHTS:

Your company has taken various initiatives in furtherance of its objectives. The highlights with regards to O&M of SPR's at Vizag, Mangalore and Padur are given below :

1. Visakhapatnam (Storage Capacity : 1.33 MMT)

The Visakhapatnam Cavern was commissioned in 2015. The facility has two compartments Cavern A (1.03 MMT) and Cavern B (0.3 MMT). Cavern A is for Strategic crude oil and is filled by funds made available by the Government of India. HPCL has taken cavern B on proportionate cost sharing basis. This is being regularly used by HPCL for its refinery operations at Visakhapatnam.

During the year there were total thirty crude shipment receipts for cavern B and sixty-six shipments were released to Vizag refinery of HPCL.

No LTA (Loss time accident) was reported this year. 24/7 operations of SPR's were ensured by continuously monitoring and replenishing water curtain levels over the SPR's. Hydrogeological monitoring of boreholes logs across the station was carried to ensure integrity of SPR's. Preventive maintenance activities were conducted as per schedule. Two Mock drills were conducted by ISPRL with Mutual aid members and Statuatory authorities in order to keep preparedness to handle emergencies. Intelligence Bureau (IB) inspection of the facility was completed in March, 23.

View of the aboveground facilities at Visakhapatnam

2. Mangalore (Storage Capacity: 1.5 MMT)

The Mangalore Cavern facility is located in the Mangalore SEZ area. The facility has two caverns of 0.75 MMT capacity each.

Mangalore Cavern B was commissioned in the month of October, 2016. For filling cavern A of Mangalore an Agreement was signed with ADNOC. First VLCC shipment of Crude oil for Mangalore was flagged off from Abu Dhabi on 12th May, 2018 by Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas and received at ISPRL Mangalore on 19th May, 2018.

During the year 2022-23, Mangalore Cavern A has been filled with 3.1 million BBLS of Upper Zakum grade Crude Oil during December, 2022 and March, 2023 which has been brought by ADNOC after replacing the existing crude.

No LTA (Loss time accident) was reported this year. 24/7 operations of SPR's were ensured by continuously monitoring and replenishing water curtain levels over the SPR's. For ensuring integrity of SPR's regular Hydrogeological monitoring and sampling of water from bore holes was carried. Preventive maintenance activities were conducted as per schedule.

LPG bullet decommissioning & commissioning was done safely for the first time in ISPRL Mangalore in 2022.

With water harvesting techniques implemented at site have resulted in annual net reduction in water bill of approx. Rs 48 lakhs.

Visit of CMD-IOCL Shri S.M. Vaidya to ISPRL Mangalore on 24.09.2022

3. Padur (Storage Capacity: 2.5 MMT)

For the Padur project, 179 acres of land was acquired through Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB) in Padur village of Udupi District. This is the largest project executed by ISPRL and was commissioned in December, 2018.

During the current year Padur team provided support to the local authorities in firefighting by promptly responding to emergency calls. Seven fire calls were attended outside the plant premises. Timely response by ISPRL Padur team has been appreciated by the Local bodies and District Authorities.

Dewatering pump & ETP pond pump platform modifications jobs were undertaken through in-house resources and were successfully executed. Major overhauling of Fire water engine pump completed which involved Shaft replacement, overhauling and coupling replacement work.

No LTA (Loss time accident) was reported this year. 24/7 operations of SPR's were ensured by continuously monitoring and replenishing water curtain levels over the SPR's. Hydrogeological and bore holes monitoring was carried to ensure integrity of SPR's. Preventive maintenance activities were conducted as per schedule.

View of underground strategic cavern

Visit of Hon'ble Minister of State MoP&NG Shri Rameshwar Teli
at ISPRL Mangalore on 09.10.2022

Signing of an MoU with MSEZL for acquisition of land for Phase-I extension project on 17.03.2023

Swachhata Pakhwada rally by Noida HO employees

Swachhata Pakhwada rally by Noida HO employees

Yoga Day celebration

STATUS OF ONGOING PROJECTS OF ISPRL

I. 2.5 MMT STRATEGIC PETROLEUM RESERVES UNDER PHASE-II AT PADUR, DISTRICT UDUPI, KARNATAKA

For land acquisition for Padur project, ISPRL submitted requirement of acquiring land to KIADB in November, 2020. KIADB has issued final gazette notification for 214.79 Acres Padur land 22nd February, 2023 and the same has been published in press on 24th March, 2023. A Demand note from KIADB for payment of Rs 62.5 crore over & above 98 crores already paid as advance was received on 31.05.2023. Total amount of Rs.160.5 crore has been paid by ISPRL to KIADB. KIADB in consultation with DC, Udupi is in the process of Finalization of R&R package and compensation to landowners, Land is expected to be acquired by March, 2024 by KIADB.

Providing encumbrance free land is a condition precedent for concessionaire agreement. Marine Survey, Modelling & offshore pipeline route survey has been completed for SPM at Padur.

M/s Deloitte Toche has been appointed as Transactional Advisor for RFP preparation and Legal Advisor M/s AZB Partner for preparing concessionaire agreement of Phase-II required for PPP model. It is anticipated that RFP for Padur shall be floated in financial year 2023-24.

4.0 MMT STRATEGIC PETROLEUM RESERVES UNDER PHASE-II AT CHANDIKHOL, DISTRICT JAJPUR, ODISHA

After completion of DFR studies by EIL, an application by ISPRL for allocation of 400 acres of land at Chandikhol was submitted to Govt. of Odisha on 30th September, 2019 for setting up SPR facilities of 4 MMT capacity. The Govt. of Odisha after evaluation of the land application, advised ISPRL to explore possibility of an alternative location near Chandikhol, Odisha.

ISPRL through M/s Engineers India Limited carried out desktop studies and reviewed satellite images and identified three possible locations near Paradeep, these sites are:

i) **Sidha Gumpha Hill:** The area is located south east of Chandikhol and about 55 km from Paradeep

ii) **Balrampur Hill:** The area is located north of Chandikhol and about 87 km from Paradeep near ox bow bend of Brahmani River and

iii) **Rahadpur Hill:** This area is located north of Chandikhol and about 80 km from Paradeep.

A joint site visit of EIL & ISPRL senior officials was made on 23rd and 24th May, 2023 to evaluate all the three possible sites. M/s Engineers India Limited (EIL) has submitted their report and have recommended option (i) as a preferred location.

The report has been forwarded to Govt. of Odisha on 31st July, 2023 for their final consent.

II. 1.5 /2.0 MMT STRATEGIC PETROLEUM RESERVES UNDER PHASE-I EXTN. AT MANGALORE SPECIAL ECONOMIC ZONE

Delegated Invested Board (DIB) on 17.02.2023 has approved proposal for Acquisition of land (154.9 Acres) by Indian Strategic Petroleum Reserve Limited (ISPRL) from Mangalore Special Economic Zone Limited (MSEZL) for construction of SPR and associated facilities at Mangalore MSEZL. ISPRL has signed an MoU with MSEZL on 17th March, 2023 for plot size of 154.90 Acres land at MSEZL area Mangalore.

EIL has been awarded the job to carry out detail feasibility report for the above site.

PFR/DFR's for new projects: Also it is proposed to carry out DFR studies for construction of Salt Caverns for crude oil storage at Bikaner, PFR for strategic reserves at Bina and PFR for above ground storage tank at Mangalore and Padur.

General Highlights

1. Thematic Audit of ISPRL was carried out by CAG for a period of five months wherein detailed information since inception of ISPRL, project phase and operations phase were provided.
2. US DOE delegate visited ISPRL HO on 14th November, 22 and ISPRL Vishakhapatnam on 15th November, 22 for discussions on cooperation on SPR operations and practices.
3. Meeting with ADNOC delegates was held on 18th January, 2023 to expedite the filling of strategic reserve in Cavern A Mangalore and discussion on taxation issue.
4. Visit of ISPRL officials to Raz Markaz OMAN for reviewing the OTTCO crude oil storage terminal project and exploring the participation of ISPRL in OTTCO's project.

U.S. Delegates from DOE at ISPRL, Vizag Cavern Portal Area

Welcome of Ms. Monica Neukomm, Principal Deputy Director, Deptt. of Energy, US by Secretary, OIDB

ISPRL Padur

Shaft Area of Padur

DIVIDEND

Your Board of Directors does not recommend any Dividend for the Financial Year ended 31st March, 2023.

TRANSFER TO RESERVES

The losses made during the financial year 2022-23 have been transferred to the reserves of the Company for the financial year ended 31st March, 2023.

PUBLIC DEPOSITS

Your Company has not invited, accepted or renewed any fixed deposit from the public as on 31st March, 2023 and accordingly there is no principal or interest outstanding in respect thereof.

AUDIT COMMITTEE

The Board has constituted the Audit Committee. The Audit Committee comprised of the following Directors as on 31st March, 2023:

1. Shri Praveen Mal Khanooja, AS, MoP&NG/Director, ISPRL : Chairman
2. Ms. Kamini Chauhan Ratan, AS&FA, MoP&NG/Director, ISPRL : Member
3. Ms. Esha Srivastava, OSD (IC), MoP&NG/Director, ISPRL : Member
4. Ms. Varsha Sinha, Secretary, OIDB/Director, ISPRL : Member
5. Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL : Member

The number and dates of the meetings held during the financial year indicating the number of meetings attended by each director is given at **Annexure-A.**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE

The company has a CSR Policy which is available on the website of the Company. The Company has not spent any money on CSR activities during the year as the company has not made any profit during the preceding three financial years.

The CSR Committee comprised of the following Directors as on 31st March, 2023:

1. Ms. Esha Srivastava, OSD (IC), MoP&NG/Director, ISPRL : Chairperson
2. Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL : Member

The number and dates of the meetings held during the financial year indicating the number of meetings attended by each director is given at **Annexure-A.**

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92(3) and Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Company has placed a copy of the Annual Return as of 31st March, 2023 on its website at
https://www.isprlindia.com/downloads/annual-reports/Form_MGT_7_ISPRL_22-23.pdf

MEETINGS OF THE BOARD

The Board of Directors of the Company met six times in the financial year 2022-23 as per the following details:

1. 2nd June, 2022
2. 12th August, 2022
3. 18th October, 2022
4. 04th November, 2022
5. 17th November, 2022

6. 16th March, 2023

The number and dates of the meetings held during the financial year indicating the number of meetings attended by each director is given at **Annexure-A**.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS

During the year under review, there have been no changes in the nature of business.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

The Company has no employee in respect of whom the Statement under the provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014, is required to be furnished.

DECLARATION BY THE INDEPENDENT DIRECTORS

There were no Independent Directors on the Board of the Company during the financial year 2022-23.

RISK MANAGEMENT

Effective risk management is critical for the continued success of the Company. The Company has a risk management policy to identify risk associated with the Company operations and to take appropriate corrective steps to minimize the risks. The major risks associated with Company are related to crude oil receipt and storage and delivery. These risks are mitigated by adopting standard operating procedures and adequate insurance cover.

SHARE CAPITAL

During the year, the Company has not issued Equity Share Capital.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

The following were the Whole-time Key Managerial Personnel during the year under review:

a)	CEO & Managing Director	-	Shri L. R. Jain (w.e.f. 31.10.2022)
b)	CEO & Managing Director (Additional Charge)	-	Shri Ajay Dashore (w.e.f. 17.06.2022 till 30.10.2022)
c)	CEO & Managing Director	-	Shri H.P.S. Ahuja (till 01.06.2022)
d)	Chief Financial Officer	-	Shri Gopeshwar Kumar Singh
e)	Company Secretary	-	Ms. Shilpi Mohanty (w.e.f. 06.06.2023)
f)	Company Secretary	-	Shri Arun Talwar (till 15.05.2023)

REMUNERATION

All Directors on the Board of ISPRL are ex-officio directors nominated by Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoP&NG) except CEO & MD. CEO & MD is appointed by the ISPRL Board. No remuneration is paid to ex-officio director nominated by MoP&NG. Other officers working at various key positions in ISPRL are on deputation from oil sector PSUs.

Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL (w.e.f. 31.10.2022) and the remuneration paid to CEO & MD is as per the terms & conditions of his employment approved by ISPRL Board and Shareholders in AGM.

Shri Ajay Dashore, who serves as Dy. CEO/ Head (Tech.), ISPRL was on Additional Charge of CEO & MD, ISPRL (w.e.f. 17.06.2022 till 30.10.2022). Shri Ajay Dashore is on deputation from ONGC and receives remuneration according to the terms & conditions of his employment with ONGC.

Shri HPS Ahuja, ex- CEO & MD (till 01.06.2022) who was on deputation from ONGC got superannuated from ONGC on 31st October, 2019 and continued with ISPRL as CEO & MD on the terms and conditions approved by the Board and in AGM by Shareholders.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFFECTING FINANCIAL POSITION BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR AND DATE OF THE REPORT

There are no material changes which have occurred subsequent to the close of financial year of the Company to which the Balance Sheet relates and the date of the report.

DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

No significant and material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

SUBSIDIARY/JOINT VENTURES/ASSOCIATE COMPANIES

The Company is not having any Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies under the provisions of the Companies Act, 2013.

AUDITORS

STATUTORY AUDIT:

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has appointed M/s Prasad Azad & Co. (DE0029), 1207, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- 110001 as Statutory Auditors of the Company, who have submitted their report on the accounts of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2023 **(Annexure-B)**. The observations of Statutory Auditors in their report to the Shareholders and the Management's reply on the same is attached as **Annexure-C.**

Supplementary audit by CAG:

Supplementary audit conducted by C&AG under Section 143 (6) (a) of the Companies Act, 2013 of the Financial Statements of the Company for the Financial Year 31st March, 2023. C&AG has given following comments vide letter date 08.09.2023 **(Annexure-D)** on the Financial Statements of ISPRL;

a. **Presentation of Operation & Maintenance expenses:-** Despite an assurance given by company during the audit for the year 2021-22, the opinion of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) regarding the correct presentation of offsetting of O&M expenditure against the receivable / received amount from Government of India / MoP&NG, ADNOC and HPCL was not sought by the company.

b. **Accounting of Crude Oil:-** Despite an assurance given by the company during the audit for the year 2021-22, the opinion of the ICAI for accounting of the same in the financial statements was not sought.

ISPRL will be taking adequate action in line with comments of CAG.

SECRETARIAL AUDIT:

During the year, the Board of the Company had appointed M/s PG & Associates, Company Secretaries, 106, Mahagun Morpheus, E-4, Sector–50, Noida-201301, Uttar Pradesh, as Secretarial Auditors of the Company to carry out Secretarial Audit under the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, for the financial year 2022-23. The Report given by Secretarial Auditors is annexed to this report as **(Annexure-E)**. The Auditors Report to the Shareholders does not contain any qualification.

COST AUDIT

In terms of Section 148 of the Act, the Company is not required to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, RESEARCH AND DEVELOPMENT AND EXPORTS AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The Company has commissioned Visakhapatnam, Mangalore and Padur caverns. The Company has no information to be published regarding conservation of energy and technology absorption.

The Company has foreign currency receipt of Rs.1,454.56 lakhs during the year. Also, it has utilized foreign exchange for its business activities aggregating to Rs. 4,782.39 lakhs during the period under review.

INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements during the period under review.

PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE

The Company has a zero tolerance for sexual harassment of women at work place. The Company has also a policy for Prohibition and Prevention of Sexual Harassment of Women at workplace and matters connected therewith or incidental thereto covering all the aspects as contained in "The Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Company has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. During the year under review, the Company did not receive any complaint under the said Act.

BOARD EVALUATION

The formal annual evaluation of the performance of the Board, its Committees and of individual directors has been carried out as per the Board Performance Evaluation Policy approved by the Board of ISPRL.

REPORTING OF FRAUDS BY AUDITORS

During the year under review, there have been no instances of fraud reported by Auditors under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186

No loan was given or investments were made by ISPRL during the year 2022-23. The Company has given BG of Rs 50,000/- in favor of ACCT, LGSTO-260 (GST Authorities) for obtaining KST/CST Registration Certificate from Commercial Tax Office. The BG was given against FD pledged by Company amounting to Rs. 50,000/-.

The Company has pledged FD of Rs 1,45,000/- in favor of Deputy Director, DMG, Mangalore towards financial assurance related to stone mines contract.

Bond Cum Legal undertaking has been given by ISPRL to Development Commissioner, MSEZ Mangalore amounting to ₹ 100.80 crore with respect to benefits of exemptions, drawback, cess and concessions availed on account of goods and services in terms of provisions of rule 25 of Special Economic Zones Rules 2006.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

All related party transactions were limited to payment of managerial remuneration to CEO & MD, ISPRL, CFO, ISPRL and Company Secretary, ISPRL, Reimbursement of expenses to OIDB, Grant receivable from OIDB, Expenditure incurred on behalf of OIDB, Sale and transfer of Property, Plant and Equipment (PPE) to KMPs. The transactions with the related parties are in the ordinary course of business and are on Arm's Length basis and are not material in nature.

COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF SECRETARIAL STANDARDS

The applicable Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India have been duly complied by the Company.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

As required under clause (c) of sub-section (3) Section 134 of the Companies Act, 2013, your Board of Directors of the Company hereby state and confirm:

(a) That in preparation of Annual Accounts for the financial year, the applicable Accounting Standards have been followed along with the proper explanations relating to material departures;

(b) That Directors have selected the accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31st March, 2023 and of the Profit and Loss of the Company for that year;

(c) That Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) That the Directors have prepared the Accounts for the Financial Year ended 31st March, 2023 on a “going concern” basis.

(e) That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

BOARD OF DIRECTORS

Your Board of Directors comprises of five part-time Non-Executive Directors and one full-time CEO & MD as on 31st March, 2023 details are given below:

1. Shri Pankaj Jain (DIN - 00675922), Secretary, MoP&NG – Chairman(w.e.f. 20.01.2022);
2. Shri Praveen Mal Khanooja (DIN - 09746472), Additional Secretary, MoP&NG-Director (appointment w.e.f. 17.02.2023);
3. Ms. Kamini Chauhan Ratan (DIN - 09831741), Additional Secretary & Financial Adviser, MoP&NG – Director (appointment w.e.f. 21.12.2022);
4. Ms. Esha Srivastava (DIN - 08504560), OSD (IC), MoP&NG – Director (w.e.f. 22.12.2021)
5. Ms. Varsha Sinha (DIN - 09825811), Secretary, OIDB - Director (appointment w.e.f. 15.12.2022);
6. Shri L. R. Jain (DIN - 08505199), CEO & MD (appointment w.e.f. 31.10.2022).

Following Directors ceased to be Directors on the Board of ISPRL after 01st April, 2022:

1. Shri HPS Ahuja, CEO & MD (cessation 01.06.2022)
2. Shri Ajay Dashore, CEO & MD (Additional Charge) (w.e.f. 17.06.2022 till 30.10.2022)
3. Ms. Yatinder Prasad, JS& FA, MoP&NG- Director (w.e.f. 11.10.2022 till 21.11.2022)
4. Shri Gudey Srinivas, AS&FA, MoP&NG - Director (cessation 26.09.2022)
5. Shri Navneet Mohan Kothari, Secretary, OIDB - Director (cessation 30.11.2022)

ACKNOWLEDGEMENT

Your Board of Directors gratefully acknowledges the valuable guidance and support received from the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas and Oil Industry Development Board.

For and on behalf of the Board.

Sd/-	**Sd/-**
(Esha Srivastava)	**(L. R. Jain)**
Director	**CEO & MD**
(DIN# 08504560)	**(DIN# 08505199)**

Date: 26.09.2023

Place: New Delhi

Annexure-I

Details of the meeting of the Board Committees and Board and number of meetings attended by the Directors:

AUDIT COMMITTEE:

The Audit Committee held two meeting in the financial year 2022-23.

The Director's attendance at the Audit Committee meeting held on 31st October, 2022 is as follows:

Sl. No.	Members	Designation	No. of meetings attended in FY 2022-23
1.	Ms. Yatinder Prasad	Chairman	1
2.	Ms. Esha Srivastava	Member	1
3.	Shri L. R. Jain	Member	1

The Director's attendances at the Audit Committee meeting held on 3rd March, 2023 is as follows:

Sl. No.	Members	Designation	No. of meetings attended in FY 2022-23
1.	Shri Parveen Mal Khanooja	Chairman	1
2.	Ms. Kamini Chauhan Ratan	Member	1
3.	Ms. Esha Srivastava	Member	1
4.	Shri L. R. Jain	Member	1

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE:

No meeting held during the FY 2022-23.

BOARD OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Company held six meetings in the financial year 2022-23 as per the following details:

1. 2nd June, 2022
2. 12th August, 2022
3. 18th October, 2022
4. 04th November, 2022
5. 17th November, 2022
6. 16th March, 2023

Details of Directors attendance for the Board meetings attended in the FY 2022-23 as follows:

Sl. No.	Name of Directors	Designation	No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23
1.	Shri Pankaj Jain (w.e.f. 20.01.2022)	Chairman	6
2.	Shri Parveen Mal Khanooja (w.e.f. 17.02.2023)	Director	1
3.	Ms. Kamini Chauhan Ratan (w.e.f. 21.12.2022)	Director	1
4.	Ms. Esha Srivastava (w.e.f. 22.12.2021)	Director	5
5.	Ms. Varsha Sinha (w.e.f. 15.12.2022)	Director	1
6.	Shri L. R. Jain (w.e.f. 31.10.2022)	CEO & MD	3
7.	Dr. N. M. Kothari (till 30.11.2022)	Director	5
8.	Ms. Yatinder Prasad (till 21.11.2022)	Director	3
9.	Shri Ajay Dashore (till 30.10.2022)	CEO & MD	2
10.	Shri Gudey Srinivas (till 26.09.2022)	Director	Nil
11.	Shri H P S Ahuja (till 01.06.2022)	CEO & MD	Nil

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The Members of
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2023, the Statement of Profit and Loss, the statement of Changes in Equity and the statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards ("the IND AS") specified under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2023, its loss, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report*. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

1. We draw your attention to Note No. 31(ii)(a) to the financial statements wherein the Company has explained that due to pending clarification / advise from the MoPNG against assurance given to C&AG during their supplementary audit of FY 2020-21 for seeking clarifications from MoPNG on the matter and further assurance given by the Company to C&AG during their supplementary audit of FY 2021-2022 for obtaining expert advisory opinion from ICAI regarding treatment of accounting of value of crude oil quantity, crude oil transactions and its inventory in the books of account and financial statements, however, the Company has preferred not to seek expert advisory opinion from the ICAI. The Company has not included the same in its books of account and financial statements for the FY 2022-23 and has continued to disclose only the quantitative details of crude oil reserves in the Note as in earlier years.

2. We draw your attention to Note No. 31(ii)(b) to the financial statements wherein the Company has explained that due to pending expert advisory opinion from the ICAI against assurance given to C&AG during their supplementary audit for FY 2021-22 regarding treatment of accounting of O&M Grant for Phase-I and corresponding O&M

expenses, the Company has continued to offset both on the face of the Statement of Profit & Loss and not considered in the Cash Flow Statement, as in earlier years.

3. We noted from the minutes of 85th Board Meeting of the Company that the Thematic Audit of the Company was carried out by C&AG during the FY 2022-23 and a report was issued by C&AG. The Company explained to us that the Thematic Audit Report is confidential and cannot be shared till the same is presented in the Parliament and the financial impact of observations made therein, if any, shall be accounted for on receipt of the Thematic Audit Report by the Company.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act, with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, change in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the **Annexure - A**, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

   (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   (e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2023 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2023 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

   (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **Annexure - B**.

   (g) Based on the information and explanations provided by the Company, we state that the remuneration paid by the Company to its directors during the year under audit is in accordance with provisions of section 197(16) of the Act.

   (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Note 22.2(A) to the financial statements;

      ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses - Refer Note 31(xxxix) to the financial statements;

      iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company - Refer Note 31(xxxx) to the financial statements.

      iv. (a) The Company's Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note No. 31(xxx)(A) to the financial statements, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities

identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The Company's Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note No. 31(xxx)(B) to the financial statements, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(c) Based on the audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material mis-statement.

v. To the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has not declared or paid any dividend during the year, accordingly the provisions of Rule 11(f) is not applicable.

vi. As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable for the Company only with effect from 1st April, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable.

3. As required by Section 143(5) of the Act and as per directions issued by Comptroller and Auditor General of India, we report that:

SL.No.	Directions	Auditor's Replies
(i)	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system except Billing for sale of Crude Oil, Operating Income from ADNOC & MRPL, and Rock sale, Fixed Assets Records, Leave Records, Payroll, Grant Records for which there is no implication of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts and no financial implications observed.
(ii)	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts / loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	There is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan.

S.No.	Directions	Auditor's Replies
(iii)	Whether funds (grant/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government of its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Funds (grant/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government of its agencies are properly accounted for/ utilized as per their terms and conditions.

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 001009N

Sd/-
(K. M. Azad)
Partner
Membership No. 005125
UDIN: 23005125BHANKS2483

Place: New Delhi
Date: 11th July, 2023

"Annexure A" To The Independent Auditors' Report

[Annexure-A referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of **Indian Strategic Petroleum Reserves Limited**, on the financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2023]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:

i) (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Company has maintained proper records showing full particulars of Intangible Assets (ROU for Pipelines).

(b) According to the information and explanations given to us, the Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management in a phased manner through external agency at the Visakhapatnam unit and internally at Mangalore & Padur units and Head Office, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its Property, Plant and Equipment. As per information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

(c) The title deeds of the immovable properties (Right of Use assets) disclosed in Note No. 2 to the Financial statements are held in the name of the Company ***except in case of below*** *[Refer Note No. 31(xix) to the financial statements]*:

Description of Property	Gross carrying value (Rs. In Lac)	Held in name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held - indicate range, where appropriate	Reason for not being held in name of company
Right of Use - Land at Mangalore Special Economic Zone (104.73 acres)	Rs. 8492.50 Lacs	Lease Agreement entered into between Mangalore SEZ Limited and the Company dated 7th March,2017 not registered in the name of the Company.	No	Lease from the date of possession of the land to 26th January, 2060. Date of Allotment available in record for 100.02 acres is 23.11.2009 and for 4.71 acres is 11.04.2018. However, document for date of taking of possession is not in company record.	As informed to us, the Company is following with the Mangalore SEZ Limited for registration of lease deed.

(d) According to the information, explanations and management representations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) during the year.

(e) According to the information, explanations and management representations given to us, no proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at 31st March, 2023 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and Rules made thereunder.

ii)(a) According to the information and explanations given to us, the management has conducted physical verification of Crude Oil inventory held on behalf of Government of India at Cavern B and ADNOC at Cavern A at Mangalore and on behalf of Government of India at Visakhapatnam and Padur at reasonable intervals through independent surveyors. In our opinion, having regard to the nature and location of the Crude, the coverage and procedure of such verification is considered appropriate.

(b) According to the information and explanations given to us, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, at any point of time of the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, the provisions of this clause of the Order are not applicable to the Company.

iii) (a) to (f) According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, provisions of this clause of the Order are not applicable to the Company.

iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, made investments or provided guarantees or security which required compliance of the provisions of section 185 and 186 of the Act. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits, during the year to which the directives issued by the Reserve Bank of India and provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provision of the Act are applicable.

vi) According to the information and explanations given to us, the Central Government of India has not specified the maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Act. Accordingly, provisions of this clause of the Order are not applicable to the Company.

vii) (a) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities. There are no arrears of undisputed outstanding statutory dues as on the last day of the financial year for a period of more than six months from the date they became payable, ***except as stated below:***

Statement of Arrears of Statutory Dues Outstanding for More Than Six Months

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of dues	Amount (Rs. In Lac)	Period to which the amount relates	Due Date	Date of Payment	Remarks, if any
1.	Income Tax Act, 1961	Demand on Assessment made U/s 143(3)	117.84	FY 2015-16 (AY 2016-17)	Remarks: Company has already paid the demand under Vivad se Vishwas Scheme during the FY 2020-2021, though adjustment is pending by the Tax Department since appearing as outstanding on the income tax portal.		
2.	Income Tax Act, 1961	Demand on Assessment made U/s 143(3)	31.70	FY 2016-17 (AY 2017-18)	Remarks: Company has already paid the demand under Vivad se Vishwas Scheme during the FY 2020-2021, though adjustment is pending by the Tax Department since appearing as outstanding on the income tax portal.		

(b) According to the information, explanations and management representations given to us, there were no statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income- tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues which have not been deposited on account of any disputes ***except as stated below:***

Statement of Disputed Dues

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of dues	Amount (Rs. In Lac)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending	Remarks, if any
1	Andhra Pradesh Minor Mineral Concession Rules 1996	Royalty	11,795.03	Upto 31.03.2018	Directorate of Mines and Geology, Andhra Pradesh	-
2	Income Tax Act, 1961	Demand on Assessment made U/s 154	0.29	FY 2017-18	Under appeal with Commissioner of Income Tax (Appeals)	-
3	Karnataka Panchayat Raj Act, 1993	Property Tax	821.68	From 2015-16 to 2022-23	Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Udupi	-

viii) As per the information, explanations and management representations given to us, there were no transactions, not recorded in the books of account which have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

ix) (a) According to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our audit procedures, the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or any other lender.

(c) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has not taken any term loans during the year. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(d) According to the information and explanations given to us and the procedures performed by us and on an overall examination of the financial statements of the company, we report that no funds have been raised on short-term basis during the year by the Company. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(e) According to the information and explanations given to us, the Company does not have any subsidiaries, associate or joint ventures. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(f) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any loans during the year. Accordingly, provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

x) (a) According to the information and explanations given to us and as per records examined, the Company has not raised moneys by way of Initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the information and explanations given to us and as per records examined, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xi) (a) During the course of our audit, examination of the books and records of the Company carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India and to the best of our knowledge & belief and according to the information, explanation and management representations given to us, no fraud by the Company or any fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub section (12) of section 143 of the Act in Form ADT - 4 has been filed with the Central Government by us.

(c) According to the information, explanations and management representations given to us, there are no whistle blower complaints received during the year by the Company.

xii) (a) (b) & (c) According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xiii) According to the information, explanations and management representations given to us, transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Act, where applicable, and details of all related party transactions have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable Indian Accounting Standards [refer Note 23 to the financial statements].

xiv) (a) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has an internal audit system, ***however, its scope needs to be enlarged to make it commensurate with the size and nature of Company's business.***

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date and made available to us, for the year under audit.

xv) According to the information and explanations given to us, the Company has entered into non-cash transactions with its Ex-CEO&MD and one Ex-Director during the year, by transferring of one I-pad to each of them costing Rs. 1.73 lacs [having book value (WDV) of Rs. 1.44 lacs] free of cost, **for which the provisions of section 192 of the Act have not been complied with.**

xvi) (a) According to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act,1934. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(b) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

(c) & (d) According to the records of the Company examined and information, explanations and management representations given to us, the Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India nor the Group has any CIC as part of the Group. Accordingly, the provisions of these clauses of the Order is not applicable to the Company.

xvii) The Company has not incurred cash losses during the financial year and the immediately preceding financial year.

xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts upto the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx) (a) & (b) According to the information and explanations given to us, the provisions of Section 135 of the Act for Corporate Social Responsibility are not applicable to the Company during the year. Accordingly, the provisions of this clause of the Order is not applicable to the Company.

xxi) Reporting under this clause of the Order is not applicable to the Company.

for Prasad Azad & Co.

Chartered Accountants

Firm's Registration Number: 001009N

Sd/-

(K. M. Azad)

Partner

Membership No. 005125

UDIN: 23005125BHANKS2483

Place: New Delhi

Date: 11th July, 2023

"Annexure - B" to the Independent Auditors' Report of even date on the Financial Statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for the year ended 31st March, 2023

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of the **Indian Strategic Petroleum Reserves Limited** ("the Company") as of 31st March, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India" ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143 (10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Company's internal financial controls system over to financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in

accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness have been identified as at 31st March, 2023:

(i) The Company has not raised Tax Invoices within the time prescribed by the statutory authorities;

(ii) There is no policy for sale of assets, granting advances to employees, for employee re-imbursements, write off / write back of Property, Plant & Equipment and old balances;

(iii) Some gaps were reported in testing carried out by the Company (through a consultant) which need to be addressed by the Company.

A "material weakness" is a deficiency or a combination of deficiencies in the internal control over financial reporting; such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of a company's annual financial statements will not be prevented or detected on timely basis.

In our opinion, **except** for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting with reference to these financial statements and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing and extent of audit test applied in our audit of the 31st March, 2023 financial statements of the Company and this material weakness does not affect our opinion on the financial statements of the Company.

for Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 001009N

Sd/-

(K. M. Azad)
Partner
Membership No. 005125
UDIN: 23005125BHANKS2483

Place: New Delhi
Date: 11th July, 2023

Annexure-C

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

The preparation of financial statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11th July, 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for the year ended 31st March, 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Profitability

Statement of Profit & Loss for the year ended 31st March, 2023

Expenses

Operation & Maintenance Expenses: ₹ 13,693.03 lakh

The expenditure of ₹13,693.03 lakh incurred by the Company towards Operation and Maintenance (O&M) expenses has been offset against the recoverable/recovered expenses from Government of India/MoP&NG, ADNOC and/or HPCL, in contravention to Section 2(13) of the Companies Act, 2013 and Para 32 of Ind AS 01 as well as Memorandum of Association of ISPRL.

Despite an assurance given by the Company during the audit for the year 2021-22, the opinion of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) regarding the correct presentation of offsetting of O&M expenditure against the receivable/received amount from Government of India/MoPNG, ADNOC and HPCL was not sought by the Company.

B. Comments on Financial Position

Balance Sheet as at 31st March, 2023

Asset

Current Assets: ₹ 5113.85 lakh

ISPRL is making transactions pertaining to procurement and sale of crude oil on behalf of Government of India. ISPRL has disclosed in notes to accounts the value of 3014333.38 MT of crude oil as ₹5,32,397.96 lakh. Accounting for the procurement/sale and inventory of crude oil has not been done by ISPRL.

Despite an assurance given by the Company during the audit for the year 2021-22, the opinion of the ICAI for accounting of the same in the financial statements was not sought.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
C. M. Sane
Director General of Commercial Audit, Mumbai

Place: Mumbai
Date: 08th September, 2023

Annexure-E

FORM MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2023

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
301 World Trade Centre,
3rd Floor, Babar Road,
New Delhi-110001.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indian Strategic Petroleum Reserves Limited** (hereinafter called "the company") bearing **CIN No.U63023DL2004GOI126973**, Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2023**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **Not Applicable**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 :-

  (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011: **Not Applicable**

  (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992: **Not Applicable**

  (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018: **Not Applicable**

  (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021: **Not Applicable**

(e) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021: **Not Applicable**

(g) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018: **Not Applicable**

(vi) Other applicable laws :

i) The Petroleum Act, 1934;

ii) Indian Explosives Act, 1884

iii) Sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal), Act 2013

(vii) Environmental Laws:

i) The Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974

ii) The Air (Prevention and Control of pollution) Act, 1981

iii) The Environment (Protection) Act, 1986

iv) Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

We have relied on the representations made by the Company and its officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable laws and Regulations to the Company.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s) : **Not Applicable**

During the period under review the company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to:

- The Company received a show cause notice dated 17.05.2022 from the Deputy Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana, for contravention of Section 149(1) of the Companies Act, 2013. The Company filed its reply on 10th June, 2022 with all the relevant documents. No further communication has been received from the concerned authority in this regard.

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

During the year under review, some Board Meetings and Committee Meetings were called at shorter notice, agenda alongwith detailed notes on agenda were sent at shorter notice and consent was taken from the directors. A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes maintained by the Company for the Board/Committee meetings all the decisions have been carried out by majority, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the company has not undertaken events/action having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

FOR PG & ASSOCIATES
(Company Secretaries)

Sd/-
CS PREETI GROVER
(Proprietor)
FCS: 5862, C.P. No.: 6065
PEER REVIEW NO.: 772/2020

Place : Noida
Date : 18.05.2023
UDIN : **F005862E000330230**

To,

Annexure-A

The Members,
Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
301, World Trade Centre
3rd Floor, Babar Road
New Delhi-110001.

Auditor's Responsibility

Based on audit, our responsibility is to express an opinion on the compliance with the applicable laws and maintenance of records by the Company. We conducted our audit in accordance with the auditing standards CSAS 1 to CSAS 4 ("CSAS") prescribed by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"). These standards require that the auditor complies with statutory and regulatory requirements and plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about compliance with applicable laws and maintenance of records.

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the CSAS. Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on the secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company and for which we relied on the report of statutory auditor.

4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

FOR PG & ASSOCIATES
(Company Secretaries)

Sd/-
CS PREETI GROVER
(Proprietor)
FCS: 5862, C.P. No.: 6065
PEER REVIEW NO.: 772/2020

Place : Noida
Date : 18.05.2023
UDIN : F005862E000330230

Annexure-B

List of documents verified

1. Annual Report for the financial year ending on 31st March, 2022.
2. Website of the Company for compliances under the Companies Act, 2013 wherever applicable.
3. Minutes of the meetings of the Board of Directors and Audit Committee of the Board with their respective attendance registers, held during the financial year under audit.
4. Minutes of General Body Meeting held during the financial year under the audit.
5. Statutory Registers viz.
   - Register of Directors & KMP
   - Register of transfers
   - Register of members
6. Notice and Agenda papers submitted to all the directors/members for the Board Meetings and Committee Meetings.
7. Declarations/Intimation received from the Directors of the Company pursuant to the provisions of section 184 and 164(2) of the Companies Act, 2013.
8. All e-forms filed by the Company, from 1st April, 2022 to 31st March, 2023, under applicable provisions of the Companies Act, 2013 and attachments thereof during the financial year under audit.
9. License to store LPG gas in pressure vessels for Mangalore, Visakhapatnam and Padur valid upto 30.09.2027.
10. License to store Liquid Nitrogen gas in pressure vessels for Mangalore and Padur valid upto 30.09.2027 and for Visakhapatnam valid upto 30.09.2026.
11. License to store HSD for Mangalore valid upto 31.12.2027, for Padur valid upto 31.12.2025 and for Visakhapatnam valid upto 31.12.2024
12. Consent for discharge of effluents under section 25(4) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and emission under section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for Mangalore valid till 30.06.2026, Visakhapatnam valid till 31.10.2025.
13. CCOE Approval for storage of crude for Visakhapatnam valid upto 31.12.2023, for Padur 31.12.2025 and for Mangalore valid upto 31.12.2025.
14. Factories Licence for Visakhapatnam valid until cancelled, for Padur valid upto 31.12.2029 and for Mangalore 31.12.2027.
15. Certificate of Yearly Test of Safety Relief Valve, Internal Valve, Excess Flow Valve issued under Rule 18 of Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 [SMPV(U) Rules, 2016].
16. Constitution of IC under the Sexual Harassment of Women at the workplace (Prohibition, Prevention and Redressal) Act, 2013 and Annual Return filed under the Act for the period 1.1.2022- 31.12.2022.

ANNUAL ACCOUNTS

2022-23

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2023
CIN :- U63023DL2004GOI126973

	Particulars	Note No.	₹ in lakhs As At 31st March, 2023	₹ in lakhs As At 31st March, 2022
(I)	**ASSETS**			
	Non-Current Assets			
	(A) Property, Plant & Equipment	2	308,106.69	317,996.26
	(B) Capital Work in Progress	2.1	-	-
	(C) Other Intangible Assets	2.2	7,150.39	7,100.95
	(D) Financial Assets			
	(i) Loans	3.1	-	-
	(ii) Other Financial Assets	3.2	18,611.77	26,010.07
	(E) Income tax Assets	4	986.50	900.39
	(F) Other Non Current Assets	5	10,294.62	10,197.49
	Sub Total		**345,149.97**	**362,205.16**
(II)	**Current Assets**			
	(A) Financial Assets			
	(i) Cash and cash equivalents	6	1,883.76	2,921.59
	(ii) Bank Balances other than above	7	-	-
	(iii) Other Financial Assets	8	1,432.48	4,523.08
	(B) Other Current Assets	9	1,797.61	2,865.62
	Sub Total		**5,113.85**	**10,310.29**
	TOTAL ASSETS		**350,263.82**	**372,515.45**
(I)	**EQUITY AND LIABILITIES**			
	Equity			
	(A) Equity Share Capital	10	379,005.47	379,005.47
	(B) Other Equity	11	(63,168.45)	(53,467.06)
	Sub Total		**315,837.02**	**325,538.41**
(II)	**LIABILITIES**			
	Non-Current Liabilities			
	(A) Financial Liabilities			
	(i) Borrowings		-	-
	(ia)Lease Liabilities	12.1	554.71	558.72
	(ii)Other Financial Liabilities	12.2	17.37	7.73
	(B) Provisions	12.3	-	16.42
	Sub Total		**572.08**	**582.87**
(III)	**Current Liabilities**			
	(A) Financial Liabilities			
	(i) Borrowings	13.1	-	-
	(ia) Lease Liabilities	13.2	3.77	3.49
	(ii) Trade Payables			
	(a) Total outstanding dues to Micro Enterprises and Small Enterprises	14	204.41	224.87
	(b) Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	14	1,687.20	1,300.63
	(iii) Other Financial Liabilities	15	23,793.90	34,333.24
	(B) Provisions	16.1	-	0.39
	(C) Other Current Liabilities	16.2	8,165.44	10,531.55
	Sub Total		**33,854.72**	**46,394.17**
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		**350,263.82**	**372,515.45**

Significant Accounting Policies 1
Notes on Accounts 2- 31(xxxxviii)
Notes referred above form an integral part of the Financial Statements
As per our report of even date attached

For and on behalf of Board of Directors

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125
Place - New Delhi
Date - 11 July, 2023

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
DIN : 08504560

Sd/-
(Lakhpat Rai Jain)
CEO & MD
DIN : 08505199

Sd/-
(Gopeshwar Kumar Singh)
CFO
Place - New Delhi
Date - 03.07.2023

Sd/-
(Shilpi Mohanty)
Company Secretary

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
CIN :- U63023DL2004GOI126973

Particulars	Note No.	₹ in lakhs For the Year Ended 31st March, 2023		₹ in lakhs For the Year Ended 31st March, 2022	
Revenue					
Revenue from Operations	17.1		205.81		-
Other Income	17.2		384.02		896.47
Total Income			**589.83**		**896.47**
EXPENSES					
Depreciation and Amortisation Expenses	18		9,928.03		9,981.77
Finance Cost (Ind AS 116)	19		11.38		11.59
Other Expenses					
- - Operation & Maintenance Expenses	20.1	13,693.03		14,753.98	
Less:- Operation & Maintenance Expenses Recoverable/Recovered from GOI		13,693.03	-	14,753.98	-
- - Expenses for Phase II Project			314.15		832.78
- - Miscellaneous Expenses	20.2		37.65		1.66
Total Expenses			**10,291.21**		**10,827.80**
Loss Before Tax			**(9,701.38)**		**(9,931.33)**
Tax Expense:					
Current Tax			-		-
Income Tax Paid for Earlier Years (Under Vsv Scheme)			-		-
Less:- Recovered/Recoverable from GOI/MOP&NG			-		-
Deferred Tax			-		-
Total Tax Expanses			**-**		**-**
Loss for the year			**(9,701.38)**		**(9,931.33)**
Other Comprehensive Income			**-**		**-**
Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profit/(Loss) and Other Comprehensive Income for the year)			**(9,701.38)**		**(9,931.33)** **-**
Earning per Equity Share (Par Value of Rs.10/ each)	21				
(i) Basic			(0.26)		(0.26)
(ii) Diluted			(0.26)		(0.26)

Significant Accounting Policies 1
Notes on Accounts 2- 31(xxxxviii)
Notes referred above form an integral part of the Financial Statements
As per our report of even date attached

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125
Place - New Delhi
Date - 11 July, 2023

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	**Sd/-**
(Esha Srivastava)	**(Lakhpat Rai Jain)**
Director	**CEO & MD**
DIN : 08504560	**DIN : 08505199**
Sd/-	**Sd/-**
(Gopeshwar Kumar Singh)	**(Shilpi Mohanty)**
CFO	**Company Secretary**

Place - New Delhi
Date - 03.07.2023

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
CIN :- U63023DL2004GOI126973

Sr. No.	Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
(A)	**CASH FLOW STATEMENT FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit / (Loss) Before Taxation	**(9,701.38)**	**(9,931.33)**
	Adjustments for :-		
	Depreciation and Amortization Expenses	9,943.14	9,996.84
	Loss on Write Off of Property, Plant & Equipment	2.08	-
	Property, Plant & Equipment charged to expense / Decap	21.00	44.47
	Profit on Sale of Property, Plant & Equipment	(0.01)	-
	Finance Cost (Ind AS 116)	11.38	11.59
	Interest Income	(63.55)	(61.37)
	Operating Profit Before Working Capital Changes	**212.66**	**60.20**
	Adjustments for :-		
	(Increase)/ Decrease in Financial & Other Assets	3,647.82	(8,513.89)
	Increase/(Decrease) in Liabilities & Provisions	(12,232.34)	3,590.92
	Net Increase/(Decrease) in Working Capital	**(8,584.52)**	**(4,922.97)**
	Cash Generated from Operations	**(8,371.86)**	**(4,862.77)**
	Direct Taxes Paid (Net of Refunds)	(86.11)	(730.70)
	Total Cash Flow from Operation (A)	**(8,457.97)**	**(5,593.47)**
(B)	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Purchase of Property, Plant and Equipment	(127.86)	(28.47)
	Consideration on Sale of Property, Plant and Equipment	1.74	-
	Investment in Fixed Deposit (More than 3 months)	6,844.17	(12,186.79)
	Interest Received	63.55	61.37
	Net Cash Used in Investing Activities (B)	**6,781.60**	**(12,153.89)**
(C)	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Proceeds from Issue of Equity Share Capital	-	1,418.00
	Proceeds / (Repayment)from Borrowings	-	(9,816.17)
	Proceeds from Grants for Phase II from GOI / MoPNG	-	21,000.00
	Proceeds from Grants (Net of Refund) for Phase II from OIDB	-	803.41
	Amortization of Grant from OIDB	(314.15)	(832.78)
	Stamp Duty on Issue of Equtiy Share Capital	-	(0.07)
	Interest Cost (Ind AS 116)	(11.38)	(11.59)
	Lease Liabilities (Ind AS 116)	(3.73)	(3.23)
	Net Cash Flow From Financing Activities (C)	**(329.26)**	**12,557.57**
(D)	**Net Increase/ Decrease in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)**	**(2,005.63)**	**(5,189.79)**
	Opening Balance of Cash & Cash Equivalents	**2,254.39**	**7,444.18**
	Closing Balance of Cash & Cash Equivalents	**248.76**	**2,254.39**
	Components of Cash & Cash Equivalents		
	Balance with Banks		
	--In Current Accounts	248.76	2,252.84
	--In Deposit Accounts		
	-- Fixed Deposits (With Original Maturity upto 3 months)	-	-
	--Cash on Hand	-	1.55
	Total	**248.76**	**2,254.39**

Note :
1 The above Statement of Cash Flows has been prepared under the "Indirect Method" as set out in IND AS 7 on Statement of Cash Flows.

Significant Accounting Policies 1
Notes on Accounts 2- 31(xxxxviii)
Notes referred above form an integral part of the Financial Statements
As per our report of even date attached

For and on behalf of Board of Directors

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N
Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125
Place - New Delhi
Date - 11 July, 2023

Sd/-
(Esha Srivastava)
Director
DIN : 08504560

Sd/-
(Lakhpat Rai Jain)
CEO & MD
DIN : 08505199

Sd/-
(Gopeshwar Kumar Singh)
CFO

Sd/-
(Shilpi Mohanty)
Company Secretary

Place - New Delhi
Date - 03.07.2023

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

a. Equity share capital	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Balance at the beginning of the reporting period (A)	379,005.47	377,587.47
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors (B)	-	-
Reinstated Balance at the Beginning of the reporting period (C) = (A) + (B)	**379,005.47**	**377,587.47**
Changes in equity share capital during the year (D)	-	1,418.00
Balance at the end of the reporting period (E) = (C) + (D)	**379,005.47**	**379,005.47**

b. Other Equity	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
	Retained earnings	
Balance at the beginning of the reporting period (A)	(53,467.07)	(43,535.66)
Changes in accounting policy or prior period errors (B)	-	-
Reinstated balance at the beginning of the reporting period (C) = (A) + (B)	**(53,467.07)**	**(43,535.66)**
Transferred to Retained Earnings (D)	(9,701.38)	(9,931.33)
Stamp Duty on Share Issued (E)	-	(0.07)
Other comprehensive income for the year (F)	-	-
Balance at the end of the reporting period (G) = (C) + (D) + (E) + (F)	**(63,168.45)**	**(53,467.06)**

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125

Place - New Delhi
Date - 11 July, 2023

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	**Sd/-**
(Esha Srivastava)	**(Lakhpat Rai Jain)**
Director	**CEO & MD**
DIN : 08504560	**DIN : 08505199**
Sd/-	**Sd/-**
(Gopeshwar Kumar Singh)	**(Shilpi Mohanty)**
CFO	**Company Secretary**

Place - New Delhi
Date - 03.07.2023

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part Of The Financial Statements

Note No. 2 : Property, Plant and Equipment

`₹ in lakhs

Particulars	GROSS BLOCK					DEPRECIATION / AMORTIZATION				NET BLOCK	
	As at 1st April, 2022	Additions during the year	Impact of Ind AS 116	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	As at 31st March, 2023	Depreciation upto 31st March, 2022	Depreciation for the year	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	Total Depreciation upto 31st March, 2023	AS AT 31st March, 2023	AS AT 31st March, 2022
(a) Building	18,447.50	-		-	18,447.51	2,460.08	511.96	-	2,972.06	15,475.45	15,987.42
(b) Roads & culverts	3,165.30	-		-	3,165.30	1,855.40	224.51	-	2,079.91	1,085.39	1,309.90
(c) Plant & Machinery	126,754.35	-		(15.62)	126,738.73	24,999.62	5,275.03	(9.90)	30,264.74	96,473.99	101,754.73
(d) Caverns	202,919.61	19.70		-	202,939.31	16,087.83	3,378.48	-	19,466.32	183,472.98	186,831.78
(e) Furniture and Fixtures	167.80	1.43		-	169.23	81.83	15.96	-	97.78	71.46	85.97
(f) Transport Vehicles	131.41	19.82		-	151.23	73.28	16.26	-	89.54	61.69	58.13
(g) Office equipment	456.79	26.09		(8.44)	474.43	402.67	9.03	3.30	415.00	59.43	54.12
(h) Computer	1,255.65	11.38		(13.47)	1,253.56	1,012.36	79.53	(6.08)	1,085.80	167.76	243.29
(i) Right of Use (Ind AS116)*	13,270.09	-	-	-	13,270.09	1,599.17	432.38	-	2,031.55	11,238.54	11,670.92
Total	**366,568.50**	**78.42**	**-**	**(37.53)**	**366,609.40**	**48,572.24**	**9,943.14**	**(12.68)**	**58,502.71**	**308,106.69**	**317,996.26**

Previous Year

`₹ in lakhs

Particulars	GROSS BLOCK					DEPRECIATION / AMORTIZATION				NET BLOCK	
	As at 1st April, 2021	Additions during the year	Impact of Ind AS 116	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	As at 31st March, 2022	Depreciation upto 31st March, 2021	Depreciation for the year	Disposals/ Deductions/ Transfers / Reclassifications/ Reestimation of Life	Total Depreciation upto 31st March, 2022	AS AT 31st March, 2022	AS AT 31st March, 2021
(a) Building	18,447.50	-		-	18,447.50	1,950.62	510.83	(1.37)	2,460.08	15,987.42	16,496.88
(b) Roads & culverts	3,165.30	-		-	3,165.30	1,614.03	241.37	-	1,855.40	1,309.90	1,551.27
(c) Plant & Machinery	126,759.86	-		(5.51)	126,754.35	19,835.83	5,164.79	(1.00)	24,999.62	101,754.73	106,924.03
(d) Caverns	202,948.33	-		(28.72)	202,919.61	12,708.20	3,382.47	(2.84)	16,087.83	186,831.78	190,240.13
(e) Furniture and Fixtures	167.11	0.69		-	167.80	66.35	15.51	(0.03)	81.83	85.97	100.76
(f) Transport Vehicles	131.41	-		-	131.41	57.67	15.61	-	73.28	58.13	73.74
(g) Office equipment	451.62	5.17		-	456.79	383.40	26.31	(7.04)	402.67	54.12	68.22
(h) Computer	1,243.54	12.11		-	1,255.65	893.15	125.99	(6.78)	1,012.36	243.29	350.39
(i) Right of Use (Ind AS 116)*	13,269.83	-	-	0.26	13,270.09	1,066.14	533.03	-	1,599.17	11,670.92	12,203.69
Total	**366,584.50**	**17.97**	**-**	**(33.97)**	**366,568.50**	**38,575.39**	**10,015.91**	**(19.06)**	**48,572.24**	**317,996.26**	**328,009.11**

*Refer Note No. 22.1 and Accounting Policy No. 1.11

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 2.1 : Capital Work in Progress

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2023	₹ in lakhs As at 31st March, 2022
	-	-
Total	**-**	**-**

Note No. 2.2 : Other Intangible Assets

Intangible Assets (ROU for Pipeline)	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Gross Block as on beginning of the year	7,100.95	7,100.95
Addition/Transfer from other assets during the year	49.44	-
Disposal/Deductions/Transfer/Reclassification	-	-
Gross Block as at end of the year	7,150.39	7,100.95
Amortization as at beginning of the year	-	-
Amortization during the year	-	-
Disposal/Deductions/Transfer/Reclassification	-	-
Amortization as at end of the year	-	-
Net Block	**7,150.39**	**7,100.95**

Note:- ROU for pipeline are acquired on perpetual basis, hence no amortization is being done.

Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 3.1 Loans	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
	-	-
TOTAL	-	-

Note No. 3.2 Other Financial Assets	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Security Deposits	689.80	690.05
Recoverable from Entry Tax, Karnataka (against BG Encashment)	74.64	74.64
Fixed Deposits (With Original Maturity more than one year)*		
[Includes accrued interest of ₹ 422.45 Lakhs	12,432.97	20,244.92
(Previous Year ₹ 509.85 Lakhs for FY 2021-22)]		
*** Refer Note No. 31 (xvi) for details of pledged deposits**		
Deposit with High Court Delhi for Arbitration Case of HCC	5,000.46	5,000.46
[Refer Note No. 31(xxxxii)]		
Deposit with Chief Executive Officer, Udupi	410.84	-
Advance to Employees	3.06	-
TOTAL	18,611.77	26,010.07

Note No. 4 Income Tax Assets	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Income Tax Assets (A.Y. 2018-19)	14.16	14.16
Income Tax Assets (A.Y. 2019-20)	15.71	15.71
Income Tax Assets (A.Y. 2020-21)	38.13	38.13
Income Tax Assets (A.Y. 2021-22)	104.01	104.01
Income Tax Assets (A.Y. 2022-23)	728.39	728.38
Income Tax Assets (A.Y. 2023-24)	86.10	-
TOTAL	986.50	900.39

Note No. 5 Other Non Current Assets	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
(Unsecured considered good at amortised cost)		
Capital Advance to KIADB for Land Acquisition of Phase II project	9,823.55	9,819.38
Capital Advance to MSEZL for Land Acquisition Phase I Extension Land	200.00	-
Prepaid Expenses	271.07	378.11
TOTAL	10,294.62	10,197.49

Note No. 6 Cash & Cash Equivalent	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Balances with Banks		
In Current Accounts	248.76	2,252.84
In Bank Deposits		
Fixed Deposits (With Original Maturity upto three months)	-	-
Fixed Deposits (With Original Maturity more than three months but upto one year)	1,635.00	667.20
Cash Balances:		
Cash on Hand	-	1.55
TOTAL	1,883.76	2,921.59

Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 7 Bank Balances other than above	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
	-	-
TOTAL	**-**	**-**

Note No. 8 Other Financial Assets		
	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
(Unsecured considered good at amortized cost)		
Receivable From HPCL (O&M Expenses)	746.46	1,250.62
Receivable From HPCL (Other than O&M)	1.40	49.44
Receivable from GOI / MoPNG for HCC Arbitration Case Vizag [Refer Note No. 31(xxxxiii)]	-	1,864.08
Operating and Other Expenses recoverable from ADNOC	170.91	1,337.33
Accrued Interest on Security Deposit with electricity companies	19.35	17.83
Travel Advance to employees	4.02	3.78
Advance to Employees	5.95	-
Accrued Unbilled Operating Income	170.24	-
Amount Receivable From OIDB(Pre-Project Expense Phase II)	314.15	-
TOTAL	**1,432.48**	**4,523.08**

Note No. 9 Other Current Assets	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
(Unsecured considered good)		
Recoverable from MRPL for crude sale	-	1,159.35
Recoverable from MRPL (Others)	-	1.89
Expenses Recoverable from OIDB	0.01	0.16
Advances to Supplier	232.03	8.78
Prepaid Expenses	1,197.36	1,204.82
GST Credit Receivable	368.21	490.62
TOTAL	**1,797.61**	**2,865.62**

Note No.10 : Share Capital

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2023		₹ in lakhs As at 31st March, 2022	
	Number of shares	Amount	Number of shares	Amount
Equity Share Capital				
(a) Authorised				
Equity shares of Rs.10/- each	3,832,560,000	383,256.00	3,832,560,000	383,256.00
(b) Issued, Subscribed and fully paid up				
Equity shares of Rs.10/- each	3,790,054,670	379,005.47	3,790,054,670	379,005.47

Notes :

(i) Reconcilliation of the number of equity shares :

Particulars	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
Equity shares of Rs. 10/- each.				
Opening Balance	3,790,054,670		3,775,874,670	
Equity Shares Issued	-		14,180,000	
Equity Shares bought back	-		-	
Closing Balance	3,790,054,670		3,790,054,670	

(ii) Shares held by holding company:

Name of shareholders	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
	Number of Shares held	% holding in that class of shares	Number of Shares held	% holding in that class of shares
Equity shares of Rs.10/- each				
Oil Industry Development Board, New Delhi & its nominees	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
TOTAL	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iii) Details of shareholders holding more than 5% shares :

Name of shareholders	As at 31st March, 2023		As at 31st March, 2022	
	Number of Shares held	% holding in that class of shares	Number of Shares held	% holding in that class of shares
Equity shares of Rs.10/- each				
Oil Industry Development Board, New Delhi & its nominees	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
TOTAL	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iv) Promoter Shareholding Pattern

Shares held by promoters at the end of the year 2022-23

Promoter Name	No. of shares	% of total shares	% Change during the year
Oil Industry Development Board	3,790,054,670	100%	NIL

Shares held by promoters at the end of the year 2021-22

Promoter Name	No. of shares	% of total shares	% Change during the year
Oil Industry Development Board	3,790,054,670	100%	0.38%

(v) Rights, preferences and restrictions attached to equity shares

The company has only one class of equity shares having par value of Rs. 10 each and is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the company, the holders of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of the company in proportion to the number of equity shares held.

(vi) For the period of preceding five years as on the Balance Sheet date, the :

(a) Number and class of shares allotted as fully paid up pursuant to contract (s) without payment being received in cash — NIL

(b) Aggregate numbers of class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares; and — NIL

(c) Aggregate number and class of shares and class of shares bought back — NIL

Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 11 Other Equity	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Balance of Retained Earnings :		
Balance Loss brought forward from Last Year's Accounts	(53,467.07)	(43,535.66)
Changes in Accounting Policy or Prior Period Errors	-	-
Stamp Duty on Equity Share Issued	-	(0.07)
Profit/(Loss) for the year	(9,701.38)	(9,931.33)
TOTAL	**(63,168.45)**	**(53,467.06)**

Note No. 12.1 Lease Liabilities	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Lease Liabilities	554.71	558.72
TOTAL	**554.71**	**558.72**

NOTE NO. 12.2 - Other Financial Liabilities	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Deposits/ Retention from Suppliers/ Contractors	17.37	7.73
TOTAL	**17.37**	**7.73**

NOTE NO.12.3 Provisions	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Provisions for Employee Benefits		
(a) Leave Encashment	-	10.91
(b) Gratuity	-	5.51
TOTAL	**-**	**16.42**

NOTE NO. 13.1 - Borrowings	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Loans from Related Parties	-	-
TOTAL	**-**	**-**

NOTE NO. 13.2 - Lease Liabilities	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
Lease Liabilities	3.77	3.49
TOTAL	**3.77**	**3.49**

Note No. 14 Trade Payables	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**As at 31st March, 2023**	**As at 31st March, 2022**
i) Total Outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	204.41	224.87
ii) Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	1,687.20	1,300.63
TOTAL	**1,891.61**	**1,525.50**

Notes Forming Part of The Financial Statements

Trade Payables ageing schedule

Outstanding for following periods from due date of payment - FY 2022-23 ₹ in lakhs

Particulars	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 Years	Total
(i) MSME	204.41	0.00	0.00	0.00	204.41
(ii) Others	1,687.06	0	0.14	0.00	1,687.20
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-

Trade Payables ageing schedule

Outstanding for following periods from due date of payment - FY 2021-22 ₹ in lakhs

Particulars	Less than 1 Year	1-2 Years	2-3 Years	More than 3 Years	Total
(i) MSME	224.87	0.00	0	0	224.87
(ii) Others	1,300.49	0.14	0	0	1,300.63
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-

	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Details relating to Micro, Small and Medium Enterprises	**2022-23**	**2021-22**
(a) Amount due remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year;		
Principal	203.96	224.87
Interest	0.45	0
(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;	0	0
(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	0	0
(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and	0.45	0
(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	0	0

Note No.15 - Other Financial Liabilities

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2023	₹ in lakhs As at 31st March, 2022
Others		
Payable to ADNOC [Refer Note No. 31(iv)]	-	4,776.01
Payable to GOI / MoPNG (ADNOC) [Refer Note No. 31(iv)]	-	2,223.99
Grant from GOI / MoPNG for Phase II	21,000.00	21,000.00
Advance Received from GOI / MoPNG against O&M Expenses for Phase I	1,807.64	5,454.83
Deposits from Suppliers/ Contractors	986.26	878.41
TOTAL	**23,793.90**	**34,333.24**

Note No.16.1 - Provisions

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2023	₹ in lakhs As at 31st March, 2022
Provisions for Employee Benefits		
(a) Leave Encashment	-	0.38
(b) Gratuity	-	0.01
TOTAL	**-**	**0.39**

Note No.16.2 - Other Current Liabilities

Particulars	₹ in lakhs As at 31st March, 2023	₹ in lakhs As at 31st March, 2022
Statutory Dues	119.09	97.36
Payable to GOI / MoPNG (Crude Oil Sale)	-	1,160.41
Payable/Refundable to GOI / MoPNG (Crude Oil Grant and NCCD)	-	55.29
Fund from GOI / MoPNG for deposit with High Court Delhi for Arbitration Case of HCC [Refer Note No. 31(xxxxii)]	5,000.46	5,000.46
Payable for HCC Arbitration Case Vizag [Refer Note No. 31(xxxxiii)]	-	1,864.08
Payable to GOI / MoPNG (Padur GST RCM)	140.68	89.04
Payable to GOI / MoPNG (Interest on Grant/Other Fund and TDS thereon)	2,013.55	2,155.02
Payable to HPCL Vizag	97.28	97.28
Fund from GOI / MoPNG for deposit with Udupi Zilla Panchayat for legal case	410.84	-
Amount payable to SLAO Mangalore for Pipeline compensation of ROU	49.44	-
O&M Expenses Payable to GOI (ADNOC Expense)	170.91	-
Payable to GOI (AP Rcm GST)	150.58	-
Others	12.61	12.61
TOTAL	**8,165.44**	**10,531.55**

Note No.17.1 Revenue from Operation

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
Export of Service		
Operating income from ADNOC - unbilled Income	170.24	-
Domestic Revenue		
Operating income from MRPL	35.57	-
TOTAL INCOME	**205.81**	**-**

Note No.17.2 Other Income

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
Interest on Security Deposits with Electricity Companies	21.50	19.80
Interest on Bank Deposits	42.04	41.57
Amortization of Grant from OIDB (Phase II)	314.15	832.78
Profit on Sale of Property, Plant & Equipment	0.01	-
Rock sale	6.31	-
Interest on Income Tax Refund	0.01	2.32
TOTAL INCOME	**384.02**	**896.47**

Note No. 18 Depreciation and Amortisation Expenses

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
Depreciation	9,510.76	9,463.82
Amortisation of Lease Rental (Leasehold Land)	432.38	533.03
Less :- Recovery as O&M Expenses from GOI/MoPNG (Ind AS 116)	(15.11)	(15.08)
Net Depreciation and Amortization Expenses	**9,928.03**	**9,981.77**

Note No.19 Finance Cost

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
Interest on Lease Liabilities	41.12	41.36
Less :- Recovery as O&M Expenses from GOI/MoPNG (Ind AS 116)	(29.74)	(29.77)
Net Finance Cost	**11.38**	**11.59**

Other Expenses

Note No. 20.1 - Operation & Maintenance Expenses

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
O&M Expenses		
Consumable Expense	167.08	311.47
Insurance Premium	3,890.66	3,941.00
Lease Rent	282.80	229.02
Manpower PDF Employee	99.47	64.00
Operating Cost	216.47	178.13
Repairs & Maintanance	565.54	445.81
Festivals Expenses	6.10	8.13
Legal expenses	753.29	257.63
Office expenses	67.03	36.68
Expense for HCC Arbitration case Vizag (Refer Note No. 31(xxxxiii)	22.96	1,864.08
Stationery expenses	3.23	1.69
Telephone Expenses	24.53	16.60
Tours & Training	23.20	2.39
Vehicle hire exp.	138.40	121.74
Electricity Charges	1,358.96	1,507.96
House Keeping Charges	103.52	127.86
Manpower Contractual & Other	1,992.73	2,753.75
MSEZL O&M Expense	237.87	94.91
Officer on Deputation	369.38	289.49
Periodical Statutory Expense	152.52	108.52
Security Charges	1,911.41	1,205.75
Wharfage/ Surveyor Charges	210.28	-
Green Belt Development	42.70	50.35
HO Expense	1,052.90	1,137.02
TOTAL	**13,693.03**	**14,753.98**
Detailed Feasibility Report (DFR) Expenses for Phase II	314.15	832.78
TOTAL	**314.15**	**832.78**

Note : The above bifurcation of O&M Expenses in FY 2021-22 has been done on the basis of expense head provided by locations site on vouchers since no separate head wise general ledger is maintained in accounting software.

Note No. 20.2 - Miscellaneous Expenses

Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
Rock Related Expenses	-	1.65
Write off of Stamp Duty Expenses	-	0.01
Other expenses	35.57	-
Loss on Write Off of Property, Plant & Equipment	2.08	-
TOTAL	**37.65**	**1.66**

Note No. 21 Disclosures of EPS under Indian Accounting Standards - 33

Note	Particulars	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ended 31st March, 2022
	Earnings per share		
(i)	**Basic**		
	Profit/(Loss) for the year attributes to the equity shareholders	(9,701.38)	(9,931.33)
	Weighted Average number of equity shares Outstanding	3,790,054,670	3,785,664,697
	Par value per share	10.00	10.00
	Loss per share from continuing operations - Basic	(0.26)	(0.26)
(ii)	**Diluted**		
	Profit/ (Loss) for the year attributable to the equity shareholders	(9,701.38)	(9,931.33)
	Weighted Average number of equity shares Outstanding- For Diluted	3,790,054,670	3,785,664,697
	Par value per share	10.00	10.00
	Loss per share, from continuing operations - Diluted	(0.26)	(0.26)

Note No. 22 Leases, Commitments and Contingencies

22.1	**Leases**
	Ministry of Corporate Affairs (MCA) through Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rule, 2019 and Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rule, 2019 has notified IND AS 116 Leases which replaces the existing lease IND AS 17 Lease and other interpretations. IND AS 116 introduces a balance sheet lease accounting module for Leases.
(i)	Effective 1st April, 2019, the Company has adopted IND AS 116 to its leases using modified retrospective transitions method. The lease liability is measured at the present value of remaining lease payments discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application and right of use asset has been recognized at an amount equal to the lease liability plus prepaid rentals recognized in the balance sheet before the date of initial application, if any. The company has adopted OIDB's (being 100% shareholder) interest rate for April 2019. Further, the Company has exercised the following expedient:-
	i. Company has not reassessed whether a contract is, or contains, a lease at the date of initial application i.e. the contracts classified as leases on March 31, 2019 as per IND AS 17
	ii. Treated as leases under IND AS 116 and not applying the standard to contracts that were not previously identified as containing a lease applying IND AS 17
	iii. Leases for which the lease terms ends within 12 months of the date of initial application have been accounted as short time leases.
	The Company has entered into lease arrangements related to land. There is no sale and lease back transactions arrangement under the reporting period.
	Details of significant leases for Leasehold Lands are as under:-
(a)	Arrangement with Visakhapatnam Port Trust for a period of 30 Years (upto 14.05.2038) for 37 acres of land at Vishakapatnam (Refer Note No. 31(xvi)).
(b)	Arrangement with Mangalore Special Economic Zone for a period of 50 Years (upto 26.01.2060) for 104.73 acres of land at Mangalore including green belt area of 33.0066 acre (Refer Note No. 31(xvi)).
(C)	Arrangement with Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) for a period of 20 years (101.815 acre upto 28.05.2030 & 36.775 acre upto 18.12.2031) towards 138.57 acres of land at Padur.
(d)	Arrangement with Karnataka Industrial Areas Development Board (KIADB) for a period of 15 years (upto 14.11.2032) towards 37.35 acres of land at Padur.

(ii) **Amount recognised in the statement of Profit and Loss Account or Carrying Amount of Right of Use:**

	₹ in lakhs	₹ in lakhs
	2022-23	**2021-22**
- Prepaid Lease Rental capitalised as Right of Use	NA	NA
- Increase of Right of Use and Lease Obligation	NIL	0.26
- Depreciation Recognized on increased Right of Use	15.11	15.08
- Depreciation Recognized on Prepaid Lease Rental	417.27	517.95
- Interest on Lease Obligation	41.08	41.36
- Incremental Borrowing Rate	7.94%	7.94%
- Lease Rental Payment	44.85	44.85

The Details of Right of Use included in PPE held as leases by class of underlying assets is presented below:

	₹ in lakhs	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Asset Class	**Gross Block as on 31st March, 2023**	**Accumulated Depreciation Upto 31st March, 2023**	**Net Carrying Value as on 31st March, 2023**
Right of Use	13270.09	2031.55	11238.54

Gross Block as on 31st March, 2023 includes operating leases entered before 01st April, 2019 on net carrying value of ₹ 12698.11 Lakhs which had been reclassified to Right to Use as on 01st April, 2019 (on implementation of Ind AS 116).

Details of item of future cash outflows which the company is exposed as lease but are not reflected in the measurements of lease liabilities are as under:

(i) **Variable Lease Payments**

Variable lease payments that depends on an index or a rate to be included in the measurement of lease liability although not paid at the commencement date. As per general industry practice, the company incurs various variable lease payment which are not based any index or rate (variable based on KMS covered or % of sales etc.) and are recognized in profit or loss and not included in the measurement of lease liability.

(ii) **Extension and Termination Options**

The company lease arrangement includes extension option only to provide operational flexibility. Company assesses at every lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options and further reassesses whether it is reasonably certain to exercise the option if there is a significant change in circumstances within its control, However, where company has the solo discretion to extend the contract such lease term is included for the purpose of calculation of lease liabilities.

(iii) **Residual value Guarantees**

There are no Residual value guarantees.

(iv) Committed lease which are yet to commence

There is no committed lease which is yet to commence.

(v) The difference between the future minimum lease rental commitment towards non-cancellable operating lease reported as at 31st March, 2019 compared to the lease liability as accounted as at 1st April, 2019 is primarily due to inclusion of present value of the lease payment for the cancellable term of the leases. Reduction due to discounting of the lease liabilities as per the requirement of IND AS 116 and exclusion of the commitments for the leases to which the company has chosen to apply the practical expedient as per the standard.

(vi)	Application of this standard has resulted a net increase in loss before Tax for the year by ₹11.38 Lakhs (Previous Year :- ₹11.59 Lakhs) (increase in Depreciation & Amortization expenses and Finance cost) by ₹56.19 Lakhs (Previous Year ₹56.44 Lakhs) respectively and decrease in office, Administration, Selling & other Expenses by ₹ 44.85 Lakhs(Previous Year ₹ 44.85 Lakhs).
22.2	**Contingent Liabilities, Contingent Assets and Commitments (to the extent not provided for)** **Particulars** **(A) Contingent Liabilities** **Claims against the company not acknowledged as debts amounting to ₹93,414.22 lakhs (Previous Year : ₹ 43,364.05 lakhs) comprising of -** a) Disputed Demand of Royalty by Department Of Mines and Geology at Vizag ₹11,795.03 Lakhs (Previous Year : ₹ 11,794.95 Lakhs) b) Disputed claims by the contractors for ₹80,752.13 Lakhs (Previous Year : ₹ 31,112.88 Lakhs) rejected by EIL on account of projects undertaken on various sites for which cases are pending before the Arbitral Tribunal/High Court. c) Disputed demands of Entry Tax ₹74.64 Lakhs (Previous Year : ₹74.64 Lakhs). The Company has availed Kar Samadhan Scheme promulgated by Government of Karnataka for resolution of dispute of Entry Tax. As per Company there is no liability and the Company has filed writ petition against the coercive recovery of ₹74.64 lakhs toward entry tax and the matter is pending before honourable Karnataka High Court. d) Disputed demands by Panchayat Development Officer (Padur) ₹410.84 Lakhs (Previous Year : NIL) on account of building, land and misc taxes for which the case is pending before appellate authority. Total demand raised is ₹821.68 lakh, out of which ₹410.84 lakhs (being 50% amount) has been deposited with appellate authority. e) Disputed demands with respect to pipeline at mangalore ₹381.58 Lakhs (Previous Year : 381.58) for which the cases are pending before District Court, Mangalore. **(B) Contingent Assets -** ₹ NIL (Previous Year : ₹ NIL) **(C) Capital Commitments** 1. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Phase 1 extension land at Mangalore ₹ 22,950.38 lakhs (Previous Year : Nil) 2. Final gazette notification for land acquisition for 214.79 acre land at padur has been issued by Government of Karnataka on 22nd Feb 2023. Capital Commitment on account of payment for land will arise after decision of Price fixation committee and Rehabilitation committee. **(D) Other Commitments -** ₹ 544.21 Lakhs (Previous Year : ₹ NIL) towards work awarded to EIL for preparation of DFR for Cavern storage and assocaited facilities for Phase 1 extension at MSEZL Area, Mangalore.

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 23 : Related Party Transactions

Related party disclosure, as required by Ind AS 24, is as below :

Particulars

Details of related Parties :

Description of relationship	Names of related parties
Holding Company	Oil Industry Development Board (OIDB) holding 100% equity in the Company
Key Management Personnel (KMP)	1. Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL (w.e.f. 31.10.2022) 2. Shri Ajay Dashore, Dy CEO/CEO & MD (Add. Charge) (w.e.f. 17.06.2022 till 30.10.2022) 3. Shri HPS Ahuja, CEO & MD, ISPRL (till 01.06.2022) 4. Shri G. K. Singh, CFO, ISPRL 5. Shri Arun Talwar, Company Secretary, ISPRL (till 15.05.2023) 6. Ms. Shilpi Mohanty, Company Secretary, ISPRL (w.e.f. 06.06.2023) **Board of Directors (Ex-Officio)** 1. Shri Pankaj Jain, Chairman (w.e.f. 20.01.2022) 2. Shri Praveen Mal Khanooja, Director (w.e.f. 17.02.2023) 3. Ms. Kamini Chauhan Ratan, Director (w.e.f. 21.12.2022) 4. Ms. Esha Srivastava, Director (w.e.f. 22.12.2021) 5. Ms. Varsha Sinha, Director (w.e.f. 15.12.2022) 6. Ms. Yatinder Prasad, Director (w.e.f. 11.10.2022 till 21.11.2022) 7. Shri Gudey Srinivas, Director (w.e.f. 03.11.2021 till 26.09.2022) 8. Dr. Navneet Mohan Kothari, Director (w.e.f. 03.11.2021 till 30.11.2022)

(i)

Key Management Personnel	**(₹ in lakhs)**	**(₹ in lakhs)**
Remunerations	**For year ending on 31st March, 2023**	**For year ending on 31st March, 2022**
CEO & MD*#	83.98	47.29
CFO*	84.77	93.90
Company Secretary *	85.56	72.39
TOTAL	**254.31**	**213.58**
*Including debit notes received from respective parent company. # The above amount doesn't include perquisite value of Rs. 86,251/- (Previous Year : NIL) as per Income tax act with respect to Property, Plant & Equipment transferred during the year.		
Sale consideration from Property, Plant & Equipment	**For year ending on 31st March, 2023**	**For year ending on 31st March, 2022**
Shri HPS Ahuja	2.04	NIL
TOTAL	**2.04**	**0.00**
Transfer of Property, Plant & Equipment	**For year ending on 31st March, 2023****	**For year ending on 31st March, 2022****
Shri HPS Ahuja	0.79	NIL
Ms. Yatinder Prasad	0.66	NIL
TOTAL	**1.44**	**0.00**
** Amount of WDV as per books on the date of transfer of asset.		

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

		(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)
(ii)	**Holding Company (OIDB)**	**As on 31st March, 2023**	**As on 31st March, 2022**
	Allotment of Equity Shares/Share application Money	-	1,418.00
	Reimbursement of expenses to OIDB	25.20	21.78
	Grant for Phase II expenditures	314.15	804.87
	Expenditure incurred on behalf of OIDB	0.25	0.16
	Return of unutilized Grant for Phase II	-	1.46
	Balances outstanding with related parties :	(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)
(i)	**Key Management Personnel**	**As on 31st March, 2023**	**As on 31st March, 2022**
	TDS on Salary recoverable from Shri L. R. Jain, CEO & MD, ISPRL	0.63	-
		(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)
(ii)	**Holding company (OIDB)**	**As on 31st March, 2023**	**As on 31st March, 2022**
	Recoverable from OIDB for expenditure incurred on their behalf	0.01	0.16
	Payable to OIDB for Reimbursement of expenses	25.20	21.78
	Grant receiviable for Phase II	314.15	-

Note No. 24 : SEGMENT REPORTING

1. Company is creating storage assets for sovereign reserves of crude oil for the Government of India and is also maintaining such assets. This is considered to constitute one single primary segment.

2. Geographical information is not applicable as all operations of the Company are within India.

Note No. 25 : FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments by category

1) The management assessed that Fair Value of Cash & Cash Equivalents, Other Current Financial Assets, Trade Payables, Short Term Borrowings and Other Current Financial Liabilities approximate their carrying amounts.

2) The fair value of the financial assets and liabilities is included at the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

3) Considering above disclosure with regard to the Fair Value Hierarchy is not applicable.

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 26 : FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

1) Financial risk factors

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance. The primary market risk to the Company is Interest Rate risk. O&M expenses of the company are met with GBS hence it is not exposed to any material Interest rate risk.

The Company's principal financial liabilities comprise trade and other payables & security deposits. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations. The Company's principal financial assets include other receivables, Other Financial Assets and cash / cash equivalents that derive directly from its operations.

Presently Company is not exposed to a number of any financial risks arising from natural business exposures as well as its use of financial instruments including market risk relating to interest rate, foreign currency exchange rates. Senior management oversees the management of these risks with appropriate financial risk governance framework for the Company.

2) Market risk

Market risk is the risk where the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise three types of risk: currency rate risk, interest rate risk and other price risks. Financial instruments affected by market risk include loans and borrowings, deposits, investments, and derivative financial instruments. Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Presently company's financial instrument is not exposed to any material market risk.

3) Credit risk

Customer credit risk is managed by each business unit subject to the Company's established policy, procedures and control relating to customer credit risk management. Credit quality of a customer is assessed based on an extensive analysis and outstanding customer receivables are regularly monitored. Presently there are no trade receivables.

4) Liquidity risk

Company monitors its risk of a shortage of funds diligently. The Company seeks to manage its liquidity requirement by maintaining access to short term borrowings from holding Company.

The table below provides details regarding the contractual maturities of significant financial liabilities as of 31st March, 2023:

₹ in lakhs

Particulars	Less that 1 year	1-2 years	2-4 years	More than 4 yrs	Total
Borrowings	-	-	-	-	**-**
Trade payables	1,891.61	-	-	-	**1,891.61**
Other financial liabilities	23,793.90	17.10	0.27	-	**23,811.27**
Total	**25,685.51**	**17.10**	**0.27**	**-**	**25,702.88**

The table below provides details regarding the contractual maturities of significant financial liabilities as of 31st March, 2022:

₹ in lakhs

Particulars	Less that 1 year	1-2 years	2-4 years	More than 4 yrs	Total
Borrowings	-	-	-	-	**-**
Trade payables	1,525.50	-	-	-	**1,525.50**
Other financial liabilities	34,333.24	6.90	0.83	-	**34,340.97**
Total	**35,858.74**	**6.90**	**0.83**	**-**	**35,866.47**

Note No. 27 : CAPITAL MANAGEMENT

For the purpose of the Company's capital management

Under Phase I- Capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders. The primary objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value.

Under Phase I extension- Capital for Land Acquisition for Phase 1 extension at Mangalore will be managed through GBS from GOI / MoPNG.

Under Phase II Project- Capital for Land Acquisition are being managed through GBS from GOI / MoPNG.

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 28 - Payment in Foreign Currency (Equivalent INR)

Particulars	₹ in lakhs For the year ending 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ending 31st March, 2022
Travelling	6.72	6.98
Payment for Goods and Services	4,775.67	29.93
Total	**4,782.39**	**36.91**

Note No. 29 - Receipts in foreign currency

Particulars	₹ in lakhs For the year ending 31st March, 2023	₹ in lakhs For the year ending 31st March, 2022
Receipt from ADNOC	1,454.56	NIL

Note No. 30 - Employee Benefits Disclosure

(i) Gratuity Disclosure Statement as per Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)

A. Actuarial assumptions provided by the company and employed for the calculations are tabulated:

Period	As on: 31-03-2023	As on: 31-03-2022
Discount rate	7.50 % per annum	7.25 % per annum
Salary Growth Rate	10.00 % per annum	10.00 % per annum
Mortality	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Expected rate of return	0	0
Withdrawal rate (Per Annum)	5.00% p.a.	5.00% p.a.

B. Benefits valued:

Period	As on: 31-03-2023	As on: 31-03-2022
Normal Retirement Age	60 Years	60 Years
Salary	Last drawn qualifying salary	Last drawn qualifying salary
Vesting Period	5 Years of service	5 Years of service
Benefits on Normal Retirement	15/26 * Salary * Past Service (yr).	15/26 * Salary * Past Service (yr).
Benefit on early exit due to death and disability	As above except that no vesting conditions apply	As above except that no vesting conditions apply
Limit	₹ 2000000	₹ 2000000

C. Current Liability (*Expected payout in next year as per schedule III of the Companies Act, 2013) :

Period	As on: 31-03-2023 (Funded)	As on: 31-03-2022
Current Liability (Short Term)*	₹ 1,402	₹ 824
Non Current Liability (Long Term)	₹ 9,22,854	₹ 5,50,532
Total Liability	₹ 9,24,256	₹ 5,51,356

Note:- Company has taken LIC Group Gratutity Scheme during the year for Gratuity payable to employees. As against Gratutity liability of Rs. 9,24,256/- as on 31.03.2023 as per Acturial Valuation, balance of LIC Group Gratutity Scheme fund as on 31.03.2023 is Rs. 12,14,340.24/-, hence no provision is required to be made for Employee benefit.

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

(ii) Leave Disclosure Statement as per Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)

A. Actuarial assumptions provided by the company and employed for the calculations are tabulated:

	Period	As on: 31-03-2023	As on: 31-03-2022
	Discount rate	7.50 % per annum	7.25 % per annum
	Salary Growth Rate	10.00 % per annum	10.00 % per annum
	Mortality	IALM 2012-14	IALM 2012-14
	Expected rate of return	0	0
	Withdrawal rate (Per Annum)	5.00% p.a.	5.00% p.a.

B. Benefits valued:

	Period	As on: 31-03-2023	As on: 31-03-2022
	Normal Retirement Age	60 Years	60 Years
	Salary	As per rules of the company	As per rules of the company
	Benefits on Normal Retirement	1/30 * Salary * Number of leaves.	1/30 * Salary * Number of leaves.
	Benefit on early exit	As above, subject to rules of the company.	As above, subject to rules of the company.
	Benefit on death	As above, subject to rules of the company.	As above, subject to rules of the company.

C. Current Liability (*Expected payout in next year as per schedule III of the Companies Act, 2013) :

	Period	As on: 31-03-2023 (Funded)	As on: 31-03-2022
	Current Liability (Short Term)*	₹ 52,852	₹ 37,577
	Non Current Liability (Long Term)	₹ 14,43,615	₹ 10,90,606
	Total Liability	₹ 14,96,467	₹ 11,28,183

Note:- Company has taken LIC Group Leave Encashment Scheme during the year for Leave Encashment payable to employees. As against Leave encashment liability of Rs. 14,96,467/- as on 31.03.2023 as per Acturial Valuation, balance of LIC Group Leave Encashment scheme fund as on 31.03.2023 is 21,34,663.27, hence no provision is required to be made for Employee benefit.

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

Note No. 31 : OTHER NOTES

31 Others Notes

(i)

Cases settled under Vivad se Vishwas:-

The company had availed the benefit under Vivad se Vishwas Act, 2020 for financial year 2012-13 to 2016-17 and tax of ₹ 663.47 lakhs has been paid in earlier years. The demand has been settled and Form-5 has been issued by department, consequently all the cases have been closed. Letter giving effect of Form 5 is awaited from competent authority.

For AY 2016-17 and AY 2017-18, aggregate demand of Rs. 1.5 crore is reflecting on Income Tax Site which is neither enforceable nor correct in light of Form 5 issued by department which in itself concludes the matter and no further action or demand can be held by the department.

Other demand as per Income tax site:-

For AY 2018-19, demand of Rs. 29,310/- is reflecting on Income tax site u/s 154. AO has issued order u/s 143(3) and ISPRL is under appeal before the CIT(Appeal) against the said order.

For AY 2022-23 a demand of Rs 4,210/- is reflecting on Income tax site, whereas the substantial refund has not been issued by the Income Tax Department vide intimation u/s 143(1) dated 02.03.2023. ISPRL has filed rectification but the CPC has again erred in processing of Income tax return. This discrepancy is due to failure from CPC to allow full credit of TDS as claimed in the tax return. ISPRL will be again filing rectification through online as well as with the Assessing Officer to get the order corrected.

(ii)(a)

The Sovereign Crude Oil Reserves have been kept at three sites Padur, Mangalore and Visakhapatnam of the company as a custodian on behalf of Government of India. Cavern B at Visakhapatnam is used by HPCL for its operation and property in crude oil is purely owned by HPCL. Cavern A at Mangalore is used by ADNOC for storage of its own Crude Oil under agreement with ISPRL.

Accounting of crude oil is not being done in Financial statement of ISPRL, only disclosure of the Crude Oil Inventory is being done in Notes to accounts. An assurance was given to C&AG during the audit for FY 2020-21 for seeking clarification from Ministry of Petroleum and Natural Gas regarding accounting of crude oil transaction and disclosure of Inventory in books of accounts of ISPRL. The company wrote a letter to MoPNG on 01st December 2021, seeking clarification regarding accounting of crude oil transactions and disclosure of inventory. The reply from MoPNG is still awaited.

During the supplementary audit of FY 2021-22, ISPRL has given assurance to CAG that oipinion from "Expert Advisory committee" of ICAI would be obatined on the subject matter. ISPRL appriased this assurance to Audit committee and sought directions from the Ministry, the ministry provided relevant documents with regard to accounting of Soverign Crude Oil reserve and directed ISPRL to appraise CAG. ISPRL has written to CAG intimating about the procedure issued by Office of Comptroller & Auditor General of India with regard to accounting of Soverign Crude Oil reserve and preferred not to seek Expert Advisory Oipinion from ICAI.

Company has continued to disclose only the below quantitative details of Soverign crude oil reserves as done in earlier years.

GOVERNMENT OF INDIA- CRUDE OIL

Particulars	31st March, 2023 (Qty. in MT)	31st March, 2022 (Qty. in MT)
Opening Stock of Crude Oil (As per Surveyor Report) (a)	3,010,938.75	4,213,678.99
Add:- Procured during the year :		
As per Bill of lading (b)	-	-
Actual as per Surveyor Report (c)	-	-
Add:- Dead Stock in Carvern A at Mangalore (d)	3,394.63	-
Less:- Sale/Transferred during the year (e)	-	1,198,816.99
Net Quantity as per actual as on close of the year (a+c+d)-(e)	3,014,333.38	3,014,862.00
Total quantity under Custody as at close of the year (As per Surveyor Report) (including deadstock of 3,394.63 MT in Cavern A at Mangalore)	3,016,903.67	3,010,938.75

INDIAN STRATEGIC PETROLEUM RESERVES LIMITED
Notes Forming Part of The Financial Statements

ADNOC- CRUDE OIL	₹ in lakhs	₹ in lakhs
Particulars	**31st March, 2023 (Qty. in MT)**	**31st March, 2022 (Qty. in MT)**
Opening Stock of Crude Oil (As per Surveyor Report) (a)	3,512.61	517,387.96
Add:- Procured during the year :		
As per Bill of lading (b)	433,099.00	-
Actual as per Surveyor Report (c)	422,602.24	-
Less:- Dead Stock in Cavern A at Mangalore (d)	3,394.63	-
Less:- Transfer by ADNOC during the year (e)	-	510,767.87
Net Quantity as per actual as on close of the year (a+c)-(d+e)	422,720.22	6,620.09
Total quantity under Custody as at close of the year(As per Surveyor Report) (Excluding dead stock of 3,394.63 MT)	421,775.48	3,512.61
Note : Losses, in case any, are within the acceptable industry norms.		

	₹ in lakhs	₹ in lakhs
PAYABLE TO GOI / MoPNG (CRUDE OIL GRANT)	**2022-23**	**2021-22**
Payable/Refundable to GOI / MoPNG as at beginning of the period	84.61	4,182.15
Add:-Amount received for Crude Oil during the year	-	-
Add:- Interest, other receipts and adjustments	-	1,258.94
Less:-Crude Oil Procured (Net of Transfer) (Including Clearing and Other Expenses) during the year	-	-
Less:- Amount refunded to GOI/MoPNG	-	356.02
Less:- Amount apportioned as temporary loan for HCC Arbitration Case of ISPRL	-	5,000.46
Payable/Refundable to GOI / MoPNG as at end of the period	84.61	84.61
Note : The amount of Payable/Refundable to GOI / MoPNG as at 31st March, 2022 & 31st March, 2023 represents TDS receivable from Income Tax Department.		

(ii)(b) During the supplementary audit of FY 2021-22, ISPRL had given assurance to C&AG that oipinion from "Expert Advisory committee" of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) would be obatined on "Accounting of O&M grant of Phase - I from MoPNG / GOI" and "Accounting of Pre-project expenses for Phase - II". Accordingly, ISPRL has writeen a letter to ICAI seeking opinion on the subject matter. Expert Advisory Opinion from ICAI is yet to be received by company and necessary accounting / presenation shall be done in line with opinion of the ICAI. Till receipt of opinion from ICAI, Company has continue to offset the O&M grant of Phase - I and corresponding O&M expenses in the profit & Loss statement (in Note No. 20.1) and the Cashflow statement as done in earlier years.

(iii)

(A) Phase II:-

1. The Union Cabinet of India, on 27th June 2018, accorded in-principle approval for the establishment of additional 6.5MMT of storage facilities for crude oil in underground rock caverns at Padur-II, Karnataka (2.5MMT) and Chandikhol, Odisha (4.0MMT) including the construction of dedicated Single Point Mooring (SPM) and pipelines for the two Strategic Petroleum Reserves (SPR). Phase-II project of ISPRL was approved in the cabinet meeting in PPP mode on 08.07.2021.
2. Application for Land allotment for Chandikhol project was submitted to Government of Odisha, a clear ASI survey report was also submitted to government. The odisha government has suggested ISPRL to search for alternate land. ISPRL has approched EIL for suggesting alternate land.
3. EIA studies were started for Phase II by NEERI during the FY 2019-20 and draft report was received from NEERI. After review, the observations of ISPRL has been provided to NEERI for issue of Final report.
4. The DFR for construction of SPM and associated pipeline at Padur was awarded to M/S Engineers India Limited. EIL has completed survey job for SPM.
5. GOI / MoPNG had allocated ₹ 210 Crores for land acquisition for Phase II project, ₹ 98.24 crores was paid to KIADB for land acquisition of Padur project and other incidental charges. The final notification for land acquisition has been issued by state government on 14.02.2023. The balance available with ISPRL as on 31st March 2023 is ₹ 111.76 Crores.

(iii)	6. In addition to earlier approved and disbursed Rs.19 crore for Pre-project expenses by OIDB, during the year OIDB board has approved additonal fund of Rs.4.5 crore toward pre-project expenses for Phase II project after instruction from Ministry. During the year ISPRL has booked expenses of Rs.3.14 crore toward pre-project expenses, which were receiviable from OIDB as on 31.03.2023 and received from OIDB ason 03.04.2023. **(B) Phase I Extension:-** 1. ISPRL is exploring expansion of storage capicity at 3 locations at Manglore (near existing facility of ISPRL- Manglore), Bikaner & Bina under Phase-I extension. 2. In an endavor to explore additional capacity, ISPRL discussed with MSEZL and MSEZL offered 154.90 acre of land to ISPRL on payment of one time non-refundable lease premium of Rs.226.94 crores, out of which 126.79 acre is leasable land and remaining 28.11 acre is to be maintained as green belt. 3. The proposal has been approved by Delegated Investment Board (DIP) on 17th Febreuary 2023. The decision was convyed to ISPRL vide OEM number IC22011/6/2017-IC-2 dated 22nd February 2023. Communication for approval of approving authority has been received on 26th June 2023. 4. ISPRL has signed MOU with MSEZL on 17.03.2023 for allotment of 154.90 acre of land on lease basis at Mangalore and token amount of Rs. 2 crore has been paid to MSEZL till 31.03.2023. 5. ISPRL has appointed EIL as project consultant for pre project studies for Mangalore project under Phase-I extension.
(iv)	At Mangalore site of ISPRL, there are 2 caverns namely cavern A&B. For Cavern "A", a tripartite agreement for Oil storage and management was signed on 10-02-2018 with Abu Dhabi National Oil Company and ADNOC Marketing International (India) RSC Limited(AMI India). As per the agreement, value of 1,20,000 US barrels (15831 MT) was to be paid to AMI India(ADNOC) towards dead stock loss/commissioning loss and the value of dead stock to be funded by GOI / MoPNG. The GOI / MoPNG had allocated ₹ 7,000 lakhs for reimbursement of dead stock. On an actual evacuation of product the dead stock/commissioning loss is determined to be 75,923 barrels due to operational efficiency and a side letter to the original agreement to this effect has been signed on dated 18-04-2022. Payment for 75,923 barrels amounting to ₹ 4,776.01 lakhs has been made on 15-06-2022 by the company to ADNOC and remaining balance of ₹ 2,223.99 lakhs has been returned to MoPNG during the year. The Parties acknowledge and agree that ISPRL, will, at all times, continue to retain an ownership interest in the AMI India (ADNOC) oil equal to the Dead Stock quantity (3,394.63 MT). Provision for liability, if any, towards the storage loss and operational loss relating to agreement with AMI India (ADNOC) will be made after quantification by parties to the agreement. No loss has been quantified during the year.
(v)	As on 31st March 2023, the Company's day to day work is handled by 16 personnel on deputation from various oil companies and CEO&MD appointed by the Board. In addition, the company has 12 employees on regular rolls of ISPRL on OIDB Pay scales. The process of formulation of Employee Policies for regular employees of ISPRL is under deliberation.
(vi)	Advance recoverable in cash or kind for value to be received including amount due from other companies in which any Director is a Director or Member is NIL (Previous Year-Rs. 1,165.59 lakhs).
(vii)	The company has adhered to all applicable government guidelines / SOPs during the lockdown for safety of its employees and business partners.
(viii)	During FY 2021-22, cabinet has allowed ISPRL for commercialization of facilities and crude oil in following manner:- a. Leasing / Renting of 30% of overall storage capacity to Indian or foreign companies. and b. Sale / Purchase of 20% of overall storage capacity of crude oil to Indian companies. c. Remaining 50% of overall storage capacity will remain straetgic. As per cabinet approval release of commercial stock through leasing renting upto 30% and sale purchase of crude oil upto 20% would be handled by a Management committee as determined by ISPRL's Board from time to time.The authority for release of stock in the strategic portion of 50% of crude oil will continue to vest with the interministerial Empowered committee.

The proceeds from sale of crude oil for 30% storage capacity which is to be leased out shall be returned to Government of India and the revenue from sale of 20% crude oil would form part of income of ISPRL.

The company has neither entered into any agreement/transaction relating to leasing/renting nor any transaction related to sale/purchase of 20% of crude oil till 31st March 2023

ISPRL has sold 1.199 MMT crude oil till March 2022 from 30% capacity and returned the proceeds to GOI / MoPNG and no Crude oil has been sold by ISPRL during the current year.

Details of Crude Sales and Payments

	₹ in lakhs
Amount payable to GOI / MoPNG as on 31st March, 2022 (TDS deducted by oil companies on crude sales)	490.56
Add: Realization received during the year out of sale made to MRPL in March 2022	1,159.80
Less : Amount refunded to the GOI / MoPNG during the year 2022-23	1,158.64
Amount payable to GOI / MoPNG as on 31st March 2023 (TDS deducted by oil companies on crude sales)	491.72

Note : Apart from above, pumping charges of ₹ 0.61 Lakhs (net of taxes) received from MRPL on crude sales made in March 2022 and transferred to GOI / MoPNG. Amount of ₹ 3.76 Lakhs on account of TDS deducted by oil company on pumping charges till 31st March 2023 is payable to GOI / MoPNG.

(ix) Rocks excavated from Mangalore and Padur are lying at sites. E-auction for Rock Debris at Padur was conducted through Mineral State Trading Corporation (MSTC). The successful bidder has quoted price of ₹ 106 /MT for lifting 2 lakh MT and ₹ 108/MT for 10 lakh MT of Rock debris from Padur. Out of these tenders, 5,882.22 MT quantity of Rock has been sold till 31.03.2023.

(x)

₹ in Lakhs

Details of O & M Expenditure	2022-23	2021-22
O&M Expenditure Claimed from GOI / MoPNG during the year (as per UC)	15,667.90	13,865.10
Less:- O&M Expenditure booked in previous year but claimed during the year	3,413.65	1,367.87
Add:- O&M Expenditure for the period not claimed during the year, to be claimed	1,791.10	1,549.57
Less:- O&M Expenditure Extra Claimed/ Prepaid Expenses (Net of Previous Year)	307.46	1,112.05
Add :- Payable for HCC Arbitration Case Vizag [Refer Note No. 31(xxxxiii)]	-	1,864.08
Net O&M Expenditure incurred during the year (Inclusive of Depreciation, Finance Cost and Tax Expenses)	13,737.88	14,798.83

₹ in lakhs

Particulars	2022-23				2021-22			
	GOI/MoPNG	HPCL	ADNOC	Total	GOI/MoPNG	HPCL	ADNOC	Total
Amount Recoverable (Received in Advance) as at beginning of the period	(5,454.83)	1,250.62	616.35	**(3,587.85)**	(6,209.81)	2,015.94	377.03	**(3,816.84)**
O & M Expenditure for the year	13,737.88	-	-	**13,737.88**	14,798.84	-	-	**14,798.84**
Other Income/Receipt of previous year refunded to GOI/MoPNG during the year	-	-	-	**-**	(13.00)	-	-	**(13.00)**
Interest surrendered (net of TDS) to GOI / MoPNG during the year on O&M Fund	(49.38)	-	-	**(49.38)**	(26.51)	-	-	**(26.51)**
Received / Recoverable from GOI / MoPNG for HCC Arbitration Case Vizag / Provisional Expense for HCC (Refer Note No. 31(xxxxiii))	1,864.08	-	-	**1,864.08**	(1,864.08)	-	-	**(1,864.08)**
Amount payable to HPCL for Auxillary Service (Other than crude and Manpower)	-	(17.03)	-	**(17.03)**	-	(313.13)	-	**(313.13)**
Invoice issued during the year to HPCL /ADNOC	(1,743.04)	2,134.45	1,381.67	**1,773.08**	(1,864.32)	2,258.98	-	**394.66**
Foreign Exchange Gain / (Loss) (Net of bank charges)	-	-	72.68	**72.68**				
Amount Recovered during the year*	(12,327.04)	(1,548.34)	(1,454.34)	**(15,329.72)**	(12,949.00)	(2,238.23)	-	**(15,187.23)**
Provision for O&M Expenses as on begning of period reversed	1,805.82	(1,189.47)	(616.35)	**-**	2,351.12	(1,974.09)	(377.03)	**-**
Provision for O&M Expenses as on end of period	(99.20)	99.20	-	**-**	(1,805.82)	1,189.47	616.35	**-**
Other amounts refundable to GOI / MoPNG	(1,307.01)			**(1,307.01)**				
Amount refunded to GOI / MoPNG during the year	1,765.07	-	-	**1,765.07**	2,127.76	-	-	**2,127.76**
Amount paid to HPCL for Auxiliary Service (Other than crude and Manpower)	-	17.03	-	**17.03**	-	311.69	-	**311.69**
Amount Recoverable (Received in advance) at the end of the period	**(1,807.64)**	**746.46**	**-**	**(1,061.18)**	**(5,454.83)**	**1,250.62**	**616.35**	**(3,587.85)**

* Amount given in financial year 2021-22 includes ₹ 2447 lakhs for grant of O&M Expenditure for financial year 2022-23.

(xi)	**Deferred Tax** In the absence of Taxable Income, no provision for income tax has been considered necessary. Further, Deferred Tax Asset has also not been recognized as there is no reasonable certainty with convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Asset can be adjusted.
(xii)	Dues to Micro Enterprises and Small Enterprises have been determined as ₹ 204.41 lakhs as on 31st March 2023 (Previous year ₹ 224.87 Lakhs) to the extent such parties have been identified on the basis of information available on records in terms of 'The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006'.
(xiii)	Amount payable / recoverable from Vendors/Contractors/service providers are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustments thereof, if any.
(xiv)	All consumables/stores/spares parts are booked in O&M expenses at the time of purchases.
(xv)	Royalty payment on rock removal from Mangalore SEZ/Padur is to be borne by MSEZL/Contractor appointed by MSEZL or ISPRL. As per MSEZL contract with Contractor, any statutory payment on account of rock removal is to be borne by Contractor. Further, in case contractor fails to deposit any statutory payment, the liability of same would arise on MSEZL as per section 30 of SEZ Act, 2005 and there will be no liability on ISPRL on account of any default on payment of custom duty by Contractor / MSEZL. Matter for payment of custom duty on removal of Rock from Mangalore SEZ area to Domestic Tariff Area (DTA) is under litigation.
(xvi)	a. The company has given BG of ₹ 50,000/- (Previous year : ₹ 50,000/-) in favor of ACCT, LGSTO-260 (GST Authorities) for obtaining KST/CST Registration Certificate from Commercial Tax Office. The BG was given against FD pledged by company amounting to ₹ 50,000/-. b. The company has pledged FD of ₹ 1,45,000/- (Previous year : ₹ 1,45,000/-) in favor of Deputy Director, DMG, Mangalore towards financial assurance related to stone mines contract. c. Bond Cum Legal undertaking has been given by ISPRL to Development Commissioner, MSEZ Mangalore amounting to ₹ 100.80 crore during the year with respect to benefits of exemptions, drawback, cess and concessions availed on account of goods and services in terms of provisions of rule 25 of Special Economic Zones Rules 2006.
(xvii)	(A) Total land of 104.73 acre was allocated by MSEZL to ISPRL consist of following:- (I) 67.0134 acre land for proceesing area with in SEZ. (ii) 33.0066 acre land for green belt development with in SEZ. (iii) 4.71 acre of land for setting up Booster pumping station outside SEZ. Out of total land as mentioned above, 33.0066 acre was handed over by MSEZL free of cost for development of green belt. (B) Licence/ permission to Build and maintain Underground rock Cavern (URC) oil storage facility under the surface of 30 acre land situated at Dolphin Hill area at or near Vishakpatnam was provided by Eastern Naval Command (ENC) at token amount of Rs. 1.00 per annum for a period of 99 years vide MOU dated 01st May 2007 between ENC and ISPRL. The ownership and possession of the land and its surface and aerial right of land remains with ENC. No right, title or interest in land is conveyed to ISPRL.

(xviii) As required under additional information pertaining to general instructions for preparation of statement of Profit & loss (Given in the schedule III of companies Act, 2013) related to expenditure incurred for audit and other items are as follows:

	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
	2022-23	**2021-22**
Payment to Statutory Auditor		
Audit Fees (Incl. GST)	2.09	1.77
Certification (Incl. GST)	0.59	0.06
Out of Pocket Expenses	0.20	-
Payment to Internal Auditor		
Audit Fees (Incl. GST)	0.23	0.35
Other Services	2.24	Nil
Payment to Secretarial Auditor		
Audit Fees	0.10	0.10

(xix) **Title deeds of Immovable Property not held in name of the Company -**

Relevant line item in the Balance sheet	**Description of item of property**	**Gross carrying value (₹ In Lakhs)**	**Title/Lease deeds held in the name of**	**Whether title deed holder is a promoter, director or relative# of promoter*/ director or employee of promoter/ director**	**Property held since which date**	**Reason for not being held in the name of the company**
Right of Use (Ind AS 116)	Leasehold Land at Mangalore Special Economic Zone (104.73 Acres)	8492.5	Indian Strategic Petroleum Reserves Limited	No	Date of allotment letter are as follows : a. for 100.02 acres date is 23.11.2009 b. for 4.71 acres date is 11.04.2018 Possession till date is 26th January, 2060.	Lease Deed is in the name of company but not yet registered. The company is following up with lessor for registration of lease deed. Vide letter date 06th April 2023 from Directorate of Industries and Commerce, ISPRL has obtained 100% stamp duty exemption certificate for lease deed registration with MSEZL. Registration of lease deed in under process.

(xx)	**Valuation of PP&E, intangible asset and investment property -** The company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the year.
(xxi)	**Loans from Banks or Financial Institutions -** The company has not received any borrowings from banks or financial institutions during the year.
(xxii)	**Capital-Work-in Progress (CWIP) -** There is no capital work in progress as on 31.03.2023.
(xxiii)	**Intangible assets under development -** There are no intangible assets under development as on 31.03.2023.
(xxiv)	**Details of Benami Property held -** No proceedings have been initiated on or are pending against the company for holding benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and Rules made thereunder.
(xxv)	**Loans and advance on security of current assets -** There are no loans and advances on security of current assets as on 31.03.2023.
(xxvi)	**Willful Defaulter -** Company has not been declared Willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
(xxvii)	**Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies -** There are no charges or satisfaction which are yet to be registered with the Registrar of Companies beyond the statutory period.
(xxviii)	**Compliance with number of layers of companies -** The company is 100% subsidiary of OIDB and further company doesn't have any subsidiary hence compliance prescribed under the Companies Act, 2013 is not applicable on the company.
(xxix)	**Compliance with approved scheme(s) of arrangements -** The company has not entered into any scheme of arrangement which has an accounting impact on current or previous financial year.
(xxx)	**Utilization of borrowed funds and share premium -** A. The company has not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall: a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or b. provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the ultimate beneficiaries. B. The company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall: a. directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or b. provide any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries.
(xxxi)	**Undisclosed income -** There is no income surrendered or disclosed as income during the current or previous year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961, that has not been recorded in the books of account.
(xxxii)	**Corporate Social Responsibility (CSR) -** The company has not incurred any CSR Expenditure during the year.
(xxxiii)	**Details of Crypto currency or Virtual currency -** The company has not traded or invested in crypto currency or virtual currency during the year.

xxxiv)	**Loans or Advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person, that are: repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment**		
	Type of Borrower	**Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding**	**Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans**
	Promoters	NIL	NIL
	Directors	NIL	NIL
	KMPs	NIL	NIL
	Related Parties	NIL	NIL

(xxxv) **Details of transactions with Companies Struck off u/s 248 of the Companies Act 2013 or Section 560 of the Companies Act 1956 –**

₹ in Lakhs

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding as on 31.03.2023	Balance outstanding as on 31.03.2022	Relationship with the Struck off company if any, to be disclosed
	Investments in securities	NIL	NIL	NA
	Receivables	NIL	NIL	NA
	Payables	NIL	NIL	NA
	Shares held by struck off company	NIL	NIL	NA
	Other outstanding balances (to be specified)	NIL	NIL	NA

xxxvi) **FINANCIAL RATIOS**

S. No.	Ratio	Numerator	Denominator	31st March, 2023	31st March, 2022	% Variance	Reasons
a)	Current Ratio (in times)	Current Assets	Current Liabilities	0.15	0.22	-32.04%	Current assets have decreased due to decrease in bank balance and other financial asset as on 31.03.2023 as compared to last year.
(b)	Debt-Equity Ratio (in times)	Total Debts	Shareholder's Equity	NIL	NIL	NIL	
(c)	Debt Service Coverage Ratio (in times)	Earnings available for Debt Service	Debt Service	NIL	NIL	NIL	
(d)	Return on Equity Ratio (ROE) (in %)	Net Profit after Tax	Average Shareholders' Equity	-3.03%	-3.01%	0.46%	
(e)	Inventory turnover ratio (in times)	Cost of Goods Sold	Average Inventory	NIL	NIL	NIL	
(f)	Trade Receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	Average Accounts Receivables	NIL	NIL	NIL	
(g)	Trade payables turnover ratio (in times)	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	8.22	10.52	-21.86%	
(h)	Net capital turnover ratio (in times)	Net Sales	Working Capital	-5,915,110.22	NIL	100%	Revenue from Operation earned from current year only.
(i)	Net profit ratio (in %)	Net Profit after Tax	Net Sales	-4713.80%	NIL	100%	Revenue from Operation earned from current year only.
(j)	Return on Capital employed (in %)	Earnings before Interest and Taxes	Capital Employed	-3.26%	-3.24%	0.74%	
(k)	Return on investment (in %)	Income generated from Investments	Average Invested Funds	4.78%	2.75%	73.78%	a. Amount held in Fixed Deposits is more in number of days in current year as compared to last year. b. Change in interest rates on Fixed Deposits.

Note 1. Above ratios have been disclosed to the extent applicable to the company since operating on behalf of Government of India to enhance energy security operations.

Note 2. FD with banks of ₹ 655 Lakhs (Previous Year ₹ 1102.67 Lakhs) on which fixed interest income earned ₹ 42.04 Lakhs (Previous Year ₹ 41.57 Lakhs) appearing in Note No. 17.2 has been considered for the purpose ratio at (k) above.

xxxvii)	**Impairment of Asset -** In compliance of IND AS 36 "Impairment of Asset", the company has reviewed the assets at year end for indication of impairment loss, if any, as per accounting policy of the company. As there is no indication of impairment, no impairment loss has been recognised during the year.
xxxviii)	In the opinion of the management, the value of assets other than Property, Plant and Equipment, on realisation in ordinary course of Business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.
xxxix)	The company does not have any long term contracts including derivative contracts for which there could be any material foreseeable losses.
xxxx)	There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.
xxxxi)	Certain changes have been made in Accounting Policies which doesn't have any impact on the financial statements for the period except following:- 1. Other accounting policy regarding "fixing of financial limit of amount exceeding ₹ 50,000/- (including taxes) on each case basis for creating provision of expenses" as adopted and approved in 84th Board meeting dated 17th November 2022 for the period from FY 2022-23 onwards. Changes mentioned will reduce the "Operation and Maintenance expenses" in P&L by ₹ 14 lakh (approx), Capital advance to KIADB for Land Acquisition of Phase II project (Note 5 of Financial statement) by ₹ 0.35 lakhs and "Trade payable" in Balance sheet by ₹14.35 lakh (approx). 2. From FY 2022-23, ISPRL has recognized operating income from ADNOC, MRPL, etc in its Financial statement after obtaining approval from Board. The same has resulted in increase in revenue from operation by ₹ 205.81 Lakhs, expenses by ₹ 35.57 lakhs and thereby resulted in increase in net profit of the company by ₹ 170.24 Lakhs 3. ISPRL has modified its accounting policy from FY 2022-23 onwards for charging property, Plant and Equipment individually costing upto ₹. 5,000/- to revenue expense / O&M expense in the year of acquisition. Change in this policy doesn't have any impact on Financial statement of ISPRL.
xxxxii)	The company has deposited out of funds provided by MoPNG amounting to ₹ 5000.46 Lakhs as pre-deposit with Registrar General, High Court, New Delhi for appeal filed against arbitration award in case of HCC Arbitration Case, Padur. The amount is returnable to MoPNG from earnings of ISPRL from commercialization of Phase I.
xxxxiii)	The Arbitration award in case of Hindustan Construction Co. (HCC) V/s ISPRL has been awarded by Arbitrator on 26th April, 2022 at New Delhi. The company has accepted the arbitration award and deposited the amount of ₹ 1887.04 lakhs with High Court on 11th October 2022 after receipt of O&M Grant from MoPNG.
xxxxiv)	Company has acquired 179.2 acre of land at Padur out of which 175.92 acre of land at Padur has been registered in the name of ISPRL. Company is unable to register the remaining land being a forest land and transfer is not allowed by Government of Karnataka.
xxxxv)	Manpower expenses for phase II has been charged to O&M grant with the approval of competent authority.
xxxxvi)	The company has fixed a limit of ₹ 15 Crores on aggregate basis for adjustment/rectification of prior period items of the previous years for preparation of IND AS compliant financial statements.
xxxxvii)	Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/disclosure and figures have been rounded off nearest to lakhs.

xxxxviii)	The financial statements have been approved for by the Board of directors on 30th June, 2023.

For Prasad Azad & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration Number : 001009N

Sd/-
(K M Azad)
Partner
Membership No. 005125

Place - New Delhi
Date - 11 July, 2023

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	**Sd/-**
(Esha Srivastava)	**(Lakhpat Rai Jain)**
Director	**CEO & MD**
DIN : 08504560	**DIN : 08505199**
Sd/-	**Sd/-**
(Gopeshwar Kumar Singh)	**(Shilpi Mohanty)**
CFO	**Company Secretary**

Place - New Delhi
Date - 03.07.23

Note No. 1 : Significant Accounting Policies

Corporate Information and Significant Accounting Policies

1. CORPORATE INFORMATION

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited was incorporated on 16th June, 2004 by IOCL as its subsidiary. The entire shareholding of the Company was taken over by Oil Industry Development Board("OIDB") and its nominees on 9th May, 2006.

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (the Company), an unlisted wholly owned subsidiary of OIDB is a Public Limited Company and incorporated in India having its registered office at 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi -110001 and operational/ functional office is at OIDB Bhawan, Plot No. 2, 3rd Floor, Sector - 73, Noida - 201301, Uttar Pradesh.

The main objects of the Company are:-

1. To store core critical sovereign reserve of crude oil of the Government of India or crude oil of such other entity as Government of India may decide, subject to and in compliance of the following:

   The release of core critical sovereign reserves of crude oil from caverns and its replenishment will be done through an Empowered Committee constituted by the Government. Provided that the core critical sovereign reserves of crude oil of Government of India may also drawn for crude circulation on account of quality requirement or repair and maintenance.

2. To lease/rent of 30% overall oil storage capacity of caverns to Indian or foreign companies with the condition that in case of any exigency, the GOI will have the first right on the entire crude oil stored in the caverns.

3. To sale/purchase of 20% overall oil storage capacity of caverns to Indian companies.

4. To carry on the business of storage, handling, treatment, carriage, transport, dispatch, supply, market, research, advise, consultancy, service providers, brokers and agents, engineering and civil designers, contracts wharfingers, warehouseman, producers, dealers of Oil and Oil products, gas and gas products, petroleum and petroleum products, fuels, spirits, chemicals, liquid of all types and kinds and the compounds, derivatives, mixtures, preparations and products thereof.

1A: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1 Basis of Preparation of Financial Statements

The Financial statements are prepared in accordance with Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended and comply in all material aspects with the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

The Financial Statements have been prepared on a going concern basis following accrual system of accounting. The company has adopted the historical cost basis for assets and liabilities. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services at the date of respective transactions.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The financial statements are presented in Indian Rupees ('INR') which is the presentation and functional currency of the Company and all values are rounded to the nearest lakhs (up to two decimals) except otherwise indicated.

1.2 Current and non-current classification –

The Company presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:-

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Held primarily for the purpose of trading
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

The Company classifies all other assets as non-current.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle.
- It is held primarily for the purpose of trading.
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. The Company classifies all other liabilities as non current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents.

The Company has ascertained its normal operating cycle as twelve months for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

1.3 Revenue Recognition

Measurement of Revenue

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods are transferred or services are rendered to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for discounts, incentive schemes, if any, as per contracts with customers. Taxes collected from customers on behalf of Government are not treated as Revenue.

Sale of Products

Revenue from sale of products is recognized at the point of time when control of the products is transferred to the customer, generally on delivery of the products. The Company considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a portion of the transaction price needs to be allocated (e.g., Freight and Incentive schemes). In determining the transaction price for the sale of products, the Company considers the effects of variable consideration and consideration payable to the customer (if any).

For contracts that are CIF (Cost Insurance Freight) contracts, the revenue is recognized when the goods reached at final destination. For contracts that are FOB (Free on Board) contracts, revenue is recognized when company delivers the goods to an independent carrier.

Revenue from operating services

Revenue from operating services is recognized on satisfaction of performance obligation upon transfer of control of promised services to customers in an amount that reflects the consideration the company expects to receive in exchange for those services, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example taxes and duties collected on behalf of the government). Consideration is generally due upon satisfaction of performance obligations and a receivable is recognized when it becomes unconditional.

Leasing/Rental income from cavern is recognized as income on accrual basis.

Other Income

Dividend, Other income and Other claims including Insurance Claims are accounted for when there is virtual certainty of ultimate collection.

Interest Income

Interest income is recognized on accrual basis using the Effective Interest Rate (EIR) method

1.4 Property, Plant and Equipment & Intangible Assets:

i) Properties, Plant & Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. The cost of Property, Plant and Equipment includes cost of acquisition and directly attributable cost for bringing the Property, Plant and Equipment in an operational condition for their intended use.

ii) An intangible asset is recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the Company and the cost of the asset can be measured reliably. Such assets are stated at cost less accumulated amortization.

iii) **Capital work- in-progress**

Capital work - in-progress is carried at cost. Revenue expenses exclusively attributable to projects & incurred during construction period are capitalized.

1.5 Depreciation / Amortization

i) Depreciation is provided on Straight Line Method as per the useful life specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except for, underground cavern the useful life of which is considered as 60 years based on certification by independent expert.

ii) Property, Plant and Equipment individually costing up to Rs. 5,000/- are not being capitalized and directly forms part of revenue expense / O&M expense in the year of acquisition.

iii) Right of use (ROU) with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

iv) Right of use (ROU) with definite useful lives is amortized over a period of lease.

1.6 Impairment of Assets

Management periodically assesses using external and internal sources whether there is an indication that an asset may be impaired. Impairment occurs where the carrying value exceeds the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal. An impairment loss is recognized in the statement of profit and loss to the extent, asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of the money and risk specific to the assets.

1.7 Foreign Currency Transactions

i) The Company's financial statements are presented in Indian Rupee (INR) which is also functional currency of the Company.

ii) Transactions in foreign currencies are initially recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

iii) Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at functional currencies closing rate of exchange at the reporting date.

iv) Non-Monetary items that are measured in terms of historical cost in foreign currency are recorded at the exchange rates at the date of transactions.

v) Any gains or losses arising due to differences in exchange rates at the time of translation or settlement are accounted for in the Statement of Profit and Loss.

1.8 Financial instruments

i) Financial assets

All financial assets are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost.

ii) Financial Liabilities

All financial liabilities are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost.

iii) De-recognition

Financial asset is derecognized when right to receive cash flow from the asset expires, or at transfer of the financial asset and such transfers qualify for de-recognition. Financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or expires.

1.9 Taxes on Income

Income tax comprises current tax and deferred tax. Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences of timing differences, subject to the consideration of prudence. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which is deductible temporary differences can be utilized.

1.10 Grants

Government Grants (Revenue) are recognized in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate.

Government Grants (Capital) are initially recorded as liability in books of accounts and advance against related assets to be acquired from capital grant are recognized as Assets. On accomplishment of purpose of grant, the grant and related assets are shown net in the financial statements.

Financial Support for Viability Gap Funding (VGF) can be either in the form of Capital Grant or Operational Revenue Grant depending upon the scheme for financial support of the project. VGF is recognized in the books of accounts as per the scheme either as Revenue or Capital as described above.

Benefit on account of any Interest Subvention scheme can be either loan for capital expenditure or Revenue expenditure. The same will be recognized in the books of accounts as per the use of fund either as Revenue or Capital.

Grants received from Shareholder are recognized in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

1.11 Leases

Ind AS 116 requires lessees to determine the lease term as the non-cancellable period of a lease adjusted with any option to extend or terminate the lease, if the use of such option is reasonably certain. The Company makes an assessment on the expected lease term on a lease-by-lease basis and thereby assesses whether it is reasonably certain that any options to extend or terminate the contract will be exercised. The lease term in future periods is reassessed to ensure that the lease term reflects the current economic circumstances.

Company as a Lessee

a) The company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

b) The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability.

c) The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, holding company's incremental borrowing rate. Generally, the company uses its holding company's incremental borrowing rate as the discount rate.

d) Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Fixed payments, including in-substance fixed payments;
- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
- The exercise price under a purchase option that the company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the company is reasonably certain not to terminate early.

e) The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

f) When the lease liability is re-measured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Short Term Leases and Leases of Low Value Assets

The company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short- term leases of real estate properties that have a lease term upto 12 months. The company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Company as a Lessor

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease as per IND AS. For operating leases, rental income is recognized as per agreed terms of the lease. A lessor initially measures a finance lease receivable at the present value of the future lease payments plus any unguaranteed residual value accruing to the lessor. The lessor discounts these amounts using the rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, holding company's incremental borrowing rate. Generally, the company uses its holding company's incremental borrowing rate as the discount rate.

1.12 Employee benefits

- **Short-term obligations**

  Liabilities for wages and salaries including non-monetary benefits that are expected to be settled within the operating cycle after the end of the period in which the employees render the related services are recognised in the period in which the related services are rendered and are measured at the undiscounted amount expected to be paid.

- **Defined Contribution Plans**

  Company's contribution paid/payable during the year to national pension scheme (NPS) fund are recognized as an employee benefit expense as operation and maintenance expense recoverable / recovered from GOI / MoP&NG under 'O & M Expense'.

- **Defined benefit plans**

  The liability recognized in respect of gratuity is the present value of defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuary using the Projected Unit Credit Method. Re-measurement comprising actuarial gains and losses and return on plan assets (excluding net interest) are recognized as operation and maintenance expense recoverable / recovered from GOI / MoP&NG under 'O & M Expense'.

- **Leave Encashment & Compensated absences**

  Liabilities for leave encashment and compensated absences which are not expected to be settled wholly within the operating cycle after the end of the period in which the employees render the related service are measured annually by the actuary at the present value of the estimated future cash outflows which is expected to be paid using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognised as operation and maintenance expense recoverable / recovered from GOI / MoP&NG under 'O & M Expense' when they occur.

1.13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Ind AS- 37)

The Company recognizes a provision when there is present obligation as a result of past event and it is more likely than not that there will be an outflow of resources to settle such obligation and the amount of such obligation can be reliably estimated. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the management's best estimate of the amount of obligation at the year-end. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect management's best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company. Contingent liabilities are also disclosed for present obligations in respect of which it is not probable that there will be an outflow of resources or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

When there is a possible obligation or a present obligation where the likelihood of an outflow of resources is remote, no disclosure or provision is made.

Contingent Assets are not recognized and is disclosed, where an inflow of economic benefit is probable.

1.14 Earnings per Share

Basic Earnings per Share is calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity share outstanding during the period.

For the purpose of calculating Diluted Earnings per Share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the number of shares outstanding during the period will be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

1.15 Inventory

Inventory of crude oil is valued at cost determined on 'First in First Out' basis or net realizable value, whichever is lower. Cost comprises all costs of purchases, cost of conversion and other costs incurred in bringing the inventory to the present location and condition.

1.16 Head Office Expenses Allocation

The head office expenses are allocated equally among all commissioned units/sites.

1B: Recent Amendments in Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) notifies new standard or amendment to the existing standards. There is no such notification which would have been applicable from 01st April, 2023.

आईएसपीआरएल
ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधान कार्यालय : ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नौएडा–201301, उ. प्र.
पंजीकृत कार्यालय : 301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली – 110001

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India
Head Office: OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No. 2, Sector-73, Noida, Uttar Pradesh-201301
Registered Office: 301, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi-110001